खण्ड-253, अंक-2
मंगलवार, 20 माघ, शक संवत् 1886
(9 फरवरी, 1965 ई0)

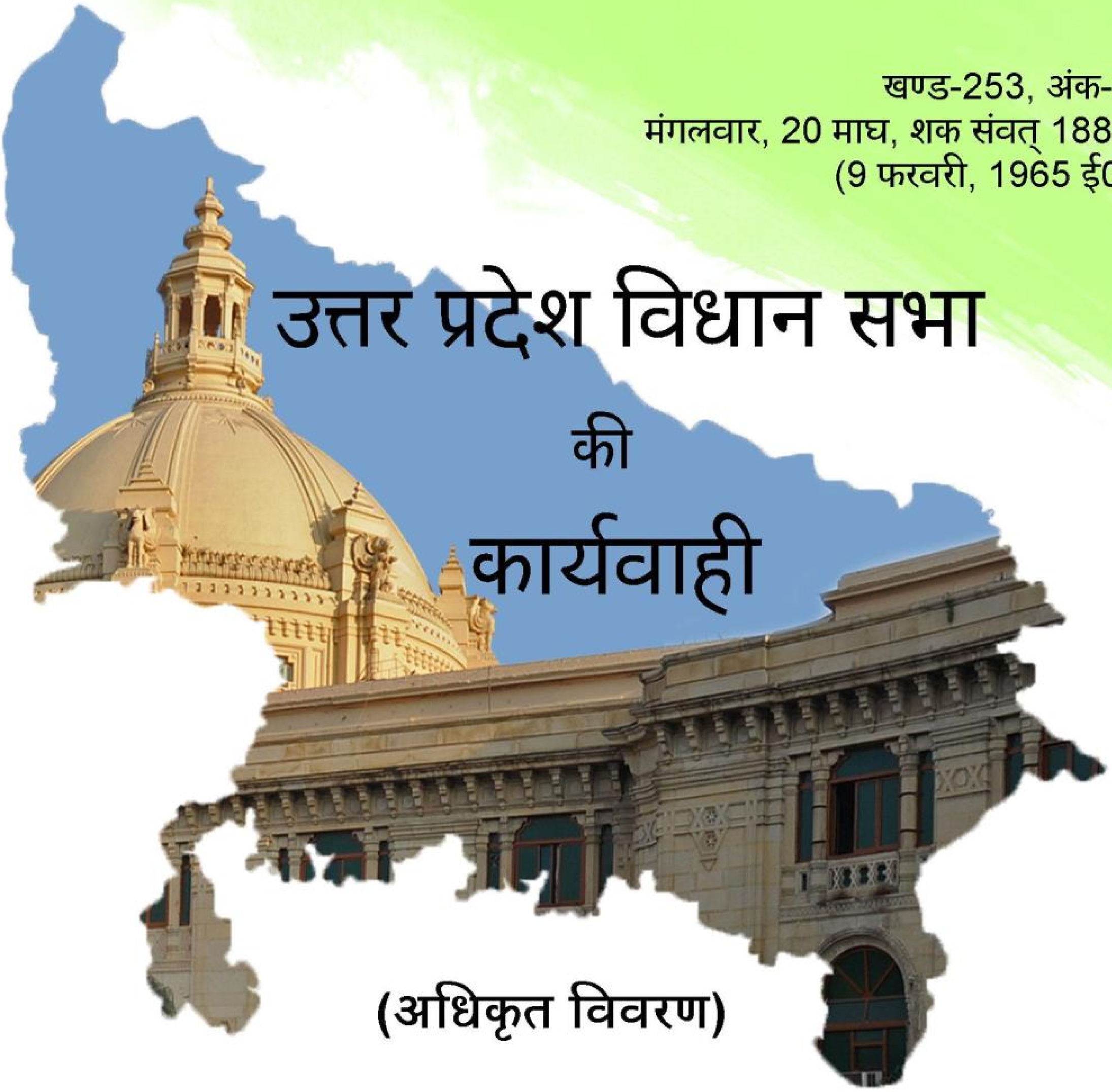

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 253 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४५–४९
प्रश्नोत्तर (जारी)	४९–५२
१७ दिसम्बर, १९६३ को सर्वश्री बालोजी अग्रवाल तथा बनवारी लाल विप्र द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न १२३ का संशोधित उत्तर	५२
प्रश्नोत्तर	५२–९४
प्रश्नों के संबंध में आपत्ति	९४
प्रेस संवाददाताओं के सदन म निर्धारित स्थान परिवर्तन पर आपत्ति ..	९५
श्री भूपसिंह को कारावास के दंड की सूचना	९६
समाचार-पत्र में छपे मुख्य मंत्री के त्याग-पत्र से संबंधित समाचार के बारे में जानकारी	९६
न्यायपालिका एवं विधान सभा के बीच चल रहे विवाद पर विचार करने हेतु समय की मांग	९६–९७
श्री भूपसिंह को दिये गये कारावास के दंड के संबंध में परिप्रश्न ..	९७
श्री राज्यपाल के अभिभाषण की अंग्रेजी प्रतियां छपने पर आपत्ति ..	९८
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	९८–१००
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	१००–१०१
विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१०२–१०८
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों द्वारा व्यवधान उपस्थित करने के संबंध में खेद प्रकाशन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१०८–१२६
साप्ताहिक कार्यक्रम की सूचना	१२६–१२७
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	१२७–१६७
नत्थियां	१६८–१७९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ९ फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—२८७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेशनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस०जी० दत्त, श्री
ए०सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री

गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जेड०ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री

उपस्थित सदस्य

नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास ढरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री

मध्य प्रदेश विधान सभा

रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पान्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री

शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री.
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ९ फरवरी, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वेतन अभिनवीकरण समिति

**१--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन अभिनवीकरण तथा महंगाई भत्ते के विषय में जो पे कमेटी नियुक्त की थी उसका समय ३१ मार्च, १९६५ तक बढ़ा दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी सिफारिशों को १९६५-६६ के बजट में लागू करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

सरकार ने जो वेतन अभिनवीकरण समिति नियुक्त की है उसका समय अप्रैल, १९६५ के अन्त तक बढ़ा दिया है।

वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों को किस दिन से और किस प्रकार से लागू किया जावेगा यह इस समय बताना सम्भव नहीं है क्योंकि समिति की सिफारिशें अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार के सामने कौन-कौन सी कठिनाइयां पैदा हो गयीं हैं जिसके कारण सरकार को इस पे कमेटी का समय बढ़ाना पड़ा?

श्री जयराम वर्मा--

समिति का काम पूरा नहीं हुआ। जो गवाही होनी थीं वह पूरी नहीं हो सकीं। इसलिए उस समय में जो निश्चित था यह समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पे कमीशन ने यह सिफारिश की है कि अन्तरिम महंगाई भत्ता बढ़ाया जाये?

श्री जयराम वर्मा--

अब तो समय बढ़ गया है और अभी तक उस की रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक यह रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कोई अन्तरिम भत्ता सरकारी कर्मचारियों को देने का प्रयास करेंगे?

श्री जयराम वर्मा--

आज की परिस्थिति में जो सरकारी कर्मचारियों की हालत है उससे हम अवगत हैं और उन लोगों के साथ पूरी हमारी हमदर्दी है लेकिन जब तक ये सिफारिशें हमारे सामने नहीं आती हैं और सरकार उन पर विचार नहीं कर लेती है तब तक कोई निर्णय करना संभव नहीं है?

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार समिति को आदेश देने की कृपा करेगी कि समिति का जो समय बढ़ाया गया है उससे आगे अब कुछ भी समय नहीं बढ़ाया जायेगा?

श्री जयराम वर्मा--

समिति को अप्रैल के अन्त तक का समय दिया है और हम आशा करते हैं कि उस समय तक रिपोर्ट आ जायेगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पे कमेटी की जो रिपोर्ट आने वाली है उसको जिला बोर्ड, पंचायत राज और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भी लागू करने की व्यवस्था करेगी, अथवा नहीं?

श्री जयराम वर्मा--

यह तो जब रिपोर्ट आ जायेगी, तभी विचार किया जा सकता है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने समिति को आदेश दिए हैं कि सरकारी कर्मचारियों को रिलीफ देने के लिये कोई अन्तरिम रिपोर्ट दे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार कोई रिपोर्ट मांगेगी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

इस सम्बन्ध में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का प्रदर्शन रोज हो रहा है। कल ही १० हजार कर्मचारी विधान भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। उन को अन्त में यह कहा गया कि यह समिति अन्तरिम रिपोर्ट देगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस अन्तरिम रिपोर्ट देने की क्या तिथि है?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

अन्तरिम रिपोर्ट देने की तिथि नियत नहीं की गयी है लेकिन यह जरूर समिति से निवेदन किया गया है कि अन्तरिम रिलीफ के सम्बन्ध में शीघ्र ही वह अपनी रिपोर्ट दे दे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

आज की मंहगाई को देखते हुए जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने अक्तूबर, १९६४ से अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया है तो क्या सरकार निर्देश देगी कि जो मंहगाई भत्ता प्रान्तीय कर्मचारियों को दिया जाय वह पिछले अक्तूबर, १९६४ से दिया जाय?

श्री जयराम वर्मा--

यह तो रिपोर्ट आ जाने के बाद सरकार को निर्णय करना है। कमेटी को इस सम्बन्ध में कोई आदेश सरकार को देने का सवाल नहीं है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

सरकार इस सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी कि जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक मंहगाई के स्तर को देखते हुए सरकार अपने आदेश से कुछ मिनिमम मंहगाई भत्ता बढ़ा दे और रिपोर्ट आने के बाद दोनों का ऐडजस्टमेंट हो जाय?

श्री जयराम वर्मा--

यह तो अन्तरिम रिपोर्ट आने पर ही विचार हो सकता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार ने कोई निश्चित तिथि कमेटी को लिख कर दी है कि वह उस तिथि तक अपनी रिपोर्ट दे दे?

श्री अध्यक्ष--

अप्रैल के आखिर तक तिथि बढ़ा दी है तो सरकार यह आशा करती है कि अप्रैल के आखिर तक वह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी।

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने कोई निश्चित तिथि कमेटी को भेजी है जिस तिथि तक वह अपनी रिपोर्ट दे दे और अगर रिपोर्ट नहीं आई तो.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि अगर निश्चित अवधि तक रिपोर्ट नहीं आई तो सरकार क्या ऐक्शन लेगी?

श्री जयराम वर्मा--

जो समय नियत किया गया है उस समय के अन्दर ही रिपोर्ट आ जायगी इसका हमको पूरा विश्वास है।

श्री उग्रसेन--

वेतन अभीनवीनकरण के समक्ष रोडवेज तथा सिविल सप्लाइज कर्मचारियों की जो यूनियन हैं उनके पदाधिकारियों का साक्ष्य नहीं लिया गया, केवल सरकारी कर्मचारियों का सक्ष्य लिया गया इसका क्या कारण है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

कमेटी की रिपोर्ट आने पर क्या सरकार का इरादा है कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन तथा भत्ता रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से दिया जायगा ?

श्री जयराम वर्मा---

उस वक्त क्या निर्णय होगा यह तो कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले नहीं बतलाया जा सकता ।

१७ दिसम्बर, १९६३ को सर्वश्री बालोजी अग्रवाल तथा बनवारीलाल विप्र द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न १२३ का संशोधित उत्तर

मूल प्रश्न

१२३---सर्वश्री बालोजी अग्रवाल तथा बनवारीलाल विप्र---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में ५० आटोरिक्शा की जो स्वीकृति दी जाने वाली है उसके लिये कितने प्रार्थना-पत्र आर० टी० ओ०, आगरा के कार्यालय में प्राप्त हुए हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---

मूल उत्तर--

४१२ ।

संशोधित उत्तर--

४१९ ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

सैदपुर क्षेत्र के लिए नलकूप

*१---श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र, सैदपुर (जिला गाजीपुर) के बहुरा, अमेहता, गदनपुर, दाढ़ीबाढ़ी, सरइया, बैलहड़ी, महोलिया, पचरासी, और भवानीपुर (तरांव के पास), पहाड़पुर खुर्द (मवधिया के पास) मवधिया, डोरा, सादात, एकवस पट्टी (धुवार्जुन) ग्रामों में जहां की बहुत ही उपजाऊ भूमि है, राजकीय सिंचाई सुविधा से वंचित है ? क्या सरकार उक्त ग्रामों में नलकूप लगाने की योजना पर शीघ्र से शीघ्र ध्यान देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

जी हां,

इन ग्रामों में नलकूप लगाने के प्रश्न पर विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में स्थिति संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६८ पर)

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नलकूप की सिंचाई के सम्बन्ध में कितने एकड़ क्षेत्र निर्धारित किया गया है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो अलग-अलग नलकूपों में अलग अलग है। लेकिन जैसा कि मैंने रिपोर्ट में बताया है इसमें कुछ नलकूप तृतीय पंचवर्षीय योजना में और कुछ चतुर्थ योजना में लगेंगे और क्षेत्र ४०० एकड़ के करीब होता है। लेकिन हम ३०० एकड़ तक करने जा रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ६६६ एकड़ जमीन जो बच गई है, जिसके लिये सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है, वहां कौन-सा प्रबंध वह करने जा रहे हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिसमें सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं हो सकता है उस में क्या कर सकते हैं? जहां हो सकता है वहां कर रहे हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक का तो बता दिया है। इसके बाद देखा जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

इस पर आप कोई विचार करेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप कोई सुझाव दे दें तो उस को सोच लेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

जब किसी जिले में ट्यूबवेल एलाट किये जाते हैं कि वे किन-किन स्थानों पर बनाये जायं, यह आप तय करते हैं या जिले में कोई कमेटी इसे तय करती है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पहले तो प्राविधिक तरीके से देख लिया जाता है कि यहां बन सकते हैं या नहीं और जहां बन सकते हैं वहां के लिये आप लोगों से भी पूछ लिया जाता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

यह देखते हुये कि पश्चिमी जिलों में ट्यूबवेल का कमांड एरिया ३०० एकड़ है और पूर्वी जिलों में ८०० एकड़ है जिसकी वजह से यहां काफी ट्यूबवेल नहीं लग सकते हैं। इसलिये क्या मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि पूर्वी जिलों में ट्यूबवेल का कमांड एरिया ३००/३५० एकड़ कर दिया जाय?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पूर्वी जिलों में पूरा फायदा नहीं उठाया जा रहा है। यहां जो ट्यूबवेल हैं वे पूरे घंटे काम नहीं करते हैं। अगर पूरे घंटे इस्तेमाल होने लगें तो कमांड एरिया भी कम कर देंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

ट्यूबवेलों से जो पानी चलता है वह कच्ची गूलों के कारण खराब जाता है और समय भी बरबाद होता है। इसलिये जब पानी दिया जाय तो उस समय से टाइम की गिनती की जाय जब पानी खेत में पहुंच जाय जिससे किसानों पर ज्यादा बोझ न पड़े ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है कि क्या सरकार उक्त ग्रामों में नलकूल लगाने की योजना पर शीघ्र से शीघ्र ध्यान देगी ? यदि हां, तो कब तक ? लेकिन आप जनरल पालिसी पर प्रश्न करने लगे।

कानपुर रोडवेज क्षेत्र में सहायक सामान्य प्रबन्धक, श्री अनिरुद्ध पांडेय के विरुद्ध जांच

*२—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कानपुर रीजन के अन्तर्गत घाटमपुर बस स्टेशन पर वाटरब्वाय (पानी पिलाने वाला) कानपुर नगर के कालेज में स्नातक का विद्यार्थी है जिसकी उपस्थिति दैनिक रूप से कानपुर के कालेज तथा बस स्टेशन के उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं।

*३—श्री चिरंजीलाल जाटव (अनुपस्थित)—

क्या उक्त वाटर ब्वाय के कोई सम्बन्धी कानपुर के सहायक जनरल मैनेजर हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं।

*४—श्री चिरंजीलाल जाटव (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि उक्त सहायक सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध प्रदेश के उप-परिवहन आयुक्त (आपरेशन) ने किन्हीं आरोपों की जांच की और अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई और नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सहायक सामान्य प्रबन्धक श्री अनुरुद्ध पाण्डेय के विरुद्ध आरोपों की जांच जनरल मैनेजर, कानपुर रीजन ने की थी जिनकी रिपोर्ट विचाराधीन है ?

रोडवेज क्षेत्र देहरादून, में सुनीलदत्त ड्राइवर का फण्ड

*५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रोडवेज देहरादून व हरिद्वार रीजन में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें ड्राइवरों की मृत्यु के पश्चात् उनके प्राविडेंट फंड के हिसाब का भुगतान ३–४ वर्षों से नहीं हुआ है ? इतनी देरी होने का क्या कारण है और भुगतान कब तक हो जायगा ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५ श्री उग्रसेन ने पूछा।

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

केवल एक मामला है। विभाग में पहली बार इम्पलाइज प्रावीडेन्ट फण्ड योजना लागू होने तथा नियम फार्मों में पुनः पुनरावृत्तियों के कराने में कुछ विलम्ब हुआ। अब इसका भुगतान शीघ्र हो जायेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो एक मामला है वह किस ड्राइवर का है, कब से है और कितना रुपया देना है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अध्यक्ष महोदय, रुपया कितना है यह तो मालूम नहीं है लेकिन यह मामला सुनीलदत्त ड्राइवर का है जिनका देहांत जुलाई, १९६१ में हुआ था। उनकी विधवा ने १९६४ में एप्लाई किया था। जब उनकी एप्लीकेशन प्रावीडेंट फंड कमिश्नर के पास पहुंची तो उसमें कुछ गलती थी उस को दुरुस्त करने के लिये फार्म वापस कर दिया गया। यह मामला उनकी विधवा और प्रावीडेंट फंड कमिश्नर के बीच में है।

फियट गाड़ियों के परमिट

*६—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सरकारी कोटे से फियट गाड़ी का परमिट पहली जुलाई, १९६३ से लेकर १ जुलाई, १९६४ तक किस-किस को दिलाया गया है और किस आधार पर ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इस अवधि में जिनको फियट गाड़ी का परमिट दिया गया, उनकी सूची संलग्न है। जरूरत व गाड़ियों की तादाद के लिहाज से यह गाड़ियां दी गईं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६९ पर)

*७—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन विधान सभा सदस्यों ने १९६२ तथा १९६३ में फियट गाड़ी के परमिट के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे उनको अभी तक परमिट नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सन् १९६२ में ३ व सन् १९६३ में ४ विधायकों को परमिट दिया जा सका। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजयसिंह—

फियट की गाड़ियों के वितरण के सम्बन्ध में सरकार के कुछ नियम हैं और सरकार ने उनका उल्लंघन किया है और जरूरत तथा कुछ विशेष बातों को देखते हुये उनका वितरण किया है, क्या यह सही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

कोई खास नियम नहीं है। यह तो गवर्नमेन्ट के डिस्क्रीशन पर है। लेकिन मांगने वालों की संख्या ज्यादा थी और गाड़ियां कम थीं इसलिये सब को नहीं मिल पायीं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या सरकार ने परमिट देते वक्त इस बात की तसदीक कर ली है कि जिसको गाड़ी दी गयी है वह स्वयं उसको इस्तेमाल करता है या उसने दूसरों को बेंच दिया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

परमिट देने के साथ यह शर्त होती है कि २ साल तक वह गाड़ी को बेंच नहीं सकेगा, बल्कि उसको खुद इस्तेमाल करेगा।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)--

सरकार ने कहा कि उसको डिस्क्रीशन है तो उसका आधार क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जरूरत और गाड़ियों की तादाद देख कर परमिट्स का वितरण किया जाता है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

जिन ४ विधायकों को परमिट्स दिये गये हैं क्या सरकार उनका नाम बतायेगी और वे किस किस राजनीतिक पार्टी से सम्बन्धित है ?

श्री अध्यक्ष--

नाम तो सूची में दे दिये गये हैं।

श्री राजनारायण मिश्र--

जिन गाड़ियों को परमिट्स दिये गये हैं क्या उनके पास पहले से अच्छी गाड़ियां थीं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिनको परमिट्स दिये गये हैं उनमें से २ के पास आज गाड़ियां नहीं हैं और उन्होंने डिस्पोज आफ कर दी हैं। तो क्या सरकार पता लगायेगी कि उन्होंने कब डिस्पोज आफ कर दिया है और किन कारणों से कर दिया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

मेरे पास सूचना नहीं है। अगर आप सूचना देंगे तो जांच करवा लेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

क्या माननीय विधायकों को इन गाड़ियों को देने में प्राथमिकता दी जाती है ?

(मंत्री को उत्तर के लिये पुकारा नहीं गया।)

श्री विजयसिंह--

सूची में ४ एम० एल० एज० और ४ आई० ए० एस० का नाम है। तो जिन आफिसर्स को गाड़ियां दी गयी हैं उनके पास पहले से एक एक अच्छी गाड़ी थी और उनको दोबारा एलाट कर दिया गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार, एक सूची ऐसे विधायकों और बाहरी लोगों की, जिन को वह परमिट दे रही है या दे चुकी है सदन की मेज पर रखेगी ?

(मंत्री को उत्तर के लिये पुकारा नहीं गया ।)

श्री विजयसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने प्रार्थना पत्र दिये थे उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हुये उनको नम्बरवार गाड़ी देना प्रारम्भ कर दिया जाय ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सदस्यों की जरूरतों पर तो उदारता पूर्वक विचार होता ही है ।

आजमगढ़ रोडवेज वर्कशाप

*८—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज वर्कशाप, आजमगढ़ में कितनी ऐसी गाड़ियां हैं जिनके इंजन की हालत खराब है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

कोई नहीं ।

*९—श्री गयाप्रसाद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ वर्कशाप में अधिकांश गाड़ियों के इंजन में आवाज पैदा हो गई है जिससे इंजन की जिन्दगी समाप्त हो जाने की सम्भावना है ? यदि हां, तो इंजन में खराबी पैदा होने की जिम्मेदारी किस पर है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

ऐसा नहीं है अतः जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता ।

*१०—श्री गयाप्रसाद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सभी इंजन कितने मील चल चुके हैं और कितने मील चलना चाहिये ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

८–९ के उत्तर की रोशनी में प्रश्न नहीं उठना चाहिये ।

श्री गयाप्रसाद—

क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रोडवेज में जो दो किस्म की गाड़ियां चलती हैं लिलेंड और मर्सिडीज उनकी लाइफ का एवरेज माइलेज क्या है और आजमगढ़ में उस एवरेज से वह कम चली हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

साधारणतः १ लाख २५ हजार और १ लाख ७५ हजार मील चलने के पश्चात् ही रिकंडीशनिंग होती है यह मेरी जानकारी है ।

श्री गयाप्रसाद—

ये जो दो तरह की गाड़ियां चलती हैं इनके इंजिन की लाइफ का एवरेज माइलेज कितना है और क्या आजमगढ़ में उस एवरेज से कम ये गाड़ियां चली हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह जो हिसाब मैंने बतलाया है साधारणतः गाड़ियों का है। किसी खास गाड़ी के बारे में आप जानना चाहें तो बतलायें उसकी जांच कर ली जायगी।

श्री गयाप्रसाद—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि इन दोनों गाड़ियों का एवरेज माइलेज लाइफ का क्या है और उस एवरेज से ये गाड़ियां आजमगढ़ में कम चली हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मेरे पास जो जानकारी है। उसके अन्तर्गत जनवरी, १९६३ से जुलाई, १९६४ तक आजमगढ़ वर्कशाप में २८ इंजिन बदले गये। इनमें १८ इंजिन तो २ लाख किलो मीटर चलने के बाद, ३ इंजिन १ लाख ६० हजार किलो मीटर के ऊपर चलने के बाद और ७ इंजिन १ लाख १६ हजार से कम चलने के बाद उतारे गये। १८ इंजिनों का इनमें से सेलेन्डर ब्रेक हो गया था।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या यह सत्य है कि लिलैंड का १० लाख मील के बाद और मर्सिडीज का ३ लाख मील चलने के बाद ही इंजिन उतारना चाहिये ऐसी उनकी सिफारिश है, अगर है तो इससे कम पर क्यों ये इंजिन चेन्ज किये गये ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मैं अपनी सूचना बतला चुका हूं कि मरसीडीज के इंजन १ लाख २६ हजार मील और लिलैंड के इंजन १ लाख ७५ हजार मील चलने के बाद रिकंडीशनिंग के लिये उतार लिये जाते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जो इंजन इस प्रकार उतारे गये हैं उनको रिपेयर कर के फिर गाड़ियों पर लगा दिया गया अथवा वे नीलाम कर दिये गये ? यदि नीलाम किये गये तो कितना धन उन से प्राप्त हुआ ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मैंने बतलाया था कि वे इंजन मरम्मत के बाद काम में ले आये गये। यह सूचना नहीं है कि वे नीलाम किये गये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

सवाल यह है कि मरसीडीज या लेलेंड गाड़ियों की कंपनियों द्वारा एक निर्धारित माइलेज है कि उसके बाद ही इंजनों को रिकंडीशनिंग के लिये उतारा जाना चाहिये। तो उस माइलेज के पहले ही उनको उतारा गया या उसके बाद में ? और अगर वे रिपेयर के बाद नीलाम कर दिये गये तो क्या उसकी सूचना मंत्री जी के पास है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

कंपनी का क्या हिसाब है यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन विभाग से जो सूचना मिली है वह मैंने बतलायी।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप जानते हैं कि कम्पनी द्वारा जो निश्चित माइलेज है उतने माइलेज के बाद ही इंजन रिपेयर के लिये जाते हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इस के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

*११-१३—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

[हटा दिये गये ।]

रोडवेज कर्मचारियों का ओवरटाइम भत्ता

*१४—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज विभाग के कर्मचारियों को सरकारी आदेश होने पर भी ओवर टाइम स्लिप क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सरकार के कोई आदेश ओवरटाइम स्लिप देने के नहीं हैं ।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी को पता है कि लखनऊ के जनरल मैनेजर ने एक आदेश दे रखा है कि सभी बस ड्राइवरों को उनके ओवर टाइम की स्लिप दी जायगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

लखनऊ में उन्होंने क्या अरेंजमेंट कर रखा है इसकी सूचना मुझे नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि फैक्ट्री ऐक्ट के अनुसार हर ड्राइवर तथा कर्मचारी को ओवर टाइम की स्लिप दी जानी चाहिये ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

ओवर टाइम का हिसाब मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स रूल्स के नियम ३७ के हिसाब से रखा जाता है ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे कि ओवर टाइम स्लिप में भविष्य में गड़बड़ी न हो इसके लिये उचित प्रबंध किया जाय ?

(उत्तर के लिये मंत्री को पुकारा नहीं गया ।)

श्री कल्पनाथसिंह—

आये दिन कर्मचारियों की शिकायत रहती है कि निर्धारित समय से अधिक काम लिया जाता है, तो क्या सरकार उन के लिये ओवरटाइम में जो काम लिया जाता है उसके लिये कोई प्राविजन करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स के जो नियम हैं उनके नियम ३६ में यह प्राविधान है कि ओवर टाइम का एक मस्टर रोल रहेगा और जो हर किसी के इंस्पेक्शन के लिये खुला रहेगा, कोई भी उसे देख सकता है ।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी को पता है कि इसके आदेश तो जरूर हैं लेकिन ७५ फीसदी स्टेशनों में न यह रजिस्टर ही है और न उसके लिये कोई बाबू ही ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसकी कोई सूचना मुझे नहीं है ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या विभाग की तरफ से ऐसे भी कोई आदेश हैं कि किसी भी कर्मचारी को दो घंटे से अधिक समय का ओवर टाइम भत्ता न दिया जाय, भले ही उससे काम दो घंटे से ज्यादा समय तक लिया हो ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

फरही नाले पर पुल-निर्माण स्थगन

*१५—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

प्रश्नकर्ता के दिनांक २८ जुलाई, १९६४ के प्रश्न संख्या ८४–८५ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त पुल के निर्माण का कार्य, नवम्बर सन् १९६२ से जून, १९६४ तक क्यों रुका रहा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आवश्यक सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १७० पर)

*१६—श्री बृजबिहारी—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस रुकावट के कारण सामानों की क्षति भी हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं, कोई क्षति नहीं हुई ।

श्री बृजबिहारी—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि सन १९६४ में जहां पर कि पुल का निर्माण होने वाला था वहां पर पुल न बनने के कारण वहां उसके बनाने के लिये जो बालू कांकरीट आदि पड़ी थी वह सब बह गयी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना तो माननीय मिश्र जी को ज्यादा होगी, मेरी सूचना तो यह है कि वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है ।

श्री बृजबिहारी—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि जो ईंट वहां पर सन ६३ में उस पुल के लिये भेजी गयी थी वह अव्वल नम्बर की न होकर द्वितीय व तृतीय श्रेणी की है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी, माननीय मिश्रा जी ने जो बात कही है, उसको सच मानकर उसकी कोई जांच करायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं निवेदन कर दूं कि देर इसलिये हुई कि पहले जहां पर पुल बनाने की बात थी, वहां न बना कर फिर दूसरी जगह पुल बनाने की बात हुई । दूसरी जगह पुल बनाने की जब बात हुई और उसको देखा गया तो मालूम हुआ कि वहां पर पुल बनाने में लागत ज्यादा आयेगी । इस लिये अब यह तय किया गया कि पहले जहां पर पुल बनने वाला था वहीं पर अब पुल बनेगा । वह पुल अब वहां पर बन रहा है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी माननीय मिश्रा जी की बात को सही जानकर उनका लाभ उठायेंगे और उनको भी कोई पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी वगैरह बनाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

(हंसी)

(उत्तर के लिये मंत्री को पुकारा नहीं गया ।)

प्रतापगढ़ नहरी क्षेत्र में जायस रजबहा से क्षति

*१७—सर्वश्री कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित), रामकिशोर त्रिपाठी तथा चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को विदित है कि ३१ जुलाई, १९६४ को शारदा कैनाल, प्रतापगढ़ डिवीजन के जायस रजबहा के ६ मील ४ फर्लांग ६२० फुट पर बड़ी खांदी से ग्राम सभा बर्रा के गांवों, घरों, खेतों में पानी भर गया और ग्राम की समूची फसल नष्ट हो गई है ? यदि हां, तो अब तक खांदी खोदने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

खांदी होने से ग्राम जायस तथा उर्रा ग्राम के कुछ नशेब वाले खेतों में पानी भर गया था । इन खेतों में धान की फसल होने के कारण पानी भरने से कोई क्षति नहीं हुई । खांदी होने से उपरोक्त ग्रामों के किसी भी घर में पानी नहीं भरा ।

खांदी किसी कर्मचारी की असावधानी के कारण नहीं हुई अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१८—सर्वश्री कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (अनुपस्थित), रामकिशोर त्रिपाठी तथा चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि दिनांक २९ जून, १९६४ को भी इसी रजबहा के उपर्युक्त स्थान पर खांदी हुई थी, जिसे नहर विभाग के अधिकारियों ने ठीक किया था ? यदि हां, तो उसी स्थान पर पुनः खांदी होने का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

२९ जून, १९६४ को जो खांदी हुई थी वह ३१-७-६४ को हुई खांदी के स्थान से २५ फीट नीचे की ओर थी । खांदी विभाग द्वारा ठीक कराई गई ।

*१९—सर्वश्री कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (अनुपस्थित), रामकिशोर त्रिपाठी तथा चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार उपर्युक्त संकट से प्रभावित हुई जनता को मुआविजे तथा आर्थिक सहायता और सिंचाई और लगान की माफी देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

दोनों खांदियों से जनता के घरों अथवा बोई गई फसलों को कोई क्षति नहीं हुई । अतः जनता को आर्थिक सहायता तथा भूमि कर में छूट देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को देखते हुए कि इस जगह पर बराबर दो तीन मर्तबे खुदाई हो चुकी है जिस वजह वे तमाम लोगों को नुकसान पहुंचा है तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसके बार बार होने का क्या कारण है और इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

असल में चीज यह है कि यह इलाका रेतीला है । इसका प्रबन्ध किया जाता है कि नुक्सान न हो । लेकिन कभी कभी इसकी वजह से गांव तक बह जाते हैं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

जैसा कि बताया गया है कि उसमें धान की फसल बोई गई थी, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ । जुलाई के महीने तक फसल अच्छी हुई है और पानी से धान डूब जाय तो क्या नई व्यवस्था या नये धान का प्रयोग हो रहा है, जिससे धान की फसल खराब न हो ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

सबसे बड़ी बात तो यह है कि गांववालों ने लिखकर दिया है कि कोई नुक्सान नहीं हुआ है ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार से जो नहर का पानी आ गया और उससे जो किसानों के खेतों को नुक्सान हुआ और उनसे कर्मचारियों ने लगान भी मांग लिया, इस प्रकार से जो लगान मांगा गया उनको खत्म करने की कोशिश सरकार करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जैसा मैंने कहा कि जहां धान की फसल थी वहां से थोड़े दिनों में पानी निकल गया । गांववालों ने लिखकर दिया है कि कोई नुक्सान नहीं हुआ ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमान्, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई नुक्सान नहीं हुआ मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रजबहे के जो आफिसर्स हैं उन्होंने किस महीने इसकी रिपोर्ट की है, कितने हजार क्युबिक फीट पानी बह गया और कोई नुक्सान हुआ या नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

एक नहर से गांव में पानी भर गया । भरने के बाद एक नाले से निकल गया । उसमें रिपोर्ट की क्या बात है । मैंने पहिले ही बताया है कि गांव वालों ने लिखकर दे दिया है कि कोई नुक्सान नहीं हुआ है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पानी भरा हुआ था उन खेतों में, उसी पानी के कारण उनसे सिंचाई कर भी लिया जा रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इस पानी के कारण नहीं ।

श्री बी० एन० बालिगा, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, द्वारा कर्मचारियों का निलम्बन हाइडिल डिवीजन, फैजाबाद

*२०—श्री ईश्वर शरण (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री बी० एन० बालिगा, वर्तमान सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, हाईडिल डिवीजन, फैजाबाद ने अपने इस पद के कार्यकाल में कितने कर्मचारियों को सस्पेंड किया तथा उनके मामलों में कितनी अवधि में फैसला किया ? उनमें से कितनों ने अपील की, कितने बहाल हुये और सरकार द्वारा कितने कर्मचारियों को पूरा वेतन देकर बहाल किया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्री बी० एन० बालिगा, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हाईडिल सर्किल, फैजाबाद के कार्यकाल में ९ व्यक्ति सस्पेंड हुये । इनसे संबंधित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १७१ पर)

*२१—श्री ईश्वरशरण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री बी० एन० बालिगा, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, हाईडिल डिवीजन, फैजाबाद को सरकार द्वारा विदेश भेज कर Thomson Boiler Erection की ट्रेनिंग दिलाई गई और उनके वापस आने पर उन्हें Thomson Boiler जो कि प्रान्त में हरदुआगंज में है, वहां न भेजकर फैजाबाद में ही नियुक्त किया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्री बी० एन० बालिगा की स्टीम स्टेशन के एरेक्शन आपरेशन तथा मेंटिनेन्स की ट्रेनिंग ब्रिटिश कौंसिल ने सर्वश्री जान थामसन द्वारा करवाई थी । मैसर्स जान थामसन के वर्क्स में बायलर मन्युफैक्चरिंग का उन्होंने १५ दिन काम देखा । उनकी नियुक्ति हाइडिल सर्किल, फैजाबाद में इसलिये की गई क्योंकि वहां पर ३ बड़े स्टीम स्टेशन थे ।

श्री ईश्वरशरण—

श्रीमन्, इसमें बताया गया है कि ९ आदमियों को सस्पेन्ड किया गया । इसमें से तीन आदमी बहाल कर दिये गये । दो आदमियों का केस अभी तक चल रहा है । तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहिले श्री ए० आर० चौधरी, ये लाईन इंस्पेक्टर थे, इनको सस्पेन्ड किया गया १-८-१९६२ को । इनको बहाल किया गया २५-४-१९६३ को । नौ महीने में इनको बहाल किया गया । तो क्या श्रीमन्, नौ महीने के बाद बहाल करने से जो सरकार को क्षति पहुंची है, उसकी उनको तनख्वाह भी देनी पड़ी और उनसे काम भी नहीं लिया गया । जिन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर महोदय ने सस्पेन्ड किया, क्या वह उनकी तनख्वाह से वसूल किया जावेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसका कोई सवाल नहीं है ।

श्री ईश्वरशरण—

जब उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं था तो उन्हें ससपेन्ड क्यों किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उनके ऊपर करप्शन का चार्ज था ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मुअत्तल करने से पूर्व क्या यह जांच करा ली गई थी कि उनके खिलाफ प्राईमा-फेसी केस है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसके बाद ही सस्पेन्ड किया गया था ।

*२२-२३—श्री ऊदल—

[वापस ले लिये गये ।]

वाराणसी तहसील में गांवों को बिजली

*२४—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गांव थानेरामपुर, देवधुआ, हसनपुर, हरदुआ, गांगकलां, तहसील व जिला वाराणसी में बिजली लगाने पर सरकार विचार कर रही है और क्या देवधुआ तथा गांगकलों का सर्वे हो चुका है और सरकार ने वहां बिजली लगाना मंजूर कर लिया है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य हो जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिला वाराणसी के ग्राम गांगकलां को विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और १९६५-६६ में इसका विद्युतीकरण होने की संभावना है । शेष ग्राम अर्थात् थानेरामपुर, दवेधुआ, हसनपुर और हरदुआ का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है । इन ग्रामों का विद्युतीकरण राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित मापदन्ड के अनुसार जिसमें कि १००० जनसंख्या पर १ १/२ मील लम्बी ११ के० वी० लाइन बनाई जाती है, संभव पाया जायगा तो विद्युतीकरण कर दिया जायगा ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्रीजी को ज्ञात है कि इन गांवों में १ फर्लांग भी लाइन ले जाने की जरूरत नहीं है और इनकी आबादी १ हजार से अधिक है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो कहा है कि अगर इस मापदन्ड में वे आते हैं तो बिजली लगा देंगे ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्रीजी इन गांवों को ६५-६६ में सम्मिलित करने की कृपा, मेरी सूचना को कि वहां लाइन है सही मान कर, करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

माननीय सदस्य की बात को सही मानकर ही तो मैंने कहा कि अगर इस मापदंड में आ गये तो जरूर बिजली दे देंगे ।

देहरादून में ट्रैफिक कर्मचारियों का भत्ता

*२५—सर्व श्री श्रीराम (जिला बिजनौर) तथा मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पांच मील के बाद रोडवेज के ए० टी० आइयों को जो १९५६ से दैनिक भत्ता दिया जाता था वह मई, १९६४ से किस कारण देहरादून में रोका गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

भत्ता रोका नहीं गया है । कुछ टी० ए० बिल भुगतान के लिये शेष हैं ।

*२६—सर्व श्री श्रीराम तथा मन्नालाल—

ट्रैफिक कर्मचारियों को जो मुस्तकिल नहीं किये गये हैं किस कारण से छुट्टियां कम दी जाती हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

१-११-६० या उसके बाद स्थायी किये गये ट्रैफिक शाखा के कर्मचारियों तथा अस्थायी कर्मचारियों को छुट्टी नौकरी की नई शर्तों के अनुसार दी जाती है। यह छुट्टियां १-११-६० से पहले के स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों से कम हैं क्योंकि उनको छुट्टियां अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलती हैं।

श्री श्रीराम—

क्या यह सही है कि इन क्लर्कों को जंगल से लकड़ी लाने से कन्डक्टर और ए० टी० आइयों ने रोका, इसलिये उनका भत्ता रोक रखा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

माननीय सदस्य लिखकर दे दें तो जांच करा ली जायगी।

सिकरी ग्राम में नलकूप न लग सकना

*२७—श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ अथवा १९६३-६४ में बदायूं जिले की तहसील बिसोली के ग्राम सिकरी में कोई ट्यूबवेल लगाने का निश्चय शासन द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो फिर वहां पर सरकार द्वारा सामान पहुंचाने के बाद ट्यूबवेल क्यों नहीं बनाया गया ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—स्थिति यह है कि इस ग्राम में एक नया नलकूप लगाने का प्रस्ताव था और इसके निर्माण के लिये आवश्यक कल पुर्जे तथा सामान स्थल पर पहुंचा दिये गये थे। लेकिन नय नलकूप की बोरिंग शुरू होने के पूर्व ही सरकार सीकरी ग्राम में स्थित नलकूप संख्या २१, ग्रुप बिसौली अचानक फेल हो गया। यह ज्यादा जरूरी समझा गया कि पहिले फेल हुए नलकूप पर कार्य किया जाये। अतः इस नलकूप के पुनः निर्माण का कार्य किया जा रहा है और नये नलकूप के निर्माण कार्य फिलहाल रोक दिया गया है।

इलाहाबाद जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*२८—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि इस समय इलाहाबाद जिले में जो आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं उनकी शैक्षणिक योग्यतायें क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १७२ पर)

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या इन १३ मैजिस्ट्रेटों में कोई पिछड़े या हरिजन वर्ग का है ?

श्री जयराम वर्मा—

यह पूछा नहीं गया था।

श्री नाथूराम शिक्षक—

इस सूची में सभी पुराने जमींदार और नम्बरी पूंजीपति हैं जिस से न्याय में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

इनकी नियुक्ति के लिये कोई योग्यता है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अलीजहीर)—

जी हां, क्वालीफिकेशन्स हैं। ५६ के पहले यह था कि या तो हाईस्कूल के बराबर कोई इम्तहान पास हो या उसमें इतनी सलाहियत हो कि अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू में तजवीज लिख सकता हो और गवाही लिख सकता हो। लेकिन ५६ के बाद यह बदल दिया गया और उसमें यह रख दिया गया कि कम से कम हाईस्कूल का इम्तहान पास हो और उसके साथ-साथ तजवीज हिन्दी या अंग्रेजी में अपने हाथ से लिख सकने की सलाहियत हो।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इन १३ में से कितने व्यक्ति हाई स्कूल पास हैं और कितने व्यक्ति हाई स्कूल पास नहीं हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो हाई स्कूल तक पढ़ा है शेष सब हाई स्कूल से ऊंचे इम्तहान पास हैं। पहले एक जो हैं वे सन् ५६ के पहले के हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन मैजिस्ट्रेटों में कितने ऐसे हैं जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के सही सबूत लिखे रखे हैं ? यदि ऐसे हैं तो क्या मंत्री जी उनको फिर से न चुनने का निर्णय लेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री को पुकारा नहीं गया।)

श्री राधेश्याम शर्मा—

जो मैजिस्ट्रेट हाई स्कूल पास नहीं हैं, क्या मंत्री जी उनको निकालने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—

मेरे पास जो लिस्ट है उसके अनुसार तो कोई एम० ए० हैं, कोई बी० एस० सी हैं, कोई एम० ए० एल-एल० बी० हैं, सिर्फ एक सज्जन ऐसे हैं जो हाई स्कूल पास नहीं हैं लेकिन वे सन् ५६ के पहले से हैं, चले आ रहे हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

इन लोगों का एप्वाइंटमेंट तो हर साल होता है तो एक बार टर्म्स खत्म हो जाने पर फिर क्यों ५६ के बाद उनके एप्वाइंटमेंट्स किये गये ?

श्री सैयद अली जहीर—

जिनका काम और रिपोर्ट अच्छी होती है उनका टर्म बढ़ा दिया जाता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति में पक्षपात होता है और जनता को सही न्याय भी नहीं मिल पाता है, इस बात पर विचार करेंगे कि अवैतनिक मजिस्ट्रेटों को समाप्त कर दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर—

जिनके खिलाफ शिकायत होती है, उनके विरुद्ध जांच की जाती है और अगर उनके खिलाफ कोई चीज साबित हो जाती है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जाती ह ।

आजमगढ़ जिले से पानी निकासी हेतु प्रार्थना-पत्र

*२९—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २ अगस्त, १९६४ का लिखा हुआ ग्राम सभा मिसरौली, बयरासी, सेमूरी, जमालपुर, मझवारा, बेला, सुल्तानपुर, सरवानपुर, गोडसेरा, लुघुही, मुंगेसर, मूगमाऊ, फिरोजपुर, मेलाबांध, कसारा, जयरामगढ़ आदि के प्रधानों तथा ब्लाक प्रमुख कोपागंज के हस्ताक्षर से पानी की निकासी हेतु प्रार्थना-पत्र उन्हें तथा जिलाधीश आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*३०—सर्वश्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा राम सुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामसुन्दर पांडेय सदस्य, विधान सभा द्वारा भेजा हुआ दिनांक ५ सितम्बर, १९६४ का उन्हें कोई पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कई गांव सभाओं के अध्यक्षों तथा जनता द्वारा पानी की निकासी की योजना लागू करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही हुई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसा कोई पत्र आया हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

दूसरा भाग—प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिमी जिलों के लिए हाई कोर्ट बेंच की मांग

*३१—सर्वश्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर), अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल) तथा कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के पश्चिमी अंचल की जनता को सस्ता न्याय मिलने के लिये क्या सरकार उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक शाखा बुलन्दशहर या मेरठ या अलीगढ़ या आगरे में स्थापित करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

जी नहीं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की तकलीफ गवारा करेंगे कि जब इलाहाबाद प्रदेश के मगरबी जिलों से बहुत दूरी पर है और वहां तक मगरबी जिले के लोगों को पहुंचने में इन्तहाई कठिनाई होती है तथा सस्ता न्याय मिलने में कठिनाई है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक शाखा उधर स्थापित करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, यह मामला कई दफा इस सदन में आ चुका है और उस पर बहस भी हो चुकी है तथा उसका जवाब भी दिया जा चुका है। मैं समझता हूं कि आम तौर से तमाम दुनिया का यह खयाल है कि अगर हाई कोर्ट अलग-अलग हो जायेंगे तो उसमें उस तरह का काम नहीं हो सकेगा जैसा कि हाई कोर्ट में होना चाहिये। आमतौर से एक स्टेट में सिर्फ एक ही हाईकोर्ट होता है। यह तो इत्तफाक की बात है कि इस सूबे में दो जगह हाईकोर्ट है और बाज सूबों में या तो किसी हिस्टारिकल वजह से या किसी पुरानी बात की बदौलत वहां हाईकोर्ट खोले गये हैं। यह तयशुदा बात है कि एक सूबे में एक ही हाईकोर्ट होता है। जहां तक मुअक्किलों के हाईकोर्ट में जाने पर खर्चा व परेशानी की बात है, हाईकोर्ट में मुअक्किल के जाने की जरूरत नहीं होती है। उसकी तरफ से वकील होता है जो उसके मुकदमें की बहस करता है।

तमाम हिन्दुस्तान के लिये एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो एक ही जगह है। उसकी बेंच और जगह नहीं होती। उसी तरह से जहां हाईकोर्ट होता है वहां लाइयर्स व जजों की सहूलियत के लिये लाइब्रेरी आदि की सहूलियत होती है और वहां उसी तरह का एक ऐटमासफीयर होता है जिस से वे सही तरीके पर मुकदमें का फैसला करते हैं। अगर हर जगह हाईकोर्ट की शाखा खोल दी जाय तो उनका काम करने में दिक्कतें होंगी। इस मसले पर कई दफा गौर किया गया कि कम से कम हाईकोर्ट एक ही जगह होना चाहिये। वरना बार-बार उन्हें जगह बदलना पड़ेगा और वहां बैठना पड़ेगा जिस से सही तरीके से काम नहीं चल सकेगा।

नहरी गूलें पक्की करने का सुझाव

*३२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि नहरी पानी की कच्ची गूलों से लगभग २५ प्रतिशत पानी व्यर्थ हो जाता है जिस से कि लगभग २५ प्रतिशत सिंचाई कम होती है, क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाने पर ध्यान देगी जिस से कि नहर के पानी की कच्ची गूलों को पक्का बनवाया जाय ताकि सिंचाई अधिक भाग में हो सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गूलों को कच्चा या पक्का बनाने की जिम्मेदारी सम्बंधित कृषकों की है न कि सरकार की। अतः सरकार द्वारा कच्ची गूलों को पक्का बनवाने का प्रश्न नहीं उठता।

*३३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

यदि हां, तो क्या सरकार इसका एक पायलेट प्रोजेक्ट विधान सभा क्षेत्र स्याना (जिला बुलन्दशहर) में स्थापित करने पर ध्यान देगी जिस से वहां की नहरी क्षेत्रफल की उन्नति हो सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब नलकूपों की नालियां पक्की बनवायी गयीं तो नहरों की नालियां पक्की क्यों नहीं बनवायी जातीं, जब कि सरकार भी इस चीज को मानती है कि कच्ची गूलों की वजह से २५ परसेंट पानी जाया हो जाया करता है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नहरें बहुत सी पक्की भी होती हैं लेकिन जहां तक गूलें हैं वे कच्ची हैं। जहां तक ट्यूबवैल की बात है उसका पानी एक लिमिटेड होता है तथा उसका रेट व सिस्टम भी दूसरा है। जहां तक नहरों की गूलों के पक्की बनाने की बात है उसमें बहुत ज्यादा रुपया खर्च होगा और जमीनें भी

एक्वायर करनी पड़ेंगी और उसी हिसाब से सिंचाई के रेट में भी तब्दीली करनी पड़ेगी। इसलिये यह काम ठीक नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उनको यह मालूम है कि नहरों की गूलें खराब होने की वजह से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाता है, तो ऐसी हालत में वे कोई इस प्रकार का आदेश प्रसारित करेंगे नहर विभाग के अधिकारियों को कि वे तमाम गूलें ठीक से बनायी जायं ताकि पानी बर्बाद न हो ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पिछली दफा इस सदन ने यह कानून पास किया था कि गूलों को काश्तकार पक्की बना सकते हैं लेकिन जिन गूलों को काश्तकार नहीं बना सकेंगे उनको नहर विभाग पक्की बनवा देगा लेकिन उसका रुपया काश्तकारों से वसूल कर लिया जायगा।

भैरवपुर अल्पिका में जल की कमी

*३४—श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगे कि भैरवपुर नहर माइनर में जो कि अमेठी, जिला सुल्तानपुर क्षेत्र में है, सातवें मील के आगे पानी क्यों नहीं जाता जबकि नहर खुदे आज चार वर्ष पूरे हो गये ?

श्री गिरधारीलाल—

यह माइनर १९६१-६२ में पूर्ण हुई। इस प्रकार इसको बने केवल तीन वर्ष हुये। चूंकि मुख्य शारदा नहर में गत दो वर्षों में पानी की कमी थी इसलिये इस माइनर के निचले भाग में पानी की कमी रही। परन्तु इस वर्ष पानी अन्त तक पहुंच रहा है।

*३५—श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त नहर में ७ मील १ फर्लांग पर ग्राम रामगढ़ के निकट एक पुल बनाया गया है तथा एक साइफन भी लगाया गया है परन्तु वह काम नहीं करते ?

श्री गिरधारीलाल—

इस माइनर के ७ मील २ फ० १५० फीट पर एक साइफन और ७ मील २ फ० पर एक पुल बनाया गया है। यह ठीक काम कर रहे हैं।

*३६—श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मौसिमपुर डिस्ट्रीब्यूटरी में उसकी पूरी लम्बाई में पानी क्यों नहीं आता ?

श्री गिरधारीलाल—

अमेठी डिस्ट्रीब्यूटरी की प्रस्तावित लम्बाई २५ मील ६ फर्लांग की खुदाई पूरी हो गई है। इसके २५ मील २ फ० २८० फीट पर, रायबरेली-प्रतापगढ़ रेलवे लाइन में कलवर्ट बनाना बाकी है उसके बनते ही मौसिमपुर ग्राम में जो रेलवे लाइन के पार स्थित है, पानी पहुंचने लगेगा।

नोट—तारांकित प्रश्न ३३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सयाना क्षेत्र में नहरी पानी की बार बन्दी

*३७—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र सयाना, जिला बुलन्दशहर में चकबन्दी के पश्चात् कितने गांवों में अब तक नहर के पानी की वारबन्दी हो गई है और कितने एकड़ भूमि को किन-किन ग्रामों में नहर के सिंचाई क्षेत्र से निकाला गया है और किस आधार पर निकाला गया ?

श्री गिरधारीलाल—

सयाना निर्वाचन क्षेत्र में छः ग्रामों अर्थात् रानापुर, विगरांव, सयाना, सुलेला, रवानी कटीरी तथा इक्लेडों के १८ कुलाबों पर वार-बन्दी पूर्ण हो चुकी है ।

कोई रकबा वारबन्दी बनाते समय नहरी कमांड से नहीं निकाला गया है ।

रोडवेज कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

*३८—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज विभाग के कर्मचारियों के रहने के लिये वह क्वार्टरों को बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अभी तक केवल रोडवेज कार्यशाला के कुछ कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था है और साधनों के अनुसार उसे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है । अन्य शाखाओं के कर्मचारियों के लिये अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

*३९—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या सरकार जब तक क्वार्टर नहीं बन जाते हैं तब तक वेतन का दस प्रतिशत उन्हें मकान भत्ता देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है ।

*४०—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या सरकार रोडवेज विभाग के बस के हाल्टिंग स्टेशनों पर रेस्ट रूम की व्यवस्था करवाने जा रही है ? यदि हां, तो जब तक रेस्ट रूम नहीं बन जाते तब तक के लिये कोई किराये का मकान लेकर रेस्ट रूम की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

धीरे-धीरे आवश्यक स्थानों पर रेस्ट रूम की व्यवस्था की जा रही है । किराये का मकान लेकर रेस्ट रूम की व्यवस्था करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता ।

सयाना क्षेत्र में सिंचाई

*४१—सर्वश्री कमलासिंह यादव तथा मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सयाना, जिला बुलन्दशहर में जो नहरें या रजबहे सिंचाई करते हैं वह १ जनवरी, सन् १९६४ से ३० जून, १९६४ तक कितने-कितने हफ्ते प्रत्येक मास चलाये गये तथा कितना क्षेत्र सिंचित किया ?

श्री गिरधारीलाल—

स्याना निर्वाचन क्षेत्र में सींच करने वाले रजबहों के नाम और १ जनवरी, १९६४ से ३० जून, १९६४ तक प्रत्येक माह में चलने के सप्ताहों की संख्या का विवरण संलग्न तालिका 'अ' में दिया गया है। रजबहों या माइनरों से प्रत्येक माह होने वाली सिंचाई का कोई ब्योरा नहीं रखा जाता है। इन रजबहों द्वारा रबी १३७१ तथा खरीफ १३७२ फसली में सिंचित किये गये क्षेत्र के आंकड़े संलग्न तालिका अ में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १७३ पर)

*४२—सर्वश्री कमलासिंह यादव तथा मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त नहरों व रजबहों से १ जनवरी, १९६३ से ३० जून, १९६३ तक कितना क्षेत्र सिंचित किया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना संलग्न तालिका 'ब' में दिया गया है।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ १७४ पर)

रोडवेज कर्मचारियों को वर्दी

*४३—श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज विभाग के कर्मचारियों को वह सामयिक वर्दियां देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुजफ्फर हसन—

नियमानुसार वर्दियां दी जावेंगी। जाड़ों की वर्दी का कपड़ा दिया गया है।

रोडवेज कर्मचारियों का वर्दी भत्ता

*४४—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह रोडवेज विभाग के ड्राइवरों, कन्डक्टरों, सहायक यातायात निरीक्षकों को वर्दियों की सिलाई बाजार भाव से सबको समान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

रोडवेज विभाग के ड्राइवरों, कन्डक्टरों, सहायक यातायात निरीक्षकों को वर्दियों की सिलाई सरकार द्वारा निर्धारित सिलाई दरों के अनुसार दी जाती हैं। इसका बाजार भाव से कोई सम्बन्ध नहीं है।

*४५—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार यह बताएगी कि रोडवेज विभाग के ट्रैफिक व वर्कशाप के कर्मचारियों को धुलाई भत्ता समान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

धुलाई भत्ते की दरों पर पुनः विचार पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात् सम्भव होगा।

*४६—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि रोडवेज विभाग के ड्राइवरों, कन्डक्टरों को नाइट एलाउन्स समान नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार समान नाइट एलाउन्स देने का आदेश दे रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

दोनों को एक समान रात्रि भत्ता नहीं दिया जाता है चूंकि ड्राइवर तकनीकी व्यक्ति होता है और कन्डक्टर की अपेक्षा उसके कार्यभार की जिम्मेदारी अधिक होती है।

रोडवेज विभाग में क्षतिग्रस्त वस्तु की वापसी

*४७—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि रोडवेज विभाग में क्षतिग्रस्त वस्तु के मूल्य की रिकवरी कर लेने पर भी क्षतिग्रस्त वस्तु उन्हें वापस नहीं दी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे वापस दिलाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। यह प्रश्न विचाराधीन है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले में बिजली

*४८—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को पता है कि वर्तमान जिला बस्ती में कई वर्षों से बिजली वाली मशीन लग चुकी है और लोगों के अपने मकानों में फिटिंग करवाने के बाद उन लोगों को अभी तक कनेक्शन न देने का क्या कारण है तथा यह कनेक्शन कब तक दे दिया जायगा?

श्री गिरधारी लाल—

बस्ती जिले में बिजली के कनेक्शन लगातार दिए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को आवश्यक कार्यवाही के पूर्ण करने पर शीघ्र कनेक्शन दिया जाता है। पिछले ६ माह में दिए गए कनेक्शनों का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १७५ पर)

बड़हलगंज बस स्टेशन

*४९—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया २४ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ के उत्तर में बताएंगे कि अब तक इस संदर्भ में क्या-क्या कार्यवाही की गई और यह बस स्टेशन अब तक क्यों नहीं बनाया गया?

श्री मुजफ्फर हसन—

बड़हल गंज बस स्टेशन के लिए पहले नारकोटिक्स विभाग की इमारत व जमीन लेने की कोशिश की गई परन्तु काफी लिखा-पढ़ी के पश्चात् भी वह नहीं मिल सकी। इसके पश्चात् एक अन्य स्थान को देखा गया परन्तु यह ठीक नहीं पाया गया। अब एक तीसरी जगह चुनी गई है जिसके प्राप्त करने के लिए प्रधान प्रबन्धक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उपर्युक्त भूमि न मिलने के कारण इस बस स्टेशन को अभी तक नहीं बनाया जा सका।

बड़हलगंज-डेवा सड़क की भूमि

*५०—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया दिनांक २४ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सड़क में पड़ने वाली भूमि का मुआविजा अभी तक दिया गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों और यदि दिया गया है, तो किस रेट से?

श्री गिरधारीलाल—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

इलाहाबाद जिले में असिक्त क्षेत्र

*५१—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सिंचाई मन्त्री यह कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले के चायल, मन्झनपुर तथा सिराथू तहसीलों में ऐसे खेत कितने रह गए हैं जहां सिंचाई व्यवस्था के अभाव के कारण गत रबी फसल में कुछ भी पैदा नहीं हुआ और उनका क्षेत्रफल क्या है?

श्री गिरधारीलाल—

ऐसे खेतों की संख्या बताना सम्भव नहीं है क्योंकि विभाग में उन खेतों के आंकड़े नहीं रखे जाते जो कि सिंचाई सुविधा से वंचित होते हैं।

चूंकि ऐसे खेतों का विवरण विभाग द्वारा नहीं रखा जाता, यह कहना सम्भव नहीं है कि गत रबी फसल में ऐसे खेतों में कैसी पैदावार हुई और उनका क्षेत्रफल क्या है।

*५२—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि सम्बन्धित खेत के मालिकों को क्या सहायता दी गई?

श्री गिरधारीलाल—

चूंकि विभाग ऐसे खेतों का कोई ब्योरा नहीं रखता उन खेतों के मालिकों को विभाग द्वारा सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गोंडा जिले से जल निकासी के लिए प्रार्थना-पत्र

*५३—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम तकियानूर अली, मरामूले मझनवा, अगना, तहसील उतरौला, जिला गोंडा के निवासियों का कोई पत्र अगस्त, १९६४ में जिलाधीश गोंडा द्वारा इस विषय का प्राप्त हुआ है कि उनके गांव में पानी भर गया है जिससे जनता और जानवरों को एक संकट पैदा हो गया है और पूरी फसल नष्ट हो गई है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की?

श्री गिरधारीलाल—

ग्राम तकिया नूर अली के निवासियों का एक प्रार्थना पत्र दिनांक ११-७-६४ जिलाधीश, गोंडा, को प्राप्त हुआ था। जांच के पश्चात् पता चला कि ग्राम में पानी तो नहीं पहुंचा परन्तु लगभग ३०० एकड़ खेती की भूमि में पानी अवश्य चढ़ गया था। यह पानी एक दिन और रात में हट गया अतः कोई उल्लेखनीय हानि नहीं हुई। यह गांव राप्ती नदी के बाढ़ क्षेत्र में है अतः पानी निकालने के लिए कोई जलोत्सारण योजना व्यवहार्य नहीं है।

रैनी बांध

*५४—श्री श्रीराम—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि बिजनौर जिले में रैनी डैम क्या प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में गत पांच वर्षों से टूट जाता है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं।

*५५—श्री श्रीराम—

यदि प्रति वर्ष रैनी बांध टूटता है या पांच वर्षों में किसी एक या दो-तीन बार टूटता रहा है तो बार-बार इस बांध के पुनः बनवाने में क्या व्यय हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता।

*५६—श्री श्रीराम—

उपर्युक्त व्यय के एस्टीमेट क्या थे टेन्डर कितने किस भाव के आए और किस-किस व्यक्ति के नाम, किस-किस राशि के टेन्डर पर प्रति बार ठेका दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता।

सरजू नहर योजना

*५७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २ वर्ष पूर्व आर्थिक संकट के कारण सरजू नहर परियोजना जो स्थगित कर दी गई थी, वह पुनः चालू होने जा रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

सरजू नहर योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जाय अथवा नहीं यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

बांसगांव तहसील में बिजली

*५८—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के बाढ़ग्रस्त इलाकों में किन-किन गांवों को बिजली देने का सर्वेक्षण कर लिया गया है और किन-किन गांवों का बाकी है तथा वह कब तक पूरा होगा और उन्हें कब तक बिजली दी जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ १७६–१७७ पर)

पटियाली क्षेत्र में बिजली

*५९—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या विद्युत् मन्त्री ग्राम रम्पुरा एवं हथौड़ावन विकास क्षेत्र पटियाली, जिला एटा को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित करके दोनों ग्रामों का विद्युतीकरण कराने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—

इन दोनों ग्रामों को ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण होने की संभावना है

बैगुल बांध निर्माण

*६०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहगुल डैम, जिला नैनीताल पर कब कार्य आरम्भ होने वाला है, उस पर कितना व्यय होगा और अब तक कितना व्यय हो चुका है?

श्री गिरधारीलाल—

बैगुल बांध पर निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा १,४३,९३,३८१ (एक करोड़, तितालीस लाख, तिरानबे हजार, तीन सौ इक्यासी रु०) की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है और नवम्बर, १९६४ तक ८.४३ लाख रु० खर्च हो चुका है।

शाहजहांपुर जिले में नलकूप

*६१—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि निम्नलिखित गांवों में सरकारी ट्यूबवेल कब तक लग सकेंगे—(क) मौजा जैनुद्दीन नगर, जिला शाहजहांपुर, (ख) मौजा शाहबाजनगर, जिला शाहजहांपुर, (ग) मौजा सआदतनगर, जिला सीतापुर?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—मौजा जैनुद्दीन नगर, शाहजहांपुर में सर्वे हो रहा है और उसकी समाप्ति पर ही कहा जा सकता है कि वहां एक सरकारी नलकूप लगाने की आवश्यकता है कि नहीं।

द्वितीय भाग—मौजा शाहबाजनगर, जिला शाहजहांपुर में एक नलकूप बनाने की योजना है। यह नलकूप मार्च, सन् १९६६ तक बनाया जा सकेगा।

तृतीय भाग—मौजा सआदतनगर, जिला सीतापुर में नलकूप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

*६२-६३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[हटा दिये गये।]

*६४-६५—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—

[२रे शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ६६-६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बांदा जिले में बस अड्डों का निर्माण

*६६—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वे, जिला बांदा में जरूरी बस अड्डे, ग्राम करतल व कालिंजर तथा नरैनी में इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बनाने का विचार रखते हैं तथा देवरार व गिरवां तथा नहटी में बस स्टैंड बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

करतल, कालिंजर व नरैनी में बस के अड्डे किराए के मकानों में पहले से ही कायम हैं। कालिंजर में प्रश्नकर्ता ने बस स्टेशन की इमारत के लिए भूमि देने को कहा है अतः वहां बस स्टेशन बनाने पर विचार हो रहा है। देवरार तथा गिरवा नहरी फेयर स्टाप है। यहां बुकिंग आफिस बनाने की जरूरत मालूम नहीं होती।

बांदा जिले में बस सर्विस

*६७—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा में बसों की कमी के कारण वे राइट टाइम में नहीं जा पातीं ? यह कमी सरकार कब तक दूर करने का विचार रखती है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अधिकांश बसें समय से ही चलती हैं। कभी-कभी उपशामय परिस्थितियों (extenuating circumstances) में किन्हीं बसों का संचालन समयानुकूल नहीं हो पाता है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर रोडवेज क्षेत्र में ड्राइवर इन्स्ट्रक्टर्स का भत्ता

*६८—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभाग के आदेश संख्या ८३५—एफ० पी० टी/११५ (१) आर० ई० एस० टी०—६३, लखनऊ, दिनांक ७ फरवरी, १९६४ के क्रम में जनरल मैनेजर, कानपुर के आदेश क्रमांक के आर० (ई० एस० टी०)/३१ (६३)—९१९—पी० सी०, कानपुर, दिनांक ११ फरवरी, १९६४ के अनुसार कानपुर रीजन के कितने ड्राइवर २ एम० टी० ड्राइवर्स ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद में इन्स्ट्रक्टर बना कर भेजे गये और वे वहां कब से कब तक रहे ?

*६९—क्या यह सही है कि उक्त ड्राइवर्स इन्स्ट्रक्टर्स को उक्त अवधि का कोई भी टी० ए० अथवा डी० ए० नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा उनके उक्त टी० ए० एवं डी० ए० कब तक दे दिये जायेंगे।

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जैतीपुर क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता

*७०—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को पता है कि जिला शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर में ग्राम खेड़ा बझेड़ा, गठियारंगी, खमरिया, जरिगवा, जौरा तथा अन्य कई ग्राम १,००० से अधिक आबादी के हैं और इन ग्रामों में कई-कई उद्योग हैं फिर भी बिजली नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

ये ग्राम वर्तमान ११ के० वी० लाइनों से बहुत दूर पर स्थित हैं और राज्य विद्युतपरिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार, जिसमें १,००० जनसंख्या पर १ १/२ मील लम्बी ११ के० वी० लाइन बनाई जा सकती है इस समय सम्भव नहीं है।

हाइड्रो-इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, उरई में जैराम की मृत्यु

*७१—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उरई, जिला जालौन में विद्युत विभाग के कर्मचारी श्री जगराम की मृत्यु लाइन इन्सपेक्टर द्वारा ट्रान्सफार्मर चालू कर देने से हो गई ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त लाइन इन्सपेक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल—

श्री जैराम (न कि जगराम) की मृत्यु दिनांक १४–९–६४ को हाईड्रो इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, उरई में कार्य करते समय अचानक बिजली के धक्का लगने से हुई न कि लाइन इन्सपेक्टर द्वारा ट्रांसफार्मर चालू करने से ।

*७२—श्री परमाई लाल—

उक्त कर्मचारी श्री जैराम के परिवार को सरकार द्वारा क्या क्षतिपूर्ति की गई ?

श्री गिरधारीलाल—

श्री जैराम के परिवार को मुआवजा तथा पारिवारिक पेन्शन देने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, और मुआवजा कमिश्नर द्वारा निर्णय लेने पर तुरन्त मुआवजा देने के लिये कार्यवाही की जायगी ।

आगरा क्षेत्र में नहरी पुलों की मरम्मत

*७३—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहर आगरा निरीक्षण भवन शेखसाई से लगाकर आगरा तक कितने पुल ऐसे हैं जिनकी मरम्मत १९६२ से नवम्बर, १९६४ तक नहीं कराई गई ? यदि की गई, तो इनमें कितना व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—

सामान्यतः नहर की वार्षिक मरम्मत के साथ सभी पुलों की थोड़ी बहुत मरम्मत प्रतिवर्ष की जाती है । इसका कोई ब्योरा अलग से नहीं रखा जाता है। नहर के ५५वें मील पर स्थित कोसी पुल की विशेष मरम्मत पर १९६२–६३ में १,२७७ रुपये व्यय हुए ।

*७४—श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि रजबहा शेरगढ़ व रजबहा बुखरारी व रजबहा नन्दगांव व रजबहा सहार व रजबहा कौसीकलां के पुलों की सन् १९५७ से मरम्मत नहीं हुई जिससे यातायात में बाधा पड़ती है और बैलगाड़ी तांगे वगैरह निकल नहीं सकते ?

श्री गिरधारीलाल—

सभी रजबहों तथा उसके ऊपर स्थित पुलों की मरम्मत आवश्यकतानुसार तथा उसके लिये अलाटेड धनराशि के अनुसार प्रतिवर्ष की जाती है । गत २ वर्षों से नहरों की पटरियों तथा अन्तरीय भाग को वर्षा से काफी क्षति पहुंची । इसके अतिरिक्त खेतों में जो वर्षा का पानी भरा था वह पटरियों को काट कर नहर में निकाला गया । इसको ठीक कराने में वार्षिक

मरम्मत संबंधी अलाटमेन्ट का काफी भाग व्यय हो गया। अतः इस वर्ष उन पुलों की मरम्मत नहीं की जा सकी जिनकी ढलान खराब है तथा जिन पर यातायात में कठिनाई रहती है। इनकी मरम्मत कराई जा रही है और आशा की जाती है कि एक माह के अन्दर ये पुल ठीक हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी पुल हैं वे ठीक हालत में है और उन पर प्रतिवर्ष मरम्मत होती रही है।

*७५—श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रजबहों में कितने कुलाबे ऐसे हैं जो चकबन्दी होने के बाद ठीक पंसाल देख कर नहीं लगे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

१३७ कुलावे चकबन्दी के बाद लगाये गये हैं। वे सभी पंसाल के अनुसार सही लगाये गये हैं।

कानपुर क्षेत्र में बस कण्डक्टरों की बर्खास्तगी

*७६—श्री होरीलाल यादव, (जिला इटावा)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रोडवेज रीजन में नवम्बर, सन् १९६० में कितने कन्डक्टरों को नौकरी से पृथक किया गया ? उनमें से कितने कन्डक्टरों की अपीलें सरकार को प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या फैसला हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—

नवम्बर, सन् १९६० में कानपुर रीजन में कुल चार कन्डक्टरों को नौकरी से अलग किया गया। इन चारों में से केवल एक ने सरकार के पास प्रतिवेदन दिया। और उसमें परिवहन आयुक्त द्वारा उसकी पुनः नियुक्ति का आदेश दिया जा चुका है।

सिंचाई अनुसन्धान, रुड़की के कर्मचारियों के सेवा नियम

*७७—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई अनुसन्धान संस्थान रुड़की (Irrigation Research Institute, Roorkee) में कार्य करने वाले वैज्ञानिक पर्यवेक्षण (Re earch Supervisors) तथा सहायकों (Scientific Assistants) तथा प्रयोगशाला सहायकों (Lab. Assistants) के बने हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

सिंचाई अनुसन्धान संस्थान, रुड़की के वैज्ञानिक पर्यवेक्षण (Research Supervisors) सहायकों (Scientific Assistants) तथा प्रयोगशाला सहायकों (Lab. Assistants) के सेवा नियम का आलेख्य तैयार हो गया है और मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में विचाराधीन है।

*७८—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ऊपर कहे (Irrigation Research Institute, Roorkee) में कितने ऐसे वैज्ञानिक लोग नौकरी छोड़ कर इसलिये चले गये कि उनके लिये कोई Prospects नहीं है जो कि निश्चित भविष्य बताता हो ?

श्री गिरधारीलाल—

केवल एक ।

*७९—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि अब ऊपर कहे संस्थान से जो लोग दूसरी जगह नौकरी पर जाना चाहते हैं उनके आवेदन-पत्र उन स्थानों के लिये Forward करने अब अधिकारियों ने बन्द कर दिये हैं और क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, अनुसन्धान संस्थान रुड़की से जो लोग दूसरी जगह नौकरी पर जाना चाहते हैं उनके आवेदन पत्र उन स्थानों के लिये भेज दिये जाते हैं यदि वे अस्थायी हैं और लोक सेवा आयोग से अनुमोदित नहीं हुए हैं। केवल उन लोगों के प्रार्थना पत्र नहीं भेजे जाते जो स्थायी हैं या लोक सेवा आयोग से अनुमोदित हो चुके हैं और जिनके विभाग में स्थायी होने की अच्छी आशा है ।

इलाहाबाद—महेवाघाट बस सर्विस से आय

*८०—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज के कानपुर रीजन में इलाहाबाद से महेवाघाट तक जो बस सेवा चलती है उससे शासन को वित्तीय वर्ष १९६१–६२, १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में कुल कितनी आय हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज, कानपुर, में इलाहाबाद से महेवाघाट तक जो बस सेवा चलती है उससे शासन को वित्तीय वर्ष १९६१–६२ १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में कुल आय का ब्योरा निम्नलिखित है—

				रु० पै०
१९६१–६२	..	..	..	४,०२,५४१.३१
१९६२–६३	..	..	..	४,१२,०६९.२२
१९६३–६४	..	..	..	४,२०,२९०.१७

कानपुर—बेला—विधूना बस सर्विस की शिकायत

*८१—श्री नित्यानन्द पाण्डेय (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेला विधूना रोड की रोडवेज बसें कभी भी समय पर नियमानुसार नहीं चलती हैं इसका क्या कारण है जब कि कानपुर में दो-दो वर्कशाप हैं और इसके लिये चीफ मैकेनिक इंजीनियर या सर्विस मैनेजर कौन जिम्मेदार हैं? सरकार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

कानपुर बेला—विधूना मार्ग पर रोडवेज की बसें चलने में देर इस कारण होती है कि इस मार्ग पर विधूना की ओर जाने वाली बसें जो कि कानपुर से सही दशा में भेजी जाती हैं, मार्ग की दशा खराब होने के कारण सही दशा में और सही समय पर वापस नहीं आ पाती हैं। जिसके कारण बसों के वापस आने के पश्चात् उनकी खराबियों को दूर करने में समय लग जाता है तब वे पुनः मार्ग पर भेजी जाती हैं। इस मार्ग पर समय से बसों के संचालन न होने के लिये किसी विशेष रोडवेज अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ।

*८२—श्री नित्यानन्द पाण्डेय—

क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि तारीख १२ नवम्बर, १९६४ को जो गाड़ी प्रातःकाल ६ बजे विधूना से चलती ह, वह उस दिन क्यों नहीं चली ? क्या यह सही है कि यह गाड़ी उक्त तिथि को कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद को भी गई थी, स्टेशन इन्चार्ज विधूना की आज्ञा से ? यदि हां, तो इस अनियमितता और गैर कानूनी कार्यवाही के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१२ नवम्बर, १९६४ को विधूना से ५–३० प्रातः चलने वाली बस खराबी के कारण निश्चित समय पर नहीं चली थी। प्रश्न में कथित आरोप सही नहीं है इसलिये किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*८३—श्री नित्यानन्द पाण्डेय—

प्रश्नकर्त्ता ने इसी तिथि को शिकायती रजिस्टर में जो इसी आशय की शिकायत भी लिखी है उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

दिनांक १२–११–६४ को प्रश्नकर्त्ता ने कोई शिकायत रजिस्टर में दर्ज नहीं की। १८–११–६४ को जो शिकायत चुन्नीगंज पर दर्ज की थी उसकी जांच के बाद स्टेशन इंचार्ज को चेतावनी दे दी गई है।

नरोरा से टीन की चद्दरों की चोरी

*८४—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नरोरा, जिला बुलन्दशहर में गंगा नदी पर जो निर्माण कार्य हो रहा है वहां पर सितम्बर तथा अक्तूबर, १९६४ में टीन की चद्दरें चोरी जाती हुई गाड़ियों में पकड़ी गईं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही ह और कौन-कौन व्यक्ति पकड़े गये ?

श्री गिरधारी लाल—

जी हां, दिनांक १३–१४ सितम्बर, १९६४ की रात में टीन की शीटें (चादरें) बैलगाड़ियों से चोरी से ले जाती हुई विभागीय कर्मचारियों द्वारा पकड़ी गयीं। जो व्यक्ति इस संबंध में पकड़े गए उनके नाम यह है :

(१) श्री ग्यान सिंह,
(२) श्री केहरी सिंह पुत्र फतह सिंह,
(३) श्री कल्यान सिंह गाड़ीवाला,
(४) श्री रामसिंह गाड़ीवाला,
(५) श्री डम्बर सिंह मजदूर।

इस घटना की सूचना पुलिस को दिनांक १४ सितम्बर, १९६४ को दे दी गई और इन व्यक्तियों को पुलिस के सिपुर्द कर दिया गया था। पुलिस विभाग इसकी जांच कर रहा है। विभागीय जांच भी हो रही है।

*८५—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त निर्माण कार्य जो जिला बुलन्दशहर में चल रहा है उसके ओवरसियर इन्चार्ज ने १२ के० ज० के स्थान पर ११ के० जी० की टीन की चादरें ठेकेदार को दी और इस प्रकार प्रत्येक १२ चद्दर के ऊपर एक टीन की चद्दर बचाई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

इस संबंध में जांच की जा रही है।

*८६—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नरोरा, जिला बुलन्दशहर में जो गंगा नदी पर निर्माण कार्य हो रहा है उसमें जो ओवरसियर, इंजीनियर हैं उनके नाम क्या हैं तथा ठेकेदारों के नाम एवं पते क्या हैं? क्या ये वे ओवरसियर, इंजीनियर तथा ठेकेदार आपस में रिश्तेदार हैं?

श्री गिरधारीलाल—

दो अधिशासी अभियन्ता, १६ सहायक अभियन्ता, तथा ४३ ओवरसियर, जिनके नामों की† तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इस कार्य पर २१८ ठेकेदार लगे हैं, जिनके नाम व पते भी सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

सूचना के आधार पर अभियन्ताओं और ओवरसियरों तथा ठेकेदारों में कोई रिश्तेदार नहीं है।

एटा–गंजडुंडवारा बस सर्विस

*८७—श्री रामसिंह (जिला एटा)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी बसें अब एटा से गंजडुंडवारा को एक दिन में कितनी बार छूटती हैं तथा गंजडुडवारा से एटा को कितनी छूटती हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—

पांच बार एटा से गंजडुंडवारा को और पांच बार गंजडुंडवारा से एटा को छूटती हैं।

*८८—श्री रामसिंह (जिला एटा)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब प्राइवेट लारियों में से सिर्फ एक ही लारी रह गई है जो ओन घाट तक ही एटा से आती है और सरकारी बसें केवल चार बार एटा से गंजडुंडवारा को जाती हैं जब कि प्राइवेट गाड़ियां एक दिन में १४ चक्कर लगाती थीं? क्या सरकार गाड़ियों से अधिक चक्कर लगवा कर जनता के कष्ट को दूर करने की कृपा करेगी?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह सत्य है कि एटा-गंजडुडवारा मार्ग पर प्राइवेट लारियों में से केवल एक ही लारी रह गई है लेकिन इसके केवल ओन घाट तक ही जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है। सरकारी बसें एटा से गंजडुंडवारा को चार बार नहीं बल्कि पांच बार जाती हैं। सरकारी बसों का अधिक चक्कर लगाना संभव नहीं है क्योंकि इस मार्ग की दशा बहुत खराब है।

जौनपुर जिले में विद्युतीकरण

*८९—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के किन-किन ग्रामों को सन् १९६५–६६ ई० में विद्युतीकरण करने की योजना है?

---

†छापी नहीं गई।

श्री गिरधारीलाल—

जौनपुर जिले के ४० स्थानों को सन् १९६५–६६ में विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है। इनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १७८ पर)

विद्युत योजना

*९०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तीसरी योजना की विद्युत् योजना क्रियान्वित करने हेतु २९ करोड़ रुपये के अतिरिक्त और धन की मांग की है? यदि हां, तो कितने धन की तथा यह योजना किन-किन जिलों में अधूरी को पूरा करेंगी?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, इस रुपये के प्रयोग से प्रदेश के सभी जिलों को और लाभ पहुंचेगा।

*९१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[३रे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ट्रांसपोर्ट विभाग में मुद्रा प्रणाली

*९२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भारत सरकार द्वारा १९५७ में नयी मुद्रा प्रणाली के प्रचलन अनिवार्य करने के बाद भी उत्तर प्रदेश ट्रान्सपोर्ट विभाग पुरानी मुद्रा प्रणाली को पिछले ८ साल से चलाता आ रहा है जिसके अनुसार उस विभाग में लगे लगभग तीन हजार ड्राइवरों को उनके प्रतिमाह के लगभग ६० लाख माइलेज का पुरानी मुद्रा प्रणाली से १ १/२ पाई प्रति मील के हिसाब से उक्त कानून का उल्लंघन करके दे रहा है? यदि हां, तो ऐसी गैर कानूनी हरकत करने वाले प्रदेश भर के ट्रान्सपोर्ट के अधिकारियों के विरुद्ध कौन-सी उचित कार्यवाही अमल में लाई जा रही है?

श्री मुजफ्फर हसन—

सरकार द्वारा ड्राइवरों को माइलेज भत्ता नये पैसे की दरों में कुछ प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण परिणत नहीं किया जा सका है। अतः पुरानी मुद्रा के अनुसार माइलेज भत्ता देने के लिये किसी ट्रान्सपोर्ट अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*९३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ट्रान्सपोर्ट विभाग के ड्राइवरों को नयी मुद्रा प्रणाली के हिसाब से प्रतिमाह ६० हजार माइलेज भत्ता के स्थान पर क्या ४६,८७५ रुपया ही दिया गया और उन्हें इस प्रकार प्रतिमाह १३,१२५ रुपया का माइलेज भत्ता कम दिया गया है? यदि हां, तो क्या १९५७ से आज तक जो उनका १,८९,००० का घाटा हुआ है सरकार देने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो किस रूप में और कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

ड्राइवरों को प्रतिमाह लगभग एक करोड़ छः लाख माइलेज पर लगभग ६५ हजार रुपये का भुगतान किया जाता है। नई मुद्रा प्रणाली के अनुसार भी लगभग इतना ही भत्ता देय होगा। अतः ड्राइवरों का किसी विशेष घाटे का प्रश्न नहीं उठता। सरकार प्रयत्न करेगी कि पुरानी दरों को नशमलव प्रणाली में परिवर्तित करने के कारण ड्राइवरों को कोई विशेष हानि न हो।

परिवहन उपक्षेत्र, मुरादाबाद में सेवा समाप्ति

*९४—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायक महाप्रबन्धक, यातायात, उत्तर प्रदेश राजकीय वहन, मुरादाबाद, परिवहन आयुक्त की स्वीकृति सं० १७०७ रेस्टा/५५—आर० आई० ई० एस० टी०—६१, दिनांक ४ मई, १९६१ के अनुसार ऐसे कितने लोग अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये जिनकी सेवाएं ३१ दिसम्बर, १९६२ को समाप्त कर दी जानी थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

परिवहन आयुक्त की स्वीकृति पत्र सं० १७०७ रेस्ट/५५ आर० आई० ई० एस० टी०—६१, दिनांक ४—५—६१ के अन्तर्गत नहीं बल्कि उनकी स्वीकृति पत्र सं० १९०७ रेस्ट/५५ आर० ई० एस० टी०—६१ दिनांक ४—५—६१ के अन्तर्गत ३१—३—६२ तक के लिये ३३ परिचालक, २३ चालक और २ चौकीदार मुरादाबाद उपक्षेत्र में नियुक्त किये गये।

*९५—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कष्ट करेंगे कि ऊपर के प्रश्न के अनुसार जो नियुक्त किये गये उनमें से ऐसे कौन-कौन से लोग हैं, जो दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६२ के पूर्व ही नौकरी से जुलाई मास में निकाल दिये गये तथा निकाल देने का कारण क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

चूंकि परिवहन आयुक्त की स्वीकृति पत्र सं० १९०७ रेस्ट/५५ आर० ई० एस० टी०—६१, दिनांक ४ मई, १९६१ के अन्तर्गत उक्त नियुक्तियां केवल ३१ मार्च, १९६२ तक मंजूर की गयी थीं। इसके पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों की सेवा अवधि केवल जुलाई, १९६२ तक ही बढ़ाई गयी थी तथा इस अवधि के समाप्त होने पर आवश्यकतानुसार उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं।

१—श्री सूरज प्रसाद,
२—श्री शमशाद हुसेन,
३—श्री मासूम अली,
४—श्री मोहम्मद अली,
५—श्री अब्दुल लतीफ खां,
६—श्री त्रिलोकी नाथ,
७—श्री केशव दत्त झा,
८—श्री श्याम मोहन कपूर,
९—श्री मोहम्मद मियां खां।

अहमद अली ड्राइवर को पारितोषिक देने पर विचार

*९६—सर्वश्री माधोप्रसाद त्रिपाठी तथा मन्नालाल (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १९ जून, १९६० को लखीमपुर-शाहजहांपुर मार्ग में गोला रेलवे क्रासिंग पर जो बस दुर्घटना हुई थी उस सम्बन्ध में इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ड्राइवर की कुलशलता से ही लगभग ५० यात्रियों की प्राणरक्षा हुई तथा स्वयं घायल हो गया जब कि वह बच सकता था उक्त चालक को सरकार द्वारा क्या मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

दुर्घटनाग्रस्त बस के चालक श्री अहमद अली को विशेष पारितोषिक दिये जाने का प्रश्न अभी परिवहन आयुक्त के विचाराधीन है।

माताटीला बांध निर्माण कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच

*९७—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि माताटीला बांध (झांसी) में जिस प्रकार बड़े पैमाने पर रुपयों व सामान का गोलमाल हुआ। उसकी शिकायतें सरकार को प्रश्नकर्ता द्वारा लिखित व जुबानी दिनांक १३ जुलाई, १९६४, ४ अक्तूबर, १९६४, २५ अगस्त, १९६४, २९ अगस्त, १९६४, २७ जुलाई, १९६४, १७ अक्तूबर, १९६४ व २७ अक्तूबर, १९६४ में दी गई और यह भी सूचना दी गई कि कागजात अपराध से बचने के लिये फर्जी बनाये जा रहे हैं और कीमती सामान बेंचा जा रहा है व अमुक-अमुक स्थानों पर पकड़ा जा सकता है, इत्यादि ? यदि हां, तो आरोप क्या-क्या थे व सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही कब-कब, किस प्रकार की गई व जांच किस-किस अधिकारी ने की ?

श्री गिरधारीलाल—

केवल १३ जुलाई, १९६४, ४ अक्तूबर, १९६४, २५ अगस्त, १९६४, १७ अक्तूबर, १९६४, तथा २७ अक्तूबर, १९६४ की लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो प्रायः प्रश्न में निर्दिष्ट आशय की ही हैं। इन शिकायती पत्रों में माताटीला प्रोटेक्ट में अधिकारियों तथा ठीकेदारों द्वारा सरकारी सामग्री में गड़बड़ी करने, अनियमित रूप से सरकारी धन का दुरुपयोग करने एवं अन्य भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप लगाये गये हैं।

ये शिकायतें जांच के लिये सतर्कता निदेशालय को सौंप दी गयी हैं।

जुबानी शिकायतों का कोई अभिलेख न होने से विवरण देना सम्भव नहीं है।

रिहन्द पावर स्टेशन से कथित चोरी

*९८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मिर्जापुर के रेहन्ड पावर स्टेशन से बहुत-सा सामान चोरी हो गया है ? यदि हां, तो यह चोरी किन-किन सामानों की थी तथा इस चोरी की घटना का वहां के अधिकारियों को कब पता चला ?

श्री गिरधारीलाल—

रिहन्द पावर स्टेशन से सामान चोरी होने की कोई सूचना अभी तक सरकार को नहीं मिली है।

*९९—[हटा दिया गया।]

राज्य में विद्युतीकरण

*१००—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना तक किन-किन जिलों में विद्युत् का प्रसार पूर्ण रूप से हो गया है तथा किन-किन जिलों में अधूरा पड़ा है ?

श्री गिरधारीलाल—

तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के हर एक जिले में सब स्थानों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इस योजना में १९६१–६२ से १९६३–६४ तक १६३१ स्थानों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। १९६४–६५ तथा १९६५–६६ में प्रतिवर्ष १,५०० स्थानों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार १,००० जनसंख्या पर १ १/२ मील लम्बी ११ के० वी लाइन बनाई जा सकती है। जिन स्थानों का विद्युतीकरण इस मापदण्ड के अनुसार सम्भव होगा उनको विद्युतीकरण के लिए चुन लिया जायेगा।

सरजू नहर योजना

*१०१—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरजू नहर योजना पर कुल कितना धन लगेगा और अब तक नवम्बर, १९६४ ई० तक कितना खर्च हो गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

सरजू नहर योजना की रूपरेखा अभी शासन के विचाराधीन है अतः अनुमानित लागत की धनराशि के बारे में निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता।

*१०२—श्री गंगाप्रसाद—

क्या यह सही है कि उपरोक्त योजना बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति के कारण खर्च में कमी करने के लिए योजना पर कार्य-स्थगित कर दिया गया है।

*१०३—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरजू नहर से कितने जिलों को लाभ होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

बहराइच, गोंडा और बस्ती।

अतारांकित प्रश्न

ओबरा पावर हाउस में अधिगृहीत भूमि का प्रतिकर

१—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि ओबरा पावर हाउस में कितने गांव नदी की डूब में आ गये हैं और कितने किसानों की कितने एकड़ जमीन ली जा रही है ? किसानों को मुआवजा किस रेट से दिया गया और क्या जमीन के बदले जमीन भी देने का विचार हो रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—

ओबरा पावर हाउस के अन्तर्गत अभी कोई गांव डूब में नहीं आये हैं। २४८३.१२० एकड़ भूमि ली जा चुकी है जिससे ३३२ परिवार प्रभावित हुए हैं। ५१००.३७६ एकड़ भूमि

और लेने का प्रस्ताव है जिससे प्रभावित परिवारों की संख्या भूमि अधिकरण सम्बन्धी कागजात के तैयार होने पर ज्ञात होगी। मुआविजा जो दिया गया है उसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १७९ पर।)

रोडवेज कर्मचारियों का ओवर टाइम भत्ता

२—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार रोडवेज विभाग के कर्मचारियों को ओवरटाइम करने पर दैनिक वेतन का दूना पैसा देगी?

श्री मुजफ्फर हसन—

रोडवेज विभाग के कर्मचारियों को ओवर टाइम भत्ता मोटर ट्रान्सपोर्ट कर्मचारी अधिनियम, १९६१ तथा फैक्ट्री अधिनियम, १९४८ द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार दिया ही जा रहा है।

आगरा व कानपुर क्षेत्रों में रोडवेज कर्मचारियों का भत्ता

३—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा और कानपुर रीजन के रोडवेज विभाग के कितने कण्डक्टरों, ड्राइवरों तथा क्लर्क की वेतन वृद्धि कितने समय से रुकी हुई है और क्यों?

४—क्या सरकार को मालूम है कि आम चुनाव में सरकारी जीपों पर मैनपुरी जिले में काम करने वाले रोडवेज के ड्राइवरों के भत्ते अब तक नहीं मिले हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

इलाहाबाद व वाराणसी क्षेत्रों में रोडवेज अधिकारियों का दौरा

५—श्री लखीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९६४ से अक्तूबर, १९६४ तक जी० एम०, रोडवेज, इलाहाबाद तथा सहायक ए० वी० एम०, वाराणसी ने कितना दौरा सरकारी गाड़ी से किया और किन-किन दिनों में किया और उसका टी० ए०, डी० ए० कितना बना और कितने केस पकड़े गये?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना विस्तृत है। अतः माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देखने का कष्ट करें।

जौनपुर-पिंडरा-वाराणसी बस सर्विस

६—श्री लखीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि वाराणसी से जौनपुर एवं जौनपुर से वाराणसी कितनी रोडवेज की नान-स्टाप बसें चलती हैं, उनमें से कितनी पिंडरा में रुकती हैं कितनी नहीं और जो नहीं रुकतीं, उन्हें रोकने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री मुजफ्फर हसन—

वाराणसी से जौनपुर ४ व जौनपुर से वाराणसी ६ नान स्टाप बसें चलती हैं। इनमें से हर दिशा में आधी बसें पिंडरा में रुकती हैं। अधिक नान स्टाप बसें वहां रोकना आवश्यक नहीं है और लम्बे यात्रियों को समय अधिक लगने के कारण असुविधा होती है।

सिंचाई विभाग कार्यालय, लखनऊ के कर्मचारियों का लाइब्रेरी भत्ता

७—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ के प्रावैधिक (टेक्निकल) पुस्तकालय में जिन कार्यालय सहायकों ने लायब्रेरियन के रूप में सन् १९५२ से सन् १९६० ई० तक कार्य किया था उनको उसका अतिरिक्त एलाउन्स (भत्ता) अब तक नहीं दिया गया है, जिसके कारण उनमें बहुत ही असन्तोष है?

श्री गिरधारीलाल—

कार्यालय सहायकों को लायब्रेरियन के रूप में काम करने के लिये कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं था, इस कारण भत्ता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी सहायक ने इस प्रश्न पर हड़ताल नहीं की है, जिससे स्पष्ट है कि उनमें कोई असन्तोष नहीं है।

८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

यदि हां, तो उपरोक्त कर्मचारियों को अतिरिक्त एलाउन्स (भत्ता) कब तक दे दिया जायगा?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता।

९—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि रिहन्द बांध निदेशालय, मिर्जापुर में जिन कार्यालय सहायकों ने लायब्रेरियन के रूप में सन् १९५४ से सन् १९५८ तक कार्य किया था उन्हें अतिरिक्त एलाउन्स (भत्ता) दिया गया था? यदि हां, तो उपरोक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कर्मचारियों को उसे देने में क्या-क्या कठिनाइयां हैं?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं।

१०-११—श्री मुहम्मद रफी खां—

[३रे मंगलवार के लिये प्रश्न ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

भगा माईनर

१२—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बबरपुर गांव, तहसील किछा, जिला नैनीताल में भगा माईनर की वजह से जो सीपेज हो गया है उसकी रोक-थाम के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और उस सीपेज का कारण क्या है?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, ऐसा कोई सीपेज नहीं हुआ है। हां, माइनर के मील २ फर्लांग १ फुट ३०० के साइफन से इसके ह्यूम पाइप के कालर के टूट जाने से पानी अवश्य बहने लगा था जिसे बन्द करने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

जतीपुर विकास खण्ड में नलकूप

१३—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि शाहजहांपुर जिला के जैतीपुर ब्लाक में सिंचाई विभाग द्वारा ६ नलकूप लगाने का कार्य स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो वे नलकूप कहां-कहां बनेंगे तथा कार्य कब से आरम्भ होगा ? क्या यह भी सही है कि परगना खेड़ा-बझेड़ा के नलकूप के सम्बन्ध में सर्वे हो चुका है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं।

दूसरा भाग—यह प्रश्न नहीं उठता।

तीसरा भाग—जी हां, प्रारम्भिक सर्वे हो चुका है।

बस्ती जिले में सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा

१४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिला के हैसर बाजार विकास क्षेत्र में कितने ट्यूबवेल कहां-कहां लगे और वे क्या सिंचाई का काम कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विकास क्षेत्र में और कहां-कहां ट्यूबवेल लगाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—इस क्षेत्र में ५ नलकूप मुडही कलां कटार शुक्ल, मलोली, टेमा और मुठही खुर्द ग्रामों में लगे हैं। यह सब नलकूप सिंचाई का कार्य कर रहे हैं।

अन्तिम भाग—इस समय वहां कोई और नलकूप लगाने की योजना नहीं है।

१५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिला में घाघरा कुआनों द्वाबा की खेती को बाढ से बचाने के लिये रामपुर-बनकटी विकास क्षेत्र से शुरू करके मलदहवाँ नाला बांधते हुये गोरखपुर जिला के बांसगांव तहसील के बेलडाड विकास क्षेत्र के शाहतुर तक घाघरा के बायें किनारे बांध निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य समाप्त होगा, कितना व्यय होगा और कितने एकड़ की फसल को लाभ होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग :—जी नहीं।

दूसरा भाग :—ये प्रश्न नहीं उठते।

रोडवेज विभाग में जूनियर स्टेशन इंचार्ज

१६—श्री उदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज विभाग में जूनियर स्टेशन इंचार्जों की क्या सीनियारिटी है और इसमें कितने विभागीय तथा कितने बाहरी हैं और बाहरी जूनियर स्टेशन इंचार्जों की नियुक्ति किस आदेश से हुई है और सीनियारिटी का अनुपात तथा आधार क्या है ? क्या उसकी एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जूनियर स्टेशन इचार्जों की सीनियरिटी लिस्ट बहुत विस्तृत है। अतः माननीय सदस्य उसे कृपया मेरे कमरे में देखने का कष्ट करें। कुल २०२ व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई जिनमें से ४६ बाहरी थे और १५६ विभागीय। नियुक्ति का कोई अनुपात पहले निश्चित नहीं था। दिसम्बर, १९६१ में यह अनुपात ५० फीसदी बाहरी और ५० फीसदी विभागीय व्यक्तियों से निर्धारित किया गया। माननीय सदस्य कृपया विभिन्न विभागीय आदेशों को मेरे कमरे में देखने का कष्ट करें।

१७—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुछ जूनियर स्टेशन इंचार्ज को जो बाहरी थे उन्हें सन्, १९५७ में चुन लिया गया था और उसी वक्त नियुक्ति होनी चाहिये थी, परन्तु १९५७ के बजाय १९६२ में की गई? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है? इनकी सीनियरिटी १९५७ से निश्चित की गई है या नहीं? सन् १९५७ में ये बाहरी इंचार्ज कितने चुने गये थे?

श्री मुजफ्फर हसन—

जूनियर स्टेशन इंचार्जों के पदों के लिये १९५७ में किसी बाहरी व्यक्ति का चुनाव नहीं किया गया। अतः सीनियरिटी निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता।

शिवपुर माइनर

१८—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सागर की केराकत नहर की चोलापुर-वाराणसी माइनर से जो शिवपुर माइनर गई है उसमें शिवपुर गांव के नये पोखरा के दक्षिण व पुल के बीच से एक कुलाबा लगाकर माइनर मरूई गांव में कच्ची सड़क पार करते हुए हमीरापुर के नाले तक ले जाने की योजना है? यदि हां, तो यह कब तक बन जायगी?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं।

१९—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शिवपुर माइनर से जो माइनर खवास के बगीचे से निकाल कर कच्ची सड़क तक छोड़ दी गई है उसे अजबी पर से होते हुए सीधे हमीरापुर नाले तक क्यों नहीं ले जाया गया?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न में उल्लिखित स्थान से कोई माइनर नहीं निकाली गई है। उस स्थान पर शिवपुर माइनर के कुलावा नं० ४ से एक गूल का निर्माण किया गया है। इस गूल को हमीरापुर नाला तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह गूल केवल उपरोक्त कुलावे के सिंचन क्षेत्र की ही सिंचाई करने की क्षमता रखती है।

फतेहगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पर केबिल बाक्स फटना

२०—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बतान की कृपा करेगी कि अक्तूबर, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में फतेहगढ़ स्थित हाईड्रो इलेक्ट्रिक के सब-स्टेशन पर एक फीडर तथा ट्रांसफार्मर जल गया। यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं?

श्री गिरधारीलाल—

अक्तूबर, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में फतेहगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक के सब-स्टेशन पर कोई फीडर या ट्रांसफार्मर नहीं जला। केवल ७५० के० बी० ए० ३७.५/११ के०वी० ट्रांसफार्मर का ११ के० वी० केबिल बाक्स फाल्ट होने के कारण फट गया और आग पकड़ गया। आग एकदम बुझा दी गई और कोई क्षति सब-स्टेशन को नहीं हुई।

२१—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सब-स्टेशन पर क्या कोई In coming feeder नहीं लगाया गया था? यदि नहीं, तो न लगने के क्या कारण थे?

श्री गिरधारीलाल—

फतेहगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक के सब-स्टेशन पर ११ के० वी० फीडर ट्रक लगे हुये थे क्योंकि इनकमिंग ट्रकों के लिये आर्डर कर दिया गया है और अब शीघ्र ही आने वाले हैं। फीडर ट्रक भी इनकमिंग ट्रक के कार्य को पूर्ण रूप से कर सकता है।

डण्डा नहर पर पुल निर्माण योजना

२२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार गोरखपुर जिले में डन्डानहर के हेडवर्क्स से तीन मील ऊपर कोई पुल का निर्माण करने पर केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार विचार कर रही है? यदि हां, तो पुल का क्या प्राक्कलन होगा तथा कब तक यह काम शुरू होने जा रहा है?

श्री गिरधारीलाल—

डण्डा नहर के हेड वर्क्स के ऊपर पुल का निर्माण संबन्धित विषय अभी शासन के विचाराधीन है।

मथुरा जिले में पानी निकासी

२३—श्री लखीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले में राजस्थान तथा पंजाब से पानी अभी तक आ रहा है? उसके निकालने के लिये कितना धन दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के कोष से और उसमें कितने नाले-नालियां अब तक सन् १९६३–६४ में बनाई गई हैं।

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, पंजाब और राजस्थान से आने वाला पानी १५ दिसम्बर, १९६४ को बन्द कर दिया गया। इस पानी को पम्पों द्वारा भरतपुर फीडर में डालने की जो अनुमानित लागत ३ लाख ९५ हजार रुपया है उसे राजस्थान सरकार द्वारा वहन करने का निश्चय हुआ है। १९६३–६४ में गोवर्धन ड्रेन के अतिरिक्त और किसी छोटे मिलने वाले नाले का निर्माण-कार्य नहीं हुआ है।

२४—श्री लखीसिंह—

क्या यह सच है कि गोवर्धन ड्रेन के बनने में ज्यादा देर होने के कारण तहसील छाता और मथुरा के किसानों की गत फसल खरीफ व रबी की क्षति हुई है। यदि हां, तो ग्राम जावा व खायरा व नन्दगांव व गिडोय खिटावता व सिरदला व हुलवाना आदि में कितने गांवों में पानी से कितने एकड़ जमीन, बिला रबी की फसल हुए, डुबी रह गई जो फरवरी तक भी जोतने लायक नहीं होगी?

श्री गिरधारीलाल—

गोवर्धन ड्रेन के निर्माण-कार्य की समाप्ति का लक्ष्य जून, सन् १९६५ है। अतः इस से पूर्व प्रभावित क्षेत्रों को क्षति से बचाने का प्रश्न नही उठता।

छाता तहसील में नहर निरीक्षण भवन

२५—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के छाता तहसील में नहर निरीक्षण भवन कितने हैं? क्या उनमें बिजली सन् १९६५ में दी जायगी तथा इसमें कितना धन व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल —

मथुरा जिले की छाता तहसील में कुल नौ (९) निरीक्षण भवन हैं। उनमें बिजली दी जाने की अभी कोई योजना नहीं है। अतः अनुमानित व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

२६—श्री लखीसिंह —

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन भवनों की मरम्मत के लिये सन् १९६३–६४ में कितना धन पास हुआ था और सन् १९६४ में किन-किन भवनों की मरम्मत की गई तथा किस ठेकेदार द्वारा कराई गई ?

श्री गिरधारीलाल —

प्रत्येक निरीक्षक भवन के लिये वार्षिक मरम्मत से सम्बन्धित एस्टीमेट में २५० रु० की धनराशि रक्खी जाती है। सन् १९६३–६४ में अजीजपुर तथा अकबरपुर निरीक्षण भवन की वार्षिक मरम्मत क्रमशः श्री सन्नू तथा श्री बशीर अली ठेकदार द्वारा कराई गई। सन् १९६४–६५ में लाजपुर निरीक्षण भवन की मरम्मत श्री करनसिंह सागर ठेकेदार द्वारा कराई जा चुकी है तथा बरसाना निरीक्षण भवन की मरम्मत शीघ्र कराने का विचार है। इसके अलावा हर निरीक्षण भवन की थोड़ी बहुत मरम्मत आवश्यकतानुसार समय-समय पर करवाई जाती रही है।

२७—श्री लखीसिंह —

क्या यह सत्य है कि निरीक्षण भवन बठेनकलां व अस्तौली व सहारा व मेंदावल की लगभग ५ साल से कोई सफाई मरम्मत नहीं हुई ?

श्री गिरधारीलाल —

जी नहीं, १९६१–६२ में बठेन निरीक्षण भवन की छत की टाइल की मरम्मत पर १,३८० रु० व्यय किए गये। १९६२–६३ में सहारा, निरीक्षण भवन की दीवारों पर प्लास्टर कराने पर २८५ रु० व्यय किए गए। अलगराला (अस्तौली के पास) निरीक्षण भवन पर इस समय किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता नहीं है। मेंदावल निरीक्षण भवन में कुछ मरम्मत अगले वित्तीय वर्ष में कराई जावेगी।

२८—श्री ऊदल —

[पहले शुक्रवार के लिये प्रश्न सं० २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बीरपुर ड्रेन निर्माण

२९—श्री हरीशकुमार गंगवार —

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले में बीरपुर ड्रेन की खुदाई तथा पुलियों के निर्माणार्थ कितना धन कब स्वीकृत हुआ था तथा उसमें कितनी धनराशि व्यय हो गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

इस ड्रेन के निर्माण का १०,०२५ रु० की लागत का एस्टीमेट १ फरवरी, १९६४ को स्वीकृत हुआ। दिसम्बर, १९६४ के अन्त तक २,६३३ रु० का व्यय हो चुका है।

३०—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि वीरपुर ड्रेन की पूरी योजना क्या थी, क्या उसका स्टीमेट बनाया गया था, कितनी पुलियां उसके ऊपर बनने वाली थीं और कितनी चौड़ाई, लम्बाई व गहराई की खुदाई करनी थी ?

श्री गिरधारीलाल—

इस योजना के अन्तर्गत दो मील तीन फर्लांग की लम्बाई में ड्रेन की सफाई इसके सेक्शन की दुरुस्ती तथा इस पर तीन ग्रामीण मार्ग के पुलों का निर्माण होना था। उसका एस्टीमेट बनाया गया था जिसमें तीन पुलों का निर्माण-कार्य सम्मिलित था। इसकी खुदाई इस प्रकार करनी थी कि नाले की तली की चौड़ाई ९ फिट से ८ फिट तक और पानी की गहराई २.५ फीट से २.३ फीट तक हो जाय।

३१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दो वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर अभी तक न तो पूरी ड्रेन की खुदाई हुई और न ही पुलियों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

यह कार्य मार्च, १९६३ में आरम्भ किया गया परन्तु ग्राम मढोली के कृषकों के विरोध के कारण काम बन्द करना पड़ा। इसके बाद लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अधीन भूमि अधिग्रहीत करके मिट्टी का कार्य मई, १९६४ में आरम्भ किया गया और जून, १९६४ में समाप्त किया गया। सीमेन्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण पुलों का निर्माण तेजी से न हो सका परन्तु यह कार्य अब लगभग समाप्ति पर है।

बरेली जिले में सिंचाई निर्माण-कार्य

३२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले के ग्राम नदौसी में एक राजकीय नलकूप के निर्माण की जो योजना विचाराधीन थी वह नलकूप कब तक निर्माण करा दिया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

नदौसी ग्राम का सर्वेक्षण गत वर्ष जुलाई से आरम्भ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के बाद ही यह ज्ञात हो सकेगा कि नलकूप लगाना सम्भव होगा या नहीं।

३३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बरेली के सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सरकार के पास बरेली जिले के लाड़पुर गांव को नहर द्वारा सिंचाई सुविधा देने के लिये कोई योजना बहुत पहले भेजी है जिसमें वहां के लिये एक नहर निर्माण करने का उल्लेख है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, योजना सरकार के विचाराधीन है।

सरजू नहर तथा जलकुण्डी योजना

३४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरजू नहर योजना जो चीनी हमले के बाद संकट के कारण स्थगित की गई थी अब पुनः चालू की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? तथा कुल लागत क्या पड़ेगी और क्या इस नहर निर्माण से घाघरा की बाढ़ में भी कमी आवेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

सरजू नहर को पुनः चालू करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

घाघरा नदी की बाढ़ में कोई कमी नहीं आयेगी ।

३५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि राप्ती जलकुन्डी योजना जो स्थगित है उसके निर्माण-कार्य को चालू किया जायगा ? यदि हां, तो कब से और वह पूरा कब होगा तथा कुल लागत क्या पड़ेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जलकुन्डी परियोजना के निर्माण का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गोरखपुर क्षेत्र में नलकूप

३६—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल कालोनी, गोरखपुर में कुल कितने अधिकारियों के बंगले बने हुये हैं और उन पर सन् १९६१ से दिसम्बर, १९६४ तक कुल कितना रुपया सफाई एवं मरम्मत पर खर्च किया गया है?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग ९
द्वितीय भाग १०,९३९ रुपये

३७—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल डिवीजन, गोरखपुर में कुल कितने ऐसे ट्यूबवेल बने हैं जहां ट्यूबवेल आपरेटरों के निवास स्थान भी हैं ? उन निवास स्थानों की मरम्मत एवं सफाई पर १९६१ से दिसम्बर, १९६४ तक कितने रुपये खर्च किये जा चुके हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग १२०

द्वितीय भाग—इनकी सफाई तथा मरम्मत पर जो व्यय हुआ है वह सम्बन्धित नलकूप के रख रखाव तथा मरम्मत के हिसाब में शामिल है । अतः अलग से इन पर कितना व्यय हुआ इसका प्रश्न नहीं उठता ।

३८—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल डिवीजन, गोरखपुर के नलकूप नं० १ (सरदार नगर ग्रुप) के नलकूप चालक के निवास स्थान के भवन की छत कितने साल से फट गई है ? यदि हां, तो उस छत को अब ठीक किया गया कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

नलकूप नं० १ (सरदार नगर ग्रुप) पर बने नलकूप चालक के निवास-स्थान की छत फटने की कोई सूचना नलकूप चालक से विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। १५ जनवरी, सन् १९६५ को उक्त निवास-स्थान का निरीक्षण किया गया और छत के फटने का कोई चिन्ह नहीं पाया गया।

गोंडा जिले में नलकूप

३९—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने नलकूप लगेंगे और वे किन-किन विकास क्षेत्र में और किन-किन स्थानों पर लगेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

गोंडा जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ३७ नलकूप लगाये जाने की योजना है। इनमें से ९ नलकूपों के स्थान निर्धारित हो गये हैं और उनके संबंध में वांछित †सूचना संलग्न सूची में दी हुई है। शेष नलकूपों के स्थान अभी निर्धारित नहीं हो सके हैं। अतएव उनके विषय में कोई सूचना देना इस समय संभव नहीं है। उनका सर्वेक्षण प्रगति पर है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, प्रश्नों के संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है। आप कार्यक्रम पृष्ठ १६ पर देखेंगे कि मेरे प्रश्न संख्या २९, ३०, ३१, ३२ और ३३ को अतारांकित कर दिया गया है जब कि श्री कमला सिंह के प्रश्न संख्या १ से किसी प्रकार से भी मेरे पांचों प्रश्न कम महत्व के नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले को देखें क्योंकि इससे हमारा नुकसान होता है। मेरे ५-५ प्रश्न थे जो अतारांकित कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रश्नों के संबंध में अभी तो यहां बता नहीं सकता जब तक कि मेरे सामने संबंधित पत्रावली न हो। अधिक अच्छा हो कि आप इस संबंध में उपाध्यक्ष जी से मिल लें और अपनी कठिनाई को बता दें तो वह दूर हो जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, हम लोगों को प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जाते हैं इसको आप रोकें और रोकने के आदेश दें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, माननीय मुख्य मंत्री इस बात का ध्यान रखें कि नियमानुसार प्रश्नों के उत्तर एक दिन पहले माननीय सदस्यों के पास पहुंच जाना चाहिये, ऐसी व्यवस्था करने की कृपा की जाय।

---

†छापी नहीं गई।

प्रेस सम्वाददाताओं के सदन में निर्धारित स्थान परिवर्तन पर आपत्ति

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कल यहां के कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि आप बतायें कि प्रेस के बैठने के लिये जो यहां सदन के बीच में बरसों से व्यवस्था थी उसको बदलने का क्या आधार है ? यह आपने किया है तो किस के सुझाव पर किया है ? इस विषय में विरोधी दलों से राय ली गई या नहीं जैसा कि आप हर मामले में अभी तक करते रहे हैं ? इतने लम्बे अरसे से चली आने वाली परम्परा को क्यों तोड़ा गया है, इन चीजों की कोई सफाई नहीं दी गई है, बात सुनकर टाल दी गई । हम लोग सशंकित हैं कि पत्रों के प्रतिनिधि उतनी दूर वहां बैठकर यहां की कार्यवाही समझ सकेंगे और भलीभांति नोट कर पायेंगे । हम चाहते हैं कि इस में सफाई हो जाय, हम नहीं चाहते कि हमारे और आप के बीच में कोई तनाव इस चीज को लेकर पैदा हो ।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो माननीय सदस्यों की हर राय का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि जिस की शिकायत सीधे प्रेस प्रतिनिधियों को हो सकती है। उनसे मेरी स्वयं बातचीत हुई है और जहां तक मैं समझता हूं वह बदली हुई व्यवस्था से सन्तुष्ट हैं । अब इस संबंध में, मैं सदन में कोई बातचीत नहीं सुनूंगा । अगर किसी को कहना है तो मुझसे मेरे कक्ष में आकर बातचीत कर सकते हैं ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

यह मसला सदन से संबंधित है और सदन को जानकारी करने का अधिकार है, यह मामला किसी और सिलसिले का नहीं है । एक बड़ा अहम सवाल यह है कि अगर कोई परम्परा सदन की पड़ी हुई है और उसको आपको तब्दील करना है लोक सभा की परम्पराओं या हाउस आफ कामन्स की परम्पराओं के आधार पर तो वह आप . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह बहस की बात नहीं है, मैंने सुन लिया, आप बैठ जायं ।

श्री भगवान सहाय—

सवाल यह है कि अगर आपने इस तरह की तबदीली की जरूरत समझी तो उसका कोई आधार होना चाहिये और माकूल कारण होना चाहिये । यह बड़ा अहम मसला था, अच्छा होता कि ऐसी तब्दीली करने के पहले आप गवर्नमेंट के प्रतिनिधि, अपोजिशन के प्रतिनिधि सबको बिठाकर तय करते तो बड़ा वाइज स्टेप होता । इस तरह की तब्दीली का बहुत ऊंचा उद्देश्य नहीं है . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप कल कह चुके हैं. . . .

श्री भगवान सहाय—

इसमें चेम्बर में बात करने का सवाल नहीं है । हम चाहते हैं कि सदन में ही आप हमें अवगत करायें कि यह तब्दीली क्यों हुई, किस तरह से हुई और इस तब्दीली के बारे में आप आइन्दा के लिये क्या करेंगे यह बतायें ।

श्री भूपसिंह को कारावास के दण्ड की सूचना

श्री अध्यक्ष—

"मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि दंडाधिकारी, अलीगढ़ से दिनांक २३ जनवरी, १९६५ के रेडियोग्राम तथा पत्र द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई है कि विधान सभा के सदस्य श्री भूपसिंह, पुत्र श्री लखपति, निवासी गम्भीरपुरा, थाना कोतवाली कोल, जिला अलीगढ़, रिपब्लिकन पार्टी पर धारा १४७, ४५१/१४९, व ३५३/१४९ भारतीय दंड विधान दोषरोपों के लिये मेरे न्यायालय में मेरे सामने मुकदमा चलाया गया ।

१८ दिन तक मुकदमा चलने के बाद आज दिनांक २३ जनवरी, ६५ को मैंने उन्हें धारा १४७, ४५१/१४९ व ३५३/१४९ भारतीय दंड विधान का अपराधी पाया और उन्हें प्रत्येक धारा के अन्तर्गत एक-एक मास का कठिन कारावास का दंड आदेश दिया और यह भी आदेश दिया कि सब दंड साथ-साथ चलेंगे । वह इस समय जिला कारागार, अलीगढ़ में हैं ।"

(कुछ माननीय सदस्यों की ओर से शेम शेम की आवाजें)

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

इस प्रकार के नारे सदन में लगाना असंसदीय है ।

समाचार-पत्र में छपे मुख्य मंत्री के त्याग-पत्र से संबंधित समाचार के बारे में जानकारी

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मुझे एक बात आपसे पूछना है और दूसरी बात मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना है कि "एक्सप्रेस" पेपर में यह निकला है कि इस प्रदेश की मुख्य मंत्री जी बजट अधिवेशन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं, तो क्या यह सत्य है और कृपया मुख्य मंत्री जी यह बतलायें कि वह कब इस्तीफा दे रही हैं ? इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि अच्छा हो कि वह बजट के पहले ही अपना इस्तीफा दे दें जिससे उनकी आलोचना कम हो ।

श्री अध्यक्ष—

सुना कीजिये, ऐसे पेपर की खबरों के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता ।

न्यायपालिका एवं विधान सभा के बीच चल रहे विवाद पर विचार करने हेतु समय की मांग

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधान सभा और न्यायपालिका का वाद-विवाद चला और चल रहा है और जब पिछली बार हम लोग मिले थे तब से अब तक बहुत-सी नई प्रतिक्रियायें हुई हैं और इस विषय पर हम लोग आगे बढ़े हैं । इस विषय पर हम लोगों में तथा बाहर के तमाम लोगों में काफी उत्सुकता है और सारे लोग उन बातों को जानने के लिये उत्सुक हैं । अभी गवर्नर महोदय के अभिभाषण में भी इसका उल्लेख किया गया है । अतः इस संबंध में मेरा आपसे निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर गवर्नर साहब के धन्यवाद के प्रस्ताव के अंतर्गत बहस होने से अच्छा हो कि इसके लिये कोई दिन अलग से निश्चित कर दिया जाये जिस दिन इसी पर केवल अलग से इस सदन में विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने एक लीगल कमेटी नियुक्त की थी, जिसमें सभी आदरणीय दलों के प्रतिनिधि हैं, तो वह कमेटी बैठकर निश्चय कर ले और एक मोशन माननीय कमला सिंह जी का आया है उसे भी

में देख रहा हूं । इसको भी मैं कमेटी के समक्ष रख दूंगा या यदि उचित समझा गया तो एक दिन निश्चित कर दिया जायगा और वह दिन आपकी राय से रखूंगा ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

शायद लीगल कमेटी की तरफ से यह निवेदन किया गया है कि इसके लिये ४ दिन का समय रखा जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान मंडल और न्यायपालिका के विवाद के संबंध में आपने अपना जो मत इधर उधर और वक्तव्यों द्वारा तथा अन्य तरीके से प्रकट किया है, उसे आपने पूरे हाउस का मत बताया है । आपका ऐसा मत है कि जो मत आपका है वही मत इस सदन के सभी आदरणीय सदस्यों का है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है । हम लोग उससे विभिन्न मत रखते हैं हम आपकी राय से सहमत नहीं हैं । किन्तु आपने जो कुछ कहा है उससे देश के अन्दर और बाहर एक बड़ा भारी भ्रम फैला है । अतः आप हमें शीघ्र मौका दें कि हम इस संबंध में अपनी बात अपनी राय रख सकें और फैले हुये भ्रम निवारण कर सकें ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें माननीय विरोधी दल के नेता ने जो प्रश्न उठाया है वह विषय इसलिये उठाया है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में उसका उल्लेख है और वह चाहते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में उस पर चर्चा न होकर एक दिन अलग से केवल उसी विषय पर चर्चा हो जाये । इसलिये अच्छा होगा कि माननीय सदन के समक्ष एक दिन यह विषय आ जाये और प्रत्येक दल और प्रत्येक व्यक्ति उस पर अपने अपने विचार प्रकट कर सके । यह दिन या तो मैं ११ तारीख को निश्चित कर दूंगा या जैसा आप कहेंगे वैसा सोच-विचार कर रखूंगा ।

श्री भूपसिंह को दिये गये कारावास के दण्ड के सम्बन्ध में परिप्रश्न

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य श्री भूपसिंह के बारे में जो आपने सजा की सूचना सुनाई सदन में कि उन्हें रीग्रेस इम्प्रीजनमेंट की सजा दी गई है । श्रीमन्, यह ठीक नहीं है । एम० एल० ए० जो होता है वह अपर और सुपीरियर क्लास में रखा जाता है । आदमी स्टेटस के अनुसार रखा जाता है । उन्हें सिम्पिल इम्प्रीजनमेंट होना चाहिये था, यह जो रीग्रेस इम्प्रीजनमेंट दिया गया है वह ठीक नहीं है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । तो सिम्पिल इम्प्रीजनमेंट माना जाना चाहिये । रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट आपने सुनाया है तो रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट किस तरह से होगा जब सुपीरियर क्लास में आदमी रखा जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

जहां तक मुझे जानकारी है कोई भी व्यक्ति जो दण्ड विधान के अन्तर्गत दोषी पाया जाता है और उसको दण्ड दिया जाता है उसके ऊपर कानूनी नियम लागू होते हैं । जेल में जाने पर जेल के नियम लागू होते हैं । ऐसा हो सकता है, और यह आदेश प्रायः मेरा खयाल है जो दंडाधिकारी सजा देता है वही निश्चित कर देता है कि किस श्रेणी में वह रखा जायगा । यह जरूर है कि सरकार इस बात पर ध्यान दे और उचित कार्यवाही उस संबंध में करे । लेकिन एक मर्तबा सजा पाकर वह जेल के समस्त नियमों के अधीन है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण की अंग्रेजी प्रतियां छपने पर आपत्ति

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं एक बात की ओर । हमको कल राज्यपाल जी के अभिभाषण की प्रति हिन्दी में मिली और उनका भाषण भी हिन्दी में हुआ इसके लिये हमें हर्ष है और हम उनके आभारी हैं । लेकिन हमें यह कहना है कि उसके साथ साथ कुछ अंग्रेजी की प्रतिलिपियां भी वितरित की गयीं । तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि किन किन कारणों से अब हिन्दी के बजाय अंग्रेजी भी यहां चल रही है ? किन-किन चीजों का मुद्रण अभी अंग्रेजी में चलता रहेगा । मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इस व्यवस्था के संबंध में मुझे तो मालूम नहीं । मेरे ज्ञान में यह बात नहीं है कि अंग्रेजी की प्रतियां वितरित हुई हैं । इसको मैं देखकर बताऊंगा, पहले जांच कर लूं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप सदन में कह चुके हैं कि मैं तो सदन का सर्वेंट हूं । जो सदन आदेश देगा उसका मैं पालन करूंगा । मैं जानना चाहता हूं आपने यह निर्णय कैसे ले लिया कि अखबार वालों को यहां से हटा कर वहां भेज दिया । आपको समस्त विरोधी दल के नेताओं को और उधर के बैठने वालों . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा—

है, आप सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । माननीय नेकराम शर्मा जी, आप बैठ जाइए । यह ३ मर्तबा बात हो चुकी । कल भी हुई आज माननीय झारखंडेराय जी ने भी यह बात कही अब यह बात रिपीट नहीं हो सकती ।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा प्वाइंट दूसरा है आप सुन लीजिये ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास कई एक कामरोको प्रस्ताव आये हैं । इस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और उस पर आदरणीय सदन का ध्यान मैं आकर्षित करूंगा । नियम सं० २० इस प्रकार है :—विधान मंडल के दोनों सदनों को राज्यपाल का अभिभाषण और सभा में उस पर चर्चा—उसमें आप उपखंड नं० ३ में देखेंगे "अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करेंगे जो साधारणतया तीन दिन होगा। परन्तु कोई दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये नियत होते हुये भी, उस दिन सदन में अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ होने या जारी होने के पूर्व अन्य औपचारिक कार्य किया जा सकेगा।"

मेरा निवेदन यह है कि औपचारिक कार्य तथा प्रश्नों का कार्य हो सकता है और कोई कार्य नहीं हो सकता । कामरोको प्रस्ताव की सूचनाएं जो आती हैं वह ऐसी हैं जो कि अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन के अंग बन सकती हैं और आप उन पर बोल सकते ह । आप

चाहें तो सूचना दे सकते हैं ऐसे संशोधनों की और संशोधन के रूप में वह बातें आ सकती हैं । वैसे तो अभिभाषण पर संशोधन करने के लिये किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होती । ऐसी स्थिति में कामरोको प्रस्ताव नहीं आने चाहिये । जो बातें कही जायेंगी और यदि वह महत्व-पूर्ण हैं, तो उनका उत्तर मंत्रिमंडल की तरफ से दिया जावेगा--यदि जवाब नहीं आता, तो उनके पश्चात् हम उस पर विचार कर सकेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है अभी आपने जो नियम पढ़ा है, (व्यवधान) आप हमारी बात को सुन लीजिये । सारे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार कायदे कानून को तोड़ करके उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है । ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश विधान सभा नियमों के अन्दर कैसे संचालित हो सकती है ? इस विरोधाभास पर अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—

जो मुझे कहना था मैंने कह दिया ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

आप यह बताइए यहां पर कि उनके खिलाफ क्या आरोप हैं, उनके खिलाफ क्या चार्जेज हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

कृपया आप (श्री शराफत हुसैन रिजवी से) बैठिए ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

श्रीमन्, मैं नहीं बैठूंगा । आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

मेरा आदेश है आप कृपया बैठें ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

मैं नहीं बैठूंगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सरकार बताए कि इतने लोगों को नजरबंद क्यों किया । इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए। हमारी व्यवस्था की बात अगर आप टालेंगे तो इससे हमारी आजादी छिन जायेगी ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही से उहें क्यों रोका गया है । उनके खिलाफ क्या आरोप है ?

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जाइए ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

मैं नहीं बैठूंगा । आप हाउस में बताइए कि उनके खिलाफ क्या इल्जामात हैं ?

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मैं आपसे इतनी दरख्वास्त करता हूं कि श्री शराफत हुसैन की जो बात है उस पर आप मिनिस्टर साहब को कह दीजिए कि वे बाद में सफाई पेश कर दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि उन लोगों की हैसियत जो कुछ भी हो मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं जरूर यह कहता हूं कि, (एक आवाज) मैं उनकी वकालत नहीं करता हूं, उनको बता दें कि उन्हें क्यों नजरबन्द किया गया है। कुछ न कुछ तो सफाई जरूर देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय शराफत हुसैन जी से कहा था कि आप बैठ जाइए। यह प्रश्न अभिभाषण के सम्बन्ध में उठा सकते हैं। यह प्रश्न माननीय नेता विरोधी दल ने अपने संशोधन में उठाया है और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वे इस पर बोलेंगे और इसका उत्तर उधर से आयेगा। फिर भी यदि इस बहस के पश्चात् इस पर प्रकाश न डाला गया तो हम विचार करेंगे।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

श्रीमन्, मैं महज उनके इल्जामात जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठ जाइए?

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

श्रीमन्, मेरी बात तो सुन लीजिए.....

श्री अध्यक्ष--

यदि आप नहीं बैठते हैं तो आप सदन छोड़ें।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। जो विषय आज का है उस पर ही बोलना है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष--

अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़िए।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

श्रीमन्, अगर आप मुझे बोलने की आज्ञा नहीं देते तो मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री शराफत हुसैन रिजवी सदन त्याग कर चले गये।)

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत कोई सूचना स्वीकार नहीं की है। स्वीकार न करने के कारण भी मैंने उन पर लिख दिए हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि कार्य-स्थगन के प्रस्ताव और नियम ५२ की सूचनाओं के सम्बन्ध में जो आपने व्यवस्था दी है आप कृपया उन पर फिर से गौर करें। निवेदन यह है कि माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं जो उनके सामने आती हैं, जैसे कहीं पर कत्ल हुए, कहीं कुछ घटना हुई, लेकर आते हैं और चाहते हैं कि सरकार की तरफ से उनके उत्तर मिलें। आपने एक बार ही नहीं सैकड़ों बार कार्य-स्थगन के प्रस्ताव दफा ५२ में लिए हैं। हमारी इस बात को आप मानें या न मानें लेकिन दफा ५२ में समस्या हल नहीं हो पायेगी। मेरे पास एक तार आया है इलाहाबाद से जिसमें लिखा है "मेरा भाई पुलिस द्वारा....."

श्री अध्यक्ष--

एक बात सुन लेने की है। इस तरह तो प्रत्येक सदस्य खड़ा होकर पढ़ने लगेगा। आप मुझ से आकर बात कर लें। अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के जरिए आप पूछ सकते हैं। नियम ५२ के सम्बन्ध में मैं कोई और बात नहीं सुनूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मानें या न मानें।

श्री अध्यक्ष--

आप की बात सिद्धांत पर होनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आपने जो नियम ५२ के अन्दर सूचना दी है उस पर भाषण देने लग जायं, उसके तथ्य बतलाने लग जायं। जब उसका विवरण सदन के समक्ष देने लग जायंगे तो दूसरे सदस्य जिन्होंने नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न दिए हैं वे भी तथ्य देने लग जायेंगे। तो विवाद उठ खड़ा होगा। नियम ५२ के अन्तर्गत जितने प्रश्न आये हैं मैंने उन सब पर लिखित आदेश दे दिए हैं। आप मिल लें मुझ से। अगर आप मुझे संतोष दिला देंगे कि जो आदेश दिया है वह ठीक नहीं है तो मैं उसमें परिवर्तन कर दूंगा। लेकिन यहां बैठ कर नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

आपने नियम ५२ के बारे में व्यवस्था दी कि नियमों के अनुसार चूंकि आज हम धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस करने जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के बारे में यह नहीं कहा गया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

नियमावली जिसके अनुसार यह सदन चल रहा है वह हम पर लागू होती है जब तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय न दे दे कि वह सही है, उचित है और हम पर लागू होती है या नहीं होती है।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मुझे भी अन्य सदस्यों की तरह मौका दिया जाय। मैं नियम ५२ के बारे में नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

इसके बाद।

विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं····

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

पहले पढ़ लेने दीजिए तब आप व्यवस्था का प्रश्न रखें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हर माननीय सदस्य को यह एजेंडा बटा है।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन पहले पढ़ लेने दीजिए कि वह क्या कह रहे हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्री काशीनाथ जी का कहना यह है कि उपाध्यक्ष महोदय जो प्रस्ताव रखने जा रहे हैं वही असंवैधानिक तथा अनियमित है और यह प्रस्ताव न पेश किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह सम्भव है कि वह यही कहें कि इस प्रस्ताव को वह वापस ले रहे हैं।

*श्री होतीलाल अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि—

"माननीय अध्यक्ष के इस निर्णय के विरोध-स्वरूप कि श्री केशवसिंह को सदन में उपस्थित कराने के लिए वारन्ट जारी किया जाय और १८ मार्च, १९६४ को उनकी शास्ति की जाय, सर्वश्री उग्रसेन, राधेश्याम शर्मा, लखीसिंह, शिवनाथसिंह तथा रामआसरे, सदस्य, विधान सभा, द्वारा सदन का परित्याग किए जाने से सम्बन्धित सदन के अवमान का प्रश्न ३ मार्च, १९६४ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

श्री नित्यानन्द पांडेय, सदस्य, विधान सभा, के विधान सभा में दिए गए भाषण पर, आक्षेप करते हुए एक पर्चा छपवा कर जनता में वितरित करवाने के सम्बन्ध में श्री रामपालसिंह यादव, मन्त्री, जिला सोशलिस्ट पार्टी, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ५ मार्च, १९६४ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

दिनांक २५ मार्च, १९६४ को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वश्री एन० यू० बेग तथा जी० डी० सहगल व श्री बी० सालोमन द्वारा सदन का अवमान किए जाने से सम्बन्धित प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

दिनांक २८ मार्च, १९६४ को विधान सभा द्वारा पारित विशेषाधिकार की अवहेलना सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वित करने पर अन्तरिम आदेश द्वारा रोक लगाने के सम्बन्ध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कुछ सदस्यों द्वारा इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की पृथक-पृथक सूचनाओं का निर्देश विशेषाधिकार समिति को किया गया था और दिनांक ३० मार्च, १९६४ को उक्त निर्देश संशोधित किया गया था;

दिनांक ३० मार्च, १९६४ को सोशलिस्ट पार्टी, गोरखपुर के अश्विनीकुमार शुक्ल, प्रद्युम्न शुक्ल, सुभाष चन्द्र तथा रमाकांत पांडेय के विरुद्ध श्री राजनारायण मिश्र द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

दिनांक १० अगस्त, १९६४ को सदन से निलम्बित होने के उपरान्त, श्री चन्द्रबली सिंह, सदस्य, विधान सभा, द्वारा सदन में पुनः प्रवेश के सम्बध में सदन के अवमान का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

और चूंकि उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर समिति के प्रतिवेदन अन्तिम रूप से तैयार नहीं हो सके हैं, अतः उक्त प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय ३१ मार्च, १९६५ तक बढ़ा दिया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं वह इस प्रस्ताव को भी नहीं ला सकते हैं। पहला प्रश्न यह है कि सर्वश्री राधेश्याम, उग्रसेन आदि के द्वारा सदन का परित्याग किए जाने से सम्बन्धित सदन के अवमान के प्रश्न के ऊपर विशेषाधिकार समिति को अपनी रिपोर्ट ३ मार्च, १९६४ को देनी थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा सार्वभौम सत्ता है और अगर इस विधान सभा में लटकाने वाले सिद्धान्त को चलाते रहेंगे अनिश्चित काल तक तो शासन की क्या व्यवस्था होगी ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि आप व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं या आप इसके औचित्य पर बहस कर रहे हैं। यहां यह प्रश्न नहीं उठता कि अगर विधान सभा यह करती रहेगी या आप नियम पढ़ दीजिए।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपने यह नियम नहीं बनाया कि विधान सभा की यह विशेषाधिकार समिति किसी मसले को अखंड काल तक चलाती रहेगी। अगर आप यह नियम बना देंगे तो मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाऊंगा। आप तो वकील रहे हैं और आप जानते हैं कि लिमिटेशन हर जगह चलती है। क्या कोई ऐसी दफा है कि उसके अधीन अगर कोई मसला जायगा तो यह विधान सभा उसका समय बढ़ाती चली जायगी।

दूसरी बात यह है कि जब माननीय न्यायाधीशों के खिलाफ विशेषाधिकार समिति में यह भेजा गया और उच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में वह सवाल गया और उसने प्रतिबन्ध लगा दिया तो आपकी समिति ने काम करना बन्द कर दिया। इसके माने यह हैं कि आपकी विधान सभा और विशेषाधिकार समिति मुख्य न्यायाधीश के मातहत हैं क्योंकि आपने उसको मान लिया। अध्यक्ष महोदय, आपने कहीं नहीं यह निर्णय लिया है कि हम न्यायाधीशों के आदेशों को किसी तरह से नहीं मानेंगे और हमारी कमेटी काम करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और वहां से यह अन्तरिम आदेश आप पर लागू हो गया तो आप बाउन्ड हो गए कि विशेषाधिकार समिति काम न करे। आप आज खड़े हो कर कहते हैं कि समय बढ़ा

[श्री काशीनाथ मिश्र]

दिया जाय यह कहां तक न्यायसंगत, न्यायोचित और नियमित है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इस तरह से बहुमत के बल पर बेलगाम अगर आप कार्यवाही चलाते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसी रहेगी यह आप बताइए।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

हमारा यह कहना है कि केशवसिंह के मसले में उच्चतम न्यायालय ने यही किया है कि माननीय न्यायाधीशों को यह हक है कि २२६ के अन्तर्गत वे रिट पेटीशन ले सकते हैं और माननीय न्यायाधीश उन पर अन्तरिम आदेश दे सकते हैं। जब उन्होंने इस बात को मान लिया तब इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के न्यायाधीशों ने जो किया था वह ठीक किया था और उच्चतम न्यायालय ने उनके अच्छे काम पर अपनी अच्छी मुहर लगा दी। अब उसके बाद यह कहां तक उचित है और कहां तक संविधान के नियमों के अन्तर्गत है कि उन्हीं न्यायाधीशों के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न आप उठावें। यह राष्ट्रीय नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि इसी आदरणीय सदन में आपने कहा कि यदि मैं आदरणीय विधान सभा के आदेश को कार्यान्वित नहीं करा पाऊंगा तो सदन की सेवा से हट जाऊंगा। तो बजाय इसके कि आप इस्तीफा दें विशेषाधिकार समिति के कार्य की अवधि बढ़ाना इस का प्रश्न कहां पैदा होता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

जो प्रस्ताव माननीय सभापति, विशेषाधिकार समिति ने रखा है मैं उसकी अन्तिम पंक्ति में यह संशोधन रखना चाहता हूं कि बजाय ३१ मार्च, १९६५ के अवधि ३१ मार्च, १९६६ कर दी जाय। जो प्रश्न इसमें अन्तर्निहित हैं वे बड़े गम्भीर हैं और उनकी गम्भीरता को हमें महसूस करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह प्रश्न महत्व का इसलिए है कि इसमें न्यायपालिका और विधान सभा के बीच में जो झगड़ा है इसलिए ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार दोनों पक्षों में तनाव की भावना पैदा हो जाय। धीरे-धीरे यह मामला सुलझेगा और अपने आप हल होता जायगा और तब बिना किसी परिश्रम के आप इस वैतरणी से पार हो जायेंगे। इसलिए इसे ६६ तक बढ़ा दिया जाय।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

मैं यह अर्ज करूं....

श्री अध्यक्ष—

क्या आप संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं?

श्री होतीलाल अग्रवाल—

नहीं, नहीं। मैं यह कह रहा था कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट की राय का ताल्लुक है वह किसी पर भी बाइंडिंग नहीं हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सभापति विशेषाधिकार समिति यह तो आप समिति में तय करेंगे, यहां नहीं।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

ठीक है, जहांतक समिति का ताल्लुक है उसने बड़ी कोशिश की कि सारी बातें तय हो जायं.....

श्री उग्रसेन—

व्यवस्था का प्रश्न। मेरा प्रश्न यह है कि माननीय उपाध्यक्ष विवरण में जा रहे हैं और आपने उन्हें इजाजत दे दी है तब आप यह समझ लीजिए कि इस पर बहस होगी।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक कमेटी का सम्बन्ध है उसने कोशिश की कि जल्दी ही ये मामले तय हो जायं लेकिन बहुत से ऐसे मामले रुक गए जिनमें हमारी कुछ मजबूरी आ गई। लोगों ने अड़ंगे डालने प्रारम्भ कर दिए। किसी ने कोई अड़ंगा डाला और किसी ने उसमें भाग ही नहीं लिया.....

(व्यवधान)

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, किसी भी कमेटी की प्रोसीडिंग कांफिडेन्शियल हुआ करती है। उन कांफिडेन्शियल प्रोसीडिंग्स को माननीय उपाध्यक्ष हाउस में कह रहे हैं तो यह एक हाउस के प्रिविलेज का सवाल है। इसलिए मैं इसी समय ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस उनके खिलाफ देता हूं। क्योंकि वे इस समय उन प्रोसीडिंग्स को यहां पर अनाथराइज्ड वे में हाउस के सामने रख रहे हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी भगवान् सहाय जी ने कहा कि वह यहां पर गोपनीय प्रोसीडिंग्स अनाथराइज्ड वे में रख रहे हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि यह जो कमेटी है यह हाउस की कमेटी है और इस सदन से कोई बात गोपनीय नहीं है, सदन हर बात जान सकता है।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उन्होंने तो इस समय प्रिविलेज का केवल नोटिस दिया है तो मैं यह चाहता हूं कि वह इसी समय यहां पर हाउस के सामने तय हो जाय ?

श्री अध्यक्ष—

आप जरा इनको भी तो सुन लीजिए। आप कृपा कर बैठ जायं। जब कोई व्यवस्था का प्रश्न हाउस के सामने उठाया जाय तो अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह उस सम्बन्ध में और किसी को भी सुन ले और उनसे भी जानकारी प्राप्त कर लें। एक व्यवस्था का प्रश्न काशीनाथ मिश्र जी ने उठाया उस सम्बन्ध में ही आप जवाब दे रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इस समय तो उन्होंने ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल उठाया है।

श्री अध्यक्ष—

वह दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्री नवलकिशोर और श्री बृजभूषण शरण जी ने ही इस सारे हाउस को उभाड़ा था।

श्री नवलकिशोर—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात टम्बेश्वर जी ने उठाई वह उनकी आपत्ति निर्मूल है। कोई भी सदस्य अगर यहां पर प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करता है तो मुझे यह अधिकार है कि मैं अपनी बात कह सकूं। इस पर कोई कानूनी पाबन्दी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जो बात कही गई कि "१९६६" तक टाइम बढ़ा दिया जाय तो मैं यह कहूंगा तो हमारी कमेटी का टाइम ही ३१ मार्च तक होता है। इसलिए ३१ मार्च तक ही उसके कंसीडरेशन के लिए टाइम बढ़ाया गया है। इसलिए १९६६ का सवाल नहीं आता है। जुडिशरी और लेजिस्लेचर के झगड़े की जो बात कही गई उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि इस समय सिर्फ उसके टाइम बढ़ाने का ही सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

एक व्यवस्था का प्रश्न काशीनाथ जी मिश्र ने उठाया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती। उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर दूं कि इस आदरणीय सदन को यह अधिकार है कि चाहे जो अवधि पहले से निश्चित हो या उसके पूर्व या उसके समाप्त होने के बाद, अगर ऐसा प्रस्ताव आए, तो वह अवधि बढ़ा दे। तो यह प्रस्ताव सदन के अधिकार के अन्तर्गत है। दूसरी बात यह है कि यह उपयुक्त है या नहीं। तो यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह आदरणीय सदन तय करेगा कि यह उपयुक्त है या नहीं। वह सदन के मत से निश्चित होगा न कि मेरे द्वारा....

श्री काशीनाथ मिश्र—

कौन सा नियम है जिसके अन्तर्गत आप बढ़ायेंगे। उसका हवाला दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप पहले व्यवस्था के प्रश्न पर सुन लें। उसका नियम भी २६८ है।

वह इस प्रकार है "किन्तु अध्यक्ष अथवा सदन यथास्थिति समिति के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि को समय-समय पर बढ़ा सकेंगे।" यह निश्चित है इसलिये यह समाप्त हुआ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

यह समाप्त नहीं हुआ। इसमें आगे लिखा है कि अगर एक मास के अन्दर न बढ़े तो नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस पर रूलिंग दे दी इसलिये यह समाप्त हुआ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

निर्दिष्ट होने के एक मास के अन्दर प्रस्ताव आना चाहिये यह नियमावली में लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

आपने मुझे कहा था कि समय देंगे बाद में।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। आपने शुरू में ही जो कहना था कह दिया।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं इसका विरोध कर रहा हूं। इसके लिये मुझे समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

समय नहीं मिलेगा।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव सभापति विशेषाधिकार समिति ने प्रस्तुत किया है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय ३१ मार्च, १९६५ तक बढ़ा दिया जाय, उन-उन विषयों के लिये जिनका कि प्रस्ताव में उल्लेख है। वह स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, इस बीच में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ५ महीने बाद हम लोग मिल रहे हैं और आपने कोई नियम ५२ का प्रश्न उपयुक्त नहीं समझा जिसे लिया जाता।

श्री अध्यक्ष—

अब वह समाप्त हो चुका है। आप बैठ जायं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा निवेदन है कि आप उन नियम ५२ की सूचनाओं पर पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं करूंगा। आप आ जाइयेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि—

"माननीय अध्यक्ष के इस निर्णय के विरोध स्वरूप कि श्री केशवसिंह को सदन में उपस्थित कराने के लिये वारन्ट जारी किया जाय और १८ मार्च, १९६४ को उनकी शास्ति की जाय, सर्वश्री उग्रसेन, राधेश्याम शर्मा, लखी सिंह, शिवनाथ सिंह तथा रामआसरे सदस्य, विधान सभा, द्वारा सदन का परित्याग किये जाने से संबंधित सदन के अवमान का प्रश्न ३ मार्च, १९६४ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

श्री नित्यानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा के विधान सभा में दिये गये भाषण पर, आक्षेप करते हुए एक पर्चा छपवा कर जनता में वितरित करवाने के संबंध में श्री रामपालसिंह यादव, मंत्री, जिला सोशलिस्ट पार्टी, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ५ मार्च, १९६४ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

दिनांक २५ मार्च, १९६४, को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वश्री एन० यू० बेग तथा जी० डी० सहगल व श्री बी० सोलोमन द्वारा सदन का अवमान किये जाने से संबंधित प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था।

दिनांक २८ मार्च, १९६४ को विधान सभा द्वारा पारित विशेषाधिकार की अवहेलना संबंधी प्रस्ताव कार्यान्वित करने पर अन्तरिम आदेश द्वारा रोक लगाने के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की पृथक-पृथक सूचनाओं का निर्देश विशेषा-

[श्री अध्यक्ष]

धिकार समिति को किया गया था और दिनांक ३० मार्च, १९६४ को उक्त निर्देश संशोधित किया गया था;

दिनांक ३० मार्च, १९६४ को सोशलिस्ट पार्टी, गोरखपुर के अश्विनी कुमार शुक्ल, प्रद्युम्न शुक्ल, सुभाष चन्द्र तथा रमाकान्त पाण्डेय के विरुद्ध श्री राजनारायण मिश्र द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था ;

दिनांक १० अगस्त, १९६४ को सदन से निलम्बित होने के उपरान्त, श्री चन्द्रबली सिंह, सदस्य, विधान सभा, द्वारा सदन में पुनः प्रवेश के संबंध में सदन के अवमान का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था ;

और चूंकि उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित अवधि के भीतर समिति के प्रतिवेदन अन्तिम रूप से तैयार नहीं हो सके हैं, अतः उक्त प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय ३१ मार्च, १९६५ तक बढ़ा दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों द्वारा व्यवधान उपस्थित करने के सम्बन्ध में खेद प्रकाशन का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, आप की अनुमति से मैं यह प्रस्ताव रखना चाहती हूं कि कल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने इस सदन की परम्परा तथा मर्यादा के विपरीत उनके भाषण के मध्य में बाधा उपस्थित कर इस सदन तथा महामहिम राज्यपाल का असम्मान किया।

अतः यह सदन महामहिम राज्यपाल से हार्दिक दुख एवं खेद प्रकट करता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं इसका विरोध करता हूं। माननीया मुख्य मंत्री द्वारा इस तरह का प्रस्ताव यहां आया है जिससे इस विधान सभा का और इस विधान सभा के विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के मौलिक अधिकारों का तथा जनतांत्रिक प्रणाली का अपमान हुआ है। बंगाल विधान सभा में भी गवर्नर महोदय को एड्रेस नहीं करने दिया गया। हमने तो बड़े अदब के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। जबकि सारे प्रदेश की जनता अकाल और महंगाई से ग्रसित हो, सरकार अपने लोगों को ठेका, कोटा, परमिट देने में लीन हो, उस वक्त हमारे लिये और क्या चारा रह जाता है? इन वजीरों को जो वहां बैठे हैं, जेलों में बन्द कर देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप इस प्रस्ताव को एडमिट न करें। इससे हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा।

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीया मुख्य मंत्री ने बिना आपकी आज्ञा प्राप्त किये हुए यह प्रस्ताव पेश किया है। (व्यवधान)

अब जब यह पेश हो गया है तो आप उन माननीय सदस्यों को जो बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने का अवसर क्या आप देंगे? अगर देते हैं तब तो यह वैध है, वरना अवैध है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे सदन में प्रस्ताव लाने के कुछ नियम हैं जिनके अन्तर्गत इस तरह के प्रस्ताव आते हैं। ऐसे प्रस्ताव जो बगैर सूचना के आते हैं वे नियम ११३ के अन्तर्गत आते हैं। इसमें कोई बधाई या समवेदना आदि के प्रस्ताव होते हैं। जब भी कोई दूसरा प्रस्ताव आया है तो यहां की यह परम्परा रही है कि वह सभी विरोधी दलों से परामर्श करने के बाद ही आया है। इस सदन में इस तरह का प्रस्ताव ८ वर्षों में केवल एक ही बार और वह चीन के संबंध में आया है जिसे तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त जी ने पेश किया था। उसके पहले एक माननीय संपूर्णानन्द जी ने पेश किया था जब कि ८ आदमी मारे गये थे। आज अचानक इस तरह का प्रस्ताव पेश करने की आपने इजाजत दे दी और उन्होंने पेश कर दिया। आप इस सदन के कस्टोडियन हैं, आपको गंभीरता के साथ इस पर विचार करना चाहिये था और कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहिये था जिससे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। हर माननीय सदस्य ने महामहिम राज्यपाल के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए ही अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र में जहां संसदीय व्यवस्था का मान है, वहां नीति के प्रति और ऐसी नीति जो जनविरोधी हो और जिसके लिये सरकार स्वयं जिम्मेदार हो, उसके लिये विरोध प्रकट करने का यह तरीका नहीं है। अगर उसके अनुसार माननीय सदस्यों ने सदन का त्याग किया था, और आज उसकी भर्त्सना करने का प्रस्ताव रखा गया है जो नियमानुकूल नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी को इजाजत देकर आपने भी ऐसा काम किया है जिससे सदन की व्यवस्था कायम करना मुश्किल हो जावेगा। इसलिये दुख है आपके इस व्यवहार से जो आपने इजाजत दे दी। यह सदन की परम्परा और नियमों के प्रतिकूल है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप माननीया मुख्य मंत्री से कहें कि वे इस प्रस्ताव को वापिस ले लें क्योंकि इसी में सदन की मर्यादा व सम्मान है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्, और वह यह कि इस प्रस्ताव की कोई जानकारी माननीय सदस्यों को पहले से नहीं थी।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, व्यवस्था का ही प्रश्न हो रहा है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

तो श्रीमन्, मैं अनुरोध करूंगा कि ये प्रस्ताव इस समय प्रस्तुत न करें। इसके लिये आप और कोई समय दें तभी इस पर विचार हो सकेगा और ऐसा प्रस्ताव लायें जिसमें आक्षेपात्मक शब्द न हो।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

जहां तक मुझे याद है और मेरे सामने बैठने वाले श्री हरगोविन्दसिंह को भी याद होगा कि आज तक इस हाउस में जब तक विशेषाधिकार का प्रस्ताव पारित न हुआ हो, इस प्रकार के प्रस्ताव सदन के अन्दर नहीं आये। यह पहला प्रस्ताव है और अब तक किसी का प्रस्ताव उचित हुआ या अनुचित, इनका बिना निर्णय लिये प्रस्ताव सदन में नहीं आया है। मैं ताज्जुब में हुआ जब माननीया मुख्य मंत्री की ओर से प्रस्ताव आया। श्रीमन्, आप नियमावली

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

को देखेंगे जिसमें नियम ११३ के अनुसार इस तरह के प्रस्ताव बिना सदन की अनुमति के नहीं लाये जा सकते। यह प्रस्ताव उसमें निहित न हो रहा हो जब तक, तब इस तरह का प्रस्ताव अगर आता है तो ऐजेन्डा में लिख दिया जाता है। जब दोनों ओर से विभिन्न मत रखे जाते हों तो ऐसी दशा में यकायक प्रस्ताव लाने में वादविवाद होने पर यह ऐसी घटना होगी कि सदन के लिये अशोभनीय होगा। मैं चाहूंगा कि इस तरह के प्रस्ताव यदि माननीया मुख्य मंत्री चाहती हैं तो हाउस के ऐजेन्डे में रखिए। उसमें हमारे संशोधन स्वीकार करिये और इसके लिये हर एक को एक सा अवसर दीजिये जिसमें हम सब देशों और दुनिया के इतिहास को ध्यान में रख कर विचार कर सकें और इस प्रकार का भर्त्सनात्मक प्रस्ताव हाउस के अन्दर न आयेगा यह कलंक की बात है। मैं समझता हूं कि उनके इस प्रस्ताव ने सदन का अवमान किया है और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापस लें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि इसकी सूचना आ गई है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

सूचना मुझे अभी मिली है और मेरे कहने पर माननीया मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव आपके सामने रक्खा। और कुछ कहना है?

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को पेश करके माननीया मुख्य मंत्री जी ने कोई अक्लमन्दी का सबूत नहीं दिया। मामला गुजर गया था, सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होने वाला था वह हो गया था, अब दूसरा प्रोटेस्ट शुरू कराने के लिये यह मौका दिया जा रहा है। यह अक्लमन्दी नहीं है। माननीय पान्डेय जी, भगवान सहाय जी तथा और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट के वक्त कहा था उन्होंने साफतौर पर यह कह दिया था कि हम राज्यपाल जी की इज्जत करते हैं। मैंने तो यहां तक कह दिया था कि यह हमारी सरकार है। अब अगर यही अपमान हो गया तो कल को सुचेता जी कहेंगी कि तुमने सरकार की आलोचना करके सरकार का अपमान किया है। इसमें या तो हमारी अक्ल खराब है या उनकी अक्ल खराब है। हमारा यह अधिकार है कि हम सदन में किसी भी वक्त सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए सदन से बाहर जायं। अगर आप इसको अपना अवमान कहेंगे तो कल को मैं भी आपके खिलाफ यही इल्जाम लेकर आऊंगा। यह सब गलत बातें हैं, ये दूरंदेशी की बातें नहीं है, ये नातजुर्बेकारी की बातें हैं। इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाय और समझदारी से काम लिया जाय।

इतना बड़ा अपोजीशन है, उसको रौंदा नहीं जा सकता। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी चीजों के लिये इजाजत देने से पहले आप भी सोंच समझ लिया करें। जब बाहर भूख हड़ताल हो रही थी और माननीय चन्द्रजीत जी भूख हड़ताल करने वालों को बधाई देने का प्रस्ताव लाना चाहते थे तो आपने कहा था कि यह बहुत कन्ट्रोवर्शियल बात है, ऐसा नहीं होना चाहिये, लेकिन आज आपने इस निन्दा के प्रस्ताव को इजाजत दे दी इसलिये हाउस में शान्ति रखने के लिये सरकार को अक्लमन्दी से काम लेना चाहिये चूंकि राहत मौलाई, पान्डेय जी, भगवान सहाय जी और मैंने जो कुछ भी कहा उसमें यह साफ तौर से कहा था कि हम राज्यपाल जी की इज्जत करते हैं और अब भी एक बार नहीं सौ बार हम यह कहने को तैयार हैं कि हम राज्यपाल जी की इज्जत करते हैं, बहुत जबरदस्त इज्जत करते हैं, वे हमारे राज्य के लीडर हैं, हम भी उनकी इज्जत को वैसे ही संभालने वाले हैं जैसे आप हैं। इसलिये इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाय।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, आज इनका भी संतुलन खराब मालूम होता है क्योंकि ये ऐसे नहीं बोला करते थे।

श्री अध्यक्ष—

एक तो माननीय चन्द्र जीत जी को यह भ्रम हुआ कि मैंने इसको स्वीकार कर लिया हैं। यह तो अब ही आया है और मैं भी इसको अभी सुन रहा हूं। अब मैं आदरणीया मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब श्री जेड० ए० अहमद ने अपनी तरफ से और अन्य नेताओं की तरफ से कहा है कि हम लोग राज्यपाल महोदय के प्रति पूर्ण प्रतिष्ठा की भावना और सदन के प्रति पूरी जिम्मेदारी को समझते हुए, बिना किसी के प्रति अनादर की भावना के ऐसा किया गया था, क्या उसको देखते हुए माननीया मुख्य मंत्री इस प्रस्ताव को वापस लेना चाहती हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

यह तो आप रूलिंग देने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

जेड० ए० अहमद साहब का जो प्रस्ताव है उसके बारे में माननीया मुख्य मंत्री के विचार में जानना चाहता था।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

आप सुन तो लीजिये। आप खुद अपमान कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि डाक्टर जेड० ए० अहमद ने उस प्रस्ताव को वापस लेने को कहा है। लेकिन इतना मैं आपको बतला दूं कि वापस लेने की बात कहने का मतलब यह न लगाया जाय कि हमने इसके लिये कोई माफी मांगी है। हम माफी नहीं मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जायं। माननीय मुख्य मंत्री....

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—

मैंने मुख्य मंत्री को बुला लिया है, उनको आप पहले सुन लें फिर व्यवस्था का प्रश्न उठावें।

श्री कमलासिंह यादव—

फिर व्यवस्था का प्रश्न क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

माननीया मुख्य मंत्री के बोलने के बाद ही व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है।

श्री नेकराम शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न आपको सुनना पड़ेगा। इसी असेम्बली में गोंडा एलेक्शन का प्रश्न जब उठाया गया था तो आपने व्यवस्था दी थी कि तत्काल इस प्रश्न को उठाना चाहिये था। इसी तरह से कल तीन बजे ही इस प्रस्ताव को सदन

[श्री नेकराम शर्मा]

में आना चाहिये था जब कि सदन बैठा हुआ था। चूंकि तत्काल यह प्रश्न नहीं उठाया गया इसलिये अब यह प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—

माननीया मुख्य मंत्री पहले बोलेंगी।

श्री भगवान सहाय—

मेरी गुजारिश आप पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप बैठें, माननीया मुख्य मंत्री को पहले सुन लें।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने मुख्य मंत्री को बुला लिया है, पहले उनको सुन लें, फिर आपको सुनेंगे।

*श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव आपके सामने रखा है, उसकी भाषा को जरा देख लिया जाय। मैंने जान कर उस प्रस्ताव में कोई ऐसा शब्द नहीं लिखा है जिससे किसी के मन में किसी तरह का दुख हो। मैंने उसकी भाषा बिलकुल संयत व मर्यादित रखी है। कल शाम को मुझे पता लगा कि गवर्नर साहब के मन में इससे काफी तकलीफ है। गवर्नर का जो प्रारम्भिक भाषण होता है.....

(व्यवधान)

सदन चलाने का एक कायदा होता है उसके कुछ फार्मल फंक्शन होते हैं जब गवर्नर आकर सदन को एड्रेस करता है तो वह एक फार्मल फंक्शन होता है, उसमें बाधा उत्पन्न करना सही चीज नहीं है। फिर भी मैं...

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सदन में बहुत से दलों के सदस्य हैं, सब लोग गवर्नर महोदय के भाषण को सुनना चाहते थे। केवल कुछ लोग ही नहीं सुने और चले गये और बाकी सब चाहते ही थे। आज सब चाहते हैं कि कल के उस व्यवहार के लिए खेद प्रकट करें क्योंकि यह खेद प्रकट करने की बात है, उस चीज के लिये सब के मन में खेद है और इसी वास्ते यह प्रस्ताव आपके सामने है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

खेद आप और आपके साथी उनके भवन में जाकर प्रकट करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन—

यह सदन है चौपाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसे शब्दों का आप प्रयोग न करें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

सुचेता जी गवर्नमेंट बनाये हुये हैं वह स्वयं जाकर गवर्नर से माफी मांगें।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, जो प्रस्ताव सदन के सामने माननीया मुख्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसमें माननीया मुख्य मंत्री ने दो तीन बातें कही हैं। पहली तो यह कि कल गवर्नर के भाषण में इन्टरप्शन हुआ। इसके बारे में मेरा कहना यह है कि ११ बजने में ३ या ५ मिनट बाकी थे कि गवर्नर यहां आकर बैठ गये। सदन ११ बजे से बैठता है उससे पहले सदन का कोई भी समय नहीं था जब तक कि सदन से प्रस्ताव न आता कि ११ से पहले सदन बैठ सकता है और ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया और ११ से पहले कोई सदन का कार्य नहीं चल सकता था। वह ३ मिनट या ५ मिनट पहले आये फिर भी सदन के हर सदस्य ने उनका स्वागत किया और उनकी अप्रतिष्ठा या असम्मान का कोई कार्य नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप फिर मेरिट्स पर बहस कर रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं दोनों पर बहस कर रहा हूं, नियम के मुताबिक भी वह नहीं आ सकता, वह सदन के सामने नहीं आ सकता और न आप उसको ग्राह्य कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक भाषण में इन्टरप्शन का सवाल है उसके सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि अपोजीशन की ओर से जो भी प्रस्ताव रखे गये वे गवर्नर महोदय के भाषण से पहले प्रस्तुत किये गये। अगर गवर्नर अपना भाषण पढ़ना आरम्भ कर दिये होते उस बीच में इन्टरप्शन हुआ होता तब बात सही हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरी चीज यह है कि जहां तक मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का सम्बन्ध है मैं आपका ध्यान १०८ (३) की ओर दिलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपको (मुख्य मंत्री को) जवाब देना है खामोशी से सुनें।]

श्री कमलासिंह यादव—

तो अव्वल तो ११ बजे से पहले की बात है। दूसरे उस वक्त तक गवर्नर का भाषण आरम्भ नहीं हुआ था इसलिये बीच में कोई इन्टरप्शन नहीं हुआ। अपोजीशन के लीडर्स को जो कुछ कहना था वह सब वह गवर्नर के भाषण के आरम्भ से पहले ही खत्म कर चुके थे। इस नियम में है कि "उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निर्देशन नहीं होगा।" हमारे कन्डक्ट के ऊपर यह एक प्रकार का आक्षेप है। तो कोई भी चीज जो हमारे कन्डक्ट या आचरण पर आक्षेप हो इस सदन में किसी तरह नहीं आ सकती। मैं आपका ध्यान नियम १०९ की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं, उसमें लिखा है "अध्यक्ष विनिश्चय करेंगे कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

और वे कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेंगे जो उनकी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो।" तो जितने नियम हैं उनको देखते हुये यह कहा जा सकता है यह जो रखा गया है प्रतिकूल वातावरण वह हम लोगों को क्रश करने के लिये ही यह सब बातें रखी गई हैं और यह बातें हमारे आचरण और कन्डक्ट के बारे में हैं। तो यह न तो श्रीमन् द्वारा ग्रहण ही की जा सकती हैं और न सदन में रक्खी ही जा सकती हैं। इतना ही नहीं पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में उस प्रस्ताव को पढ़ा और बाद में श्रीमन् के पास भेजा गया। इस प्रकार वह प्रस्ताव भी नियम १०७ के अनुसार सचिव को ऐड्रेस होकर वहां नहीं पहुंचा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्ट्रप्शन की जो बात कही गई है वह इन्ट्रप्शन नहीं है और दूसरी चीज जो हमारे कन्डक्ट और आचरण के बारे में कही गई है वह भी इस सदन में नियमानुसार प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन बातों पर अवश्य विचार करेंगी और विचार के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगी कि इसे वापस होना चाहिये। यह सदस्यों के आचरण का प्रश्न है, माननीय मुख्य मंत्री कोई ऐसी बात न लायें जो सदस्यों के आचरण और कन्डक्ट पर आक्षेप हो। आज जिस प्रकार का आक्षेप हम पर किया गया है हो सकता है उन पर भी इस प्रकार का कभी आक्षेप किया जाये इसलिये नियमों का उल्लंघन करके गलत परम्परा न डाली जाये। इसलिये उनको भी नम्रतापूर्वक इस बात को सोचना चाहिये और ऐसा कोई भी प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत नहीं करना चाहिये।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं, अभी डाक्टर अहमद साहब ने जो अपनी भावनायें प्रस्तुत की हैं राज्यपाल महोदय के बारे में व्यक्तिगत रूप से और श्री भगवान सहाय जी ने जो भावनायें पेश की हैं, उनको देखते हुये मैं समझता हूं कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती है और इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार इसे वापस ले ले। शायद मुख्य मंत्री जी भी यह बात समझ रही हैं किन्तु उनके इल एडवाइजर से उन्हें बल मिल रहा है इसलिये श्रीमन्, यदि आप सहारा दें और समझा दें तो मुझे उम्मीद है कि वह अवश्य वापस हो जायेगा।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं, वह बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है। हमने जनतंत्र की मर्यादाओं को अपने सामने रखा है और मैं समझता हूं कि कुछ स्वस्थ परम्पराएं हम बनाना चाहते हैं, इससे देश में जनतन्त्र की जड़ें गहरी करना चाहते हैं और इसलिये भविष्य में ऐसी परम्परा रखना चाहते हैं, जिससे हमारा विश्वास जनतन्त्र में और अधिक बढ़े और इसीलिये जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि उनका तात्पर्य नहीं था कि महामहिम राज्यपाल का किसी तरह से निरादर करते। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि हम लोग उस स्थान से जान बूझकर थोड़ा हट गये हैं। हमें बहुत क्षोभ था खाद्य समस्या पर और मैं जानता हूं कि इस देश के हजारों नरनारी आज इस समस्या से पीड़ित हैं और उनके लिये जीवन यापन करना दूभर है। फिर भी मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा मौका था, चूंकि हमने प्रजातन्त्र में राज्यपाल को दलगत निष्ठाओं से ऊपर माना है और उनको राज्य की एकता का प्रतीक भी हम कहते हैं और इसलिये उनको एक गौरव और गरिमा का स्थान हमारे प्रजातन्त्र में दिया गया है। उसे हमें स्वीकार करना होगा। मुझे दुख है कि आज के भी इस वादविवाद में उनके प्रति जो बातें कही गयीं, मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देती। हमारा मतभेद हो सकता है, अपनी बात कड़ाई से कह सकते हैं, बहुत से रास्ते हैं सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं अपनी नीतियों को बदलने के लिये। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिष्टाचार के नाते, प्रजातन्त्र की पद्धतियों के नाते, स्वस्थ परम्पराओं को बनाने के नाते हमने उचित समझा जब राज्यपाल महोदय अपना सम्बोधन करें तो हमें जो आदर उन्हें देना चाहिये, दें।

जैसा माननीय सदस्यों ने कहा उनका कभी यह प्रयोजन नहीं था कि राज्यपाल का किसी प्रकार से निरादर करें और जो प्रस्ताव लाया गया है मैं समझता हूं माननीया मुख्य मंत्री का यही तात्पर्य है कि अगर उन्हें किसी प्रकार से दुख हुआ है और अनुभव हुआ है कि इस सदन के सदस्य उनके प्रति कोई निरादर का भाव रखते हैं तो मुझे स्पष्ट करना है और माननीय जेड० ए० अहमद ने भी कहा, कभी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। आचरण था, मतभेद हो सकते हैं, मुझे भी कम से कम यह बात साफ नहीं है कि उनको अधिकार सदन त्याग का है कि नहीं। यह प्रश्न है। जहां तक हमारे सामने प्रश्न है, लोक सभा में ही इस प्रकार का एक समय आया था लेकिन वहां के वातावरण में और यहां के वातावरण में थोड़ा अन्तर है। वहां जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था वह इस बात पर अड़े थे, अन्त तक और उनमें किसी प्रकार यह बात नहीं आयी थी कि हम निरादर नहीं करना चाहते हैं। हम हर प्रकार से राज्यपाल का आदर करना चाहते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि जब सदन की भावनायें व्यक्त हो गयीं, प्रत्येक सदन के सदस्य की ओर से यह बात कह दी गयी कि हम किसी प्रकार से स्वस्थ परम्पराओं का उल्लंघन नहीं करना चाहते, और जो राज्यपाल महोदय को आदर मिलना चाहिये वह हम देते हैं इन भावनाओं को राज्यपाल तक पहुंचा दें। जो कल घटना हुई उससे किसी तरह से कोई तात्पर्य निकला हो तो उसके बारे में माननीय सदस्यों ने साफ कर दिया है। सदन की यह भावनायें माननीया मुख्य मंत्री, राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा दें तो जो चीज हम चाहते हैं वह एक प्रकार से पूर्ण हो जाती है। मैं मानता हूं, चाहे मुझ से कुछ लोग न सहमत हों, लेकिन ऐसे मौके पर और विशेषकर राज्यपाल के सम्बोधन के समय हमारी नीति होनी चाहिये कि प्रजातन्त्र को आगे बढ़ाने के लिये हम उसी वातावरण में यहां बैठें और आचरण करें जो प्रजातन्त्र के अनुकूल हो। अगर सदन की यही भावनायें हैं जो आज स्पष्ट की गयी तो उनको अगर माननीय राज्यपाल के पास तक पहुंचा दें तो मैं समझता हूं काम चल सकता है।

जहां तक प्रस्ताव आया है यह नियम में है कि नहीं इसके बारे में इतना ही कह सकता हूं कि ऐसे प्रस्ताव को लाने से पहले ज्यादा अच्छा होता अगर कुछ और लोगों से बात करली जाती। यह प्रस्ताव ऐसा है कि जिस पर अगर वादविवाद भी हो तो अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से प्रस्ताव आया उसके बीच का रास्ता मैं समझता हूं निकल सकता है। हमारी तरफ से उनके प्रति आदर सूचक जो सम्मान देने की इच्छा है वह भी उन तक पहुंच जायगी और जो वातावरण बन गया या थोड़ी गलतफहमी है वह भी समाप्त हो सकती है। इसलिये मैं माननीया मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस वातावरण में और इन भावनाओं के साथ अगर उनके पास संदेश पहुंचा दें तो उचित होगा और जो प्रस्ताव आने या न आने की बात है इस सम्बध में भी कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा सवाल यह है कि आप इस को रूल आउट कर रहे हैं कि नहीं?

श्री अध्यक्ष—

मेरा निवेदन यह था कि अब माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने भाषण दिया, माननीय भगवान सहाय जी ने कहा, माननीय झारखंडेराय जी ने कहा तथा नेता विरोधी दल ने कहा, तो क्या बिना बहस किये ऐसा फारमूला हो सकता है कि काम चल सके। कल सदन में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर कुछ ऐसी घटना हुई यद्यपि सदस्यों की ऐसी मंशा नहीं थी।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ..... (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

अभी नेता विरोधी दल की बातें आपने सुनीं। मेरा यह कहना है कि जहां तक नियम का सवाल है ११३, आप पढ़ लीजिए। नियमतः मुख्य मंत्री का प्रस्ताव नहीं आता इस बात पर और बहस कराने की तो यह सरकार की दल विरोधी नीतियों के खिलाफ कार्यों पर बहस करेंगे। सुचेता जी के इलाके में ३ आदमी भूखों मर रहे हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उग्रसेन जी की यह इन्फार्मेशन गलत है।

श्री उग्रसेन—

मैं बता दूं कि मैं पूर्वी जिले का रहने वाला हूं जहां कि मां बाप भूखों मर रहे हैं, यह मुख्य मंत्री नहीं जानतीं। मैं चैलेंज करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, एक वाक्य हमारा सुन लीजिए। गवर्नर साहब इतने बड़े नहीं हैं कि. .

(व्यवधान)

आप यह व्यवस्था दीजिए कि यह गुलाम है गवर्नर साहब की। गवर्नर साहब क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, आप बैठ जाइए।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की भूखी जनता के लिए खुदा भी नहीं माफ कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—

काशीनाथ जी आप कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, कोई भी माननीय सदस्य. . .

अनेक सदस्य—

सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, प्रत्येक व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार है कि यदि कोई आदमी यह अनुभव करे कि उसने कोई ऐसा काम किया है जो उसके लिए श्रेयस्कर नहीं था, तो वह खेद प्रकट कर सकता है। जहां तक पूरे सदन की मर्यादा का प्रश्न है, सदन स्वयं भी व्यक्तियों से मिल कर बना है, वह (सदन) अपनी मर्यादा और गरिमा को बढ़ाने के लिए, अपने किसी आचरण के सम्बन्ध में किसी कृत्य के लिए खेद प्रकट करने का अधिकारी है। इस अधिकार का प्रयोग करके नेता सदन ने आपके सामने प्रस्ताव रखा कि सम्पूर्ण सदन ऐसा महसूस करता है कि कल जो आचरण हुआ. . . . . .

श्री चन्द्रबली सिंह—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन की परम्परा रही है कि महामहिम राज्यपाल के आने पर सदन का त्याग होता रहा है। भाषण के बीच में भी टोका टोकी हुयी है जिसके कारण उन्हें अपना भाषण बन्द करना पड़ा है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, माननीय नेता सदन बैठे हैं। उनसे आप पूछ लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, आप बार बार बोलते हैं। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, आप सक्षम हैं। जब कोई प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है तो आप उस प्रस्ताव के किसी अंश पर या सम्पूर्ण प्रस्ताव पर विनिश्चय करेंगे कि वह नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं, सदन के सामने विचार करने के लिए या पारित करने के लिए, इन नियमों में आपको अधिकार है।

श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि सदन में कल के आचरण के सम्बन्ध में पूरा सदन या वह व्यक्ति जिसके किसी काम से महामहिम राज्यपाल को दुःख हुआ है यदि वह खेद व्यक्त करता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि जनतंत्र की परम्पराओं को, आगे बढ़ाने में बल प्रदान करते हैं। इस सम्बन्ध में नियम १०९ देख लिया जाय।

श्री शारदाभक्तसिंह—

श्रीमन्, आरम्भ में श्री टम्बेश्वरप्रसाद जी ने कहा था और आप भी कुछ संशोधन करना चाहते हैं। तो जो प्रस्ताव रखा है इस समय न लेकर किसी और समय पर ले लिया जाय।

श्री उग्रसेन—

किसी किस्म के परिमार्जित प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जाइये।

श्री रामायणराय—

जो आक्षेप आज भी आपके सामने किये गये हैं कि इतनी तनख्वाह लेते हैं, बंगलें में रहते हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि नियम १०९ सीधे सीधे आपको यह अधिकार देता है कि आप इस प्रस्ताव को, जिसके जरिये से सारा सदन एक विशेष घटना के सम्बन्ध में खेद प्रकट करना चाहता है, स्वीकार कर सकते हैं।

श्री लखीसिंह—

मुझे भी एक मिनट दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट आप भी ले लीजिये।

श्री लखीसिंह—

यह जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है इससे खामख्वाह विवाद बढ़ा है। गवर्नर साहब के अवमान के सम्बन्ध में नेताओं ने बतला दिया कि उन्होंने कोई अवमान नहीं किया। सरकार की खुराफातों, भ्रष्टाचार तथा खाद्य समस्या पर ध्यान न देने के खिलाफ नेता लोग हैं। मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री इस प्रस्ताव को वापस ले लें, इसी में उनकी और हमारी भलाई है।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक मैं समझता हूं वह यही कि इस सदन के माननीय सदस्यगण की कोई मंशा राज्यपाल महोदय का अपमान करने की नहीं है....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, एक परम्परा यह है कि कोई व्यक्ति जब बीच में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता है तो आप फौरन टोकते हैं। मुझे दुख है कि कल भी इस बात को कहा गया था और आज भी मैं कह रहा हूं कि सही बात यह है कि हम लोगों में से किसी ने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। नियमावली के नियम २० में कहीं नहीं लिखा है कि राज्यपाल जब आयें और उनके अभिभाषण पर कुछ सदस्यगण अगर बाहर चले जायं तो उसके लिये खेद का प्रस्ताव पेश किया जायगा।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, एक दृष्टिकोण मेरा भी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्न उठाया गया है प्रस्ताव द्वारा उस पर लीपापोती करने से सफाई नहीं हो सकती है। मैं इसको इसलिये कहता हूं कि जो बातें डाक्टर अहमद साहब ने कहीं, उनको मैं जहां तक सुन तथा समझ पाया, उनको थोड़ा आपने बदल कर कहा है और उसके बाद जो भाषण हुए इधर से उनमें किसी प्रकार के खेद अथवा पश्चाताप की बात नहीं है। मेरा ऐसा खयाल है कि इस प्रकार लीपापोती होती रही तो इस प्रकार कार्य आज भले ही चल जाय लेकिन आगे गाड़ी नहीं चल सकती है। तो हमको साफ तौर पर अपनी नीति निश्चित करना है और इस तरह के भ्रम को दूर करना है। यह सदन चल सकता है या नहीं, इसका हमें निर्णय करना है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सभी सदस्यों ने कहा कि हमारी मंशा नहीं थी। लेकिन इस देश में कहने में और करने में बड़ा अन्तर होता है। मंशा चाहे न रही हो लेकिन जो व्यवहार हुआ है वह दूसरे प्रकार का हुआ है। मंशा के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मंशा से सफाई होने वाली नहीं है। यह भले ही कह दिया जाय कि हमने अनादर नहीं किया है, लेकिन जो व्यवहार हुआ है वह स्पष्टतः अनादर का व्यवहार था। जिस समय माननीय राज्यपाल खड़े हो गये और उन्होंने बोलना शुरू किया तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बार-बार कहा आर्डर, आर्डर, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और बोलते रहे। क्या यह उनका अनादर नहीं था? इस बात की सफाई हो जानी चाहिये। इस तरह से आप चाहते हैं कि लीपापोती हो जाय तो उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। आज हो जायगा लेकिन कल फिर वही बात होगी। इस प्रस्ताव पर बहस हो जाने दीजिये और देखिये कि इसका क्या नतीजा निकलता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव को उपस्थित करने दिया जाय या नहीं। जो कल घटना हुई वह हमारे सामने हुई। माननीय कमलासिंह जी ने जैसा कहा, यह ठीक है कि २/३ मिनट पहले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह आये थे। लेकिन राज्यपाल महोदय के खड़े हो जाने के बाद, जब वह कुछ पढ़ना चाहते थे, उस समय भी लोग बोल रहे थे और बोलते रहे और उन्होंने कई मर्तबा आर्डर, आर्डर कहा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनके भाषण के समय व्यवधान हुआ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

हर साल से हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्न सिर्फ यह है कि जैसा माननीय चन्द्रबलीसिंह तथा उनके साथियों का विचार है, हम इस व्यवहार को जारी रखें या नहीं। यह सदन तय करेगा, मुझसे मतलब नहीं है। लेकिन हमारे पास, इसके पहले के कुछ ऐसे दृष्टांत हैं कि जिस अवसर पर इस तरह का व्यवहार हुआ, तो यह कहा गया कि ऐसा व्यवहार संविधान के विरुद्ध है, उससे संविधान का हनन होता है और राष्ट्र का अवमान है, इसलिये कि हम अपने राज्य के प्रमुख प्रतीक के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सही है कि वह प्रदर्शन राज्य सरकार के विरुद्ध रहा हो, लेकिन उस समय राज्यपाल महोदय अपनी हैसियत से आये थे आपको सम्बोधित करने के लिये, तो इस दृष्टि से पहले का जो दृष्टान्त है उसके आधार पर इस किस्म का व्यवहार अनुचित और अशोभनीय माना गया है और व्यवधान माना गया है। अब प्रश्न यह है कि इसको मैं सदन में आने दूं या नहीं। इन नियमों के अन्तर्गत यह ऐसा प्रश्न है जिस पर मैं समझता हूं फौरन विचार होकर निर्णय होना चाहिये, विशेषकर जब कि यह कहा गया कि माननीय राज्यपाल को अत्यन्त पीड़ा हुई, इस प्रकार के व्यवहार से। मैं समझता हूं कि लोकहित को ध्यान में रखते हुये इसको मैं स्वीकार कर लूं।

श्री नेकराम शर्मा—

अब इस पर बहस होगी।

श्री अध्यक्ष—

अब बहस तो काफी हो गई है?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस पहले होनी चाहिये और यह जो आचरण के संबंध में खेद का प्रस्ताव आया है इसको बाद में लिया जाय, कोई प्रायरिटी तो फिक्स हो। माननीय सुचेताजी को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अध्यक्ष जी, इस विषय में काफी बहस हो चुकी है कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर ज्यादा बोलने की जरूरत हो।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जब बहस हो चुकी है तो आप बोलेंगी क्या?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

क्या बार बार इस तरह से लोगों को व्यवधान करने का अवसर आप देते रहेंगे?

श्री अध्यक्ष—

अगर उनका तरीका व्यवधान करने का है तो करने दीजिये, आपको क्या आपत्ति है?

श्री बनारसीदास—

ठीक है । लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है ।

*श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्रीमन्, जो कल की घटना हुई उस पर आपने स्पष्ट रूप से देखा कि जब राज्यपाल कल भाषण देने लगे तब लोग उठकर उनको बाधा देने लगे । ऐसे मौके पर उनको बाधा देना एक अशिष्ट आचरण है । फिर जब वह बोलते रहे उस समय दो माननीय सदस्य खड़े रहे और बोलते रहे । मुझे बड़ा खेद है कि माननीय भगवान सहाय जी, जिनका मैं बड़ा आदर करती हूं, जिस वक्त गवर्नर साहब खड़े रहे सारे समय खड़े रहे । आप लोग जानते हैं कि सदन का कानून है कि सदन के अध्यक्ष के खड़े होने पर लोग बैठ जाते हैं । कल गवर्नर साहब की अध्यक्षता में यह हाउस चलता रहा गवर्नर साहब के खड़े रहने पर भगवान सहाय जी बोलते रहे, बड़ी मुश्किल से वे चुप हुये तो मौलाई साहब खड़े रहे । जिस समय वे बोल रहे थे उसी समय दूसरे लोग बोल रहे थे और उनको बाधा दे रहे थे । वे बार-बार आर्डर आर्डर कह रहे थे और बैठने को कह रहे थे तब भी लोगों ने नहीं सुना ।

दूसरी बात यह है कि सरकार के कार्यों से आपको क्षोभ है तो आप कहें, लेकिन यह भाषण के बाद समय किस लिये है । इसमें आपको पूरा मौका मिलेगा सरकार की समालोचना करने का । आप इस समय वाक आउट करके अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर सकते हैं । सोशलिस्ट पार्टी के नेता का कहना और करना दूसरा है । वे कहते हैं कि गवर्नर साहब का निरादर नहीं किया गया, न उनकी कोई इज्जत घटाई गई । मुझे बड़ा खेद है कि बड़े बड़े पंडित, डाक्टर अहमद साहब, जो बड़े विद्वान आदमी हैं और जिन्हें अपने पांडित्य पर अभिमान है और हम जैसे बेवकूफ लोग हैं लेकिन हम समझते हैं कि हमें यहां अदब से पेश आना चाहिये; लेकिन क्या यही अदब से पेश आने का तरीका है कि जब गवर्नर साहब खड़े हों तब उनका अनादर करके बोला जाय ? कोई भी निष्पक्ष आदमी अगर यहां देखता तो उसके मन में यही होता कि जो गाम्भीर्य और जो गरिमा इस सदन की होनी चाहिये वह नहीं हुई । इसलिये हम यह परम्परा नहीं चाहते हैं । बेशक आप क्रिटिसिज्म करें, जितना विरोध करना चाहते हैं करें, वाक आउट करना चाहते हैं करें, लेकिन जब गवर्नर साहब भाषण दे रहे हों तब ऐसा मौका नहीं था और इसी के लिये सदन को खेद है यह मैंने कहा है । मुझे पूरा भरोसा है कि सदन के बहुमत के लोगों को इसका खेद है, कल के आचरण के लिये बहुमत में लोग दुखी हैं और उसके लिये भी प्रस्ताव में अशिष्ट भाषा नहीं बल्कि बहुत ही साधारण शब्दों में, मुलायम से मुलायम अल्फाज जो हो सकते हैं उनमें रखा गया है कि जो कल व्यवहार हुआ है उसके लिये हम खेद और दुख प्रकट करते हैं । कोई माफी मांगने का प्रश्न इसमें नहीं है । सिविलाइज्ड सोसाइटीज एक स्टैंडर्ड बनाकर चलती हैं, और कल का जो आचरण था वह सुन्दर नहीं असुन्दर था, शोभन नहीं अशोभन था तो प्रत्येक सभ्य और शिष्ट व्यक्ति यह कहेगा कि मुझे इसके लिये बड़ा दुख है । मैं समझती हूं कि इससे इस सदन की मर्यादा बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और आपका जो अधिकार है वाक् आउट करने का उसमें कोई बाधा नहीं आयेगी । यह मौका नहीं है ऐसे आचरण करने का । इसलिये मैं यह प्रस्ताव लाई हूं और इस पूरी आशा से लाई हूं कि इस हाउस के ज्यादातर मेम्बर इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इसलिये करता हूं कि आज हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री जी को हमारे वाक आउट पर बहुत खेद और बड़ा दुख हुआ । इसके पहले जब आप यहां के मंत्रिमंडल की मंत्री थीं तो कांग्रेस के १००, १२५ सदस्यों ने गवर्नर साहब के भाषण का बहिष्कार किया था । उस समय कोई खेद का प्रस्ताव नहीं आया । उस समय यहां के गुप्त जी मुख्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्री थे जो संसदीय प्रथा को जानते थे। उनके समय में इस तरह की चीज नहीं हुई वे भी प्रस्ताव पेश कर सकते थे। जब से यहां की मुख्य मंत्री, ये सुचेता जी हुई हैं तो यहां पर एक के बाद एक करके प्राब्लम पैदा कर रही हैं और यही हालत जारी रही तो खुदा जाने कि आगे क्या होगा।

दूसरी बात यह है कि जब श्री गवर्नर साहब यहां पर आये तो जिस समय वह सदन के अन्दर आये उस समय ११ नहीं बजे थे। अखबारों में यह निश्चितरूप से कहा गया था कि जो चार विरोधी पार्टी हैं वह उनके सम्बोधन का वहिष्कार करेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब यहां पर ११ नहीं बजे थे और उनको क्यों समय से ५ मिनट पूर्व लाया गया था अखबार की बात मालूम थी कि कुछ कहकर नेता जायेंगे तो उन्होंने उनको खड़ा होने के लिये क्यों कह दिया। पहले से उनको यह पता था कि विरोधीदल के एक एक माननीय नेता अपनी बात कह कर सदन का त्याग करेंगे। जब श्री राज्यपाल साहब यहां की बात सुन लेते तब उनको खड़ा होना चाहिये था। जिन लोगों ने उनको खड़ा होने के लिये कहा उनकी यह जिम्मेदारी है।

तीसरी मेरी बात यह है कि जिस समय हिन्दुस्तान पर चीन का हमला हुआ था तो शांति के दूत और प्रजातन्त्र के रक्षक श्री नेहरू पर आचार्य कृपालानी जी ने अटैक किया था। तब सुचेता जी को आचार्य कृप लानी ने अटैक किया था तो उस समय कोई उनको दुख नहीं हुआ . . .

श्री अध्यक्ष—

जो व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं हैं उनके संबंध में यहां पर आलोचना करना बिलकुल गलत है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, इनको उस समय दुख नहीं हुआ था। आज उस प्रजातन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं की अपने को वह हामी कहती हैं और कहती हैं कि यहां पर प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है। उस समय उनका प्रजातन्त्र कहां चला गया था ?

श्री अध्यक्ष—

मेरा मतलब यह है कि यहां पर बाहर की घटनाओं का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो यह है कि ऐसी बातें प्रजातंत्र की पद्धति के विरुद्ध हैं या नहीं। अब आप कहते हैं कि दूसरी जगह प्रजातन्त्र की पद्धति क विरुद्ध हुआ है।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं यह कह रहा हूं कि जब गत वर्ष हमारे समाजवादी भाइयों ने यहां पर वहिष्कार किया तो उस वक्त यहां पर प्रस्ताव नहीं आया। उससे पहले श्रीमन्, कांग्रेस वालों ने जब वहिष्कार किया तो तब भी कोई प्रस्ताव नहीं आया। श्रीमन्, कल माननीय राज्यपाल महोदय ने आपके द्वारा माननीय नेताओं को बुलाया था। माननीय रामसुन्दर पांडेय और डाक्टर अहमद साहब पहुंचे तो किसी दूसरे टाइम उनसे मिलने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि ५॥ बजे बुलायेंगे परन्तु अब यह कहा गया कि कोई दूसरा समय देंगे तो बातचीत की जायगी। नेताओं की बातचीत चल रही था कि उससे पूर्व ही यह प्रस्ताव यहां पर ले आयें। अब यह कहा जा रहा है कि भगवान् सहाय जी और मौलाई साहब ने गवर्नर साहब का अपमान किया है क्योंकि वह उस समय बोल रहे थे जब यहां पर गवर्नर साहब खड़े थे और उनको आर्डर, आर्डर कह रहे थे। इसका मतलब यह है कि उससे पहले रामसुन्दर पांडेय जी और डाक्टर अहमद साहब ने इस तरह से यहां पर कुछ बोलकर उनका अपमान नहीं किया। अब अगर कोई अपमान का प्रस्ताव आ सकता है तो वह मौलाई साहब और भगवान् सहाय जी के ऊपर ही हो सकता है। श्रीमन्, आपकी यह व्यवस्था इस सदन में हो चुकी है कि उसी समय उसको उठाना चाहिये था। गोंडा एलेक्शन के संबंध में जिस समय यहां पर प्रस्ताव पेश किया गया था तो आपने कहा था कि इसको इस समय नहीं माना जा सकता क्योंकि उसी समय इसको उठाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—

उस वक्त वह वाकया सदन में नहीं हुआ था ।

श्री नेकराम शर्मा—

उस समय हमने निवेदन किया था कि ढाई बजे सदन हुआ और चार बजे तक चलता रहा । गवर्नर साहब को दुख हुआ उस के संबंध में आपने सूचना दी कि गवर्नर साहब आप से मिलना चाहते हैं । उनको दुख था यह ठीक है, लेकिन आज सोच समझ कर आप अपोजीशन के खिलाफ यह सेंसर मोशन लाना चाहते हैं । श्रीमन्, हम समाजवादी हैं और हम राजतंत्र के विरोध में लड़ रहे हैं । हमने डिक्टेटरशिप और राजाओं को समाप्त किया है । समाजवाद में हेड आफ दि स्टेट की जितनी इज्जत होनी चाहिये वह हमने की है । कुछ सदस्य यहां राजतंत्र को वापस लाना चाहते हैं और इसी कारण वे ऐसी बात कहते हैं ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । अपोजीशन को बदनाम करने के लिये यह जानबूझ कर सुचेता कृपलानी जी इस प्रकार का प्रस्ताव लायी हैं । वे इस प्रदेश के लिये एक समस्या बन गयी हैं और प्राब्लम्स क्रियेट कर रही हैं । अगर वे चली जांय तो आपस में शांति हो जायगी और बहुत से प्राब्लम्स समाप्त हो जायेंगे ।

अंतिम निवेदन यह है कि आपने इस प्रस्ताव की अनुमति दे दी । इस पर बहस हुई । क्या गवर्नर साहब का इसमें सम्मान बढ़ेगा ? आपने गवर्नर साहब के संबंध में यहां बहस करा दी इससे उनका सम्मान बढ़ेगा नहीं, वरन् उससे तो ठेस लगेगी । इस प्रस्ताव पर जो विचार व्यक्त किये जायेंगे उनसे जनता खुश नहीं होगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रस्ताव को वापस लें और इसको यहां लाने की आवश्यकता नहीं है ।

*कुंवर श्रीपालसिंह—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उस संबंध में कुछ लोग कह रहे हैं कि कई बार इस प्रकार की घटनायें हुई हैं इसलिये यह भी वैसी ही घटना है और इसलिये इस पर विचार नहीं होना चाहिये । मैं क्षमा चाहूंगा यह कहने के लिये कि यह कोई तर्क नहीं है । गलत बात अगर होती रहे तो फिर भी होनी चाहिये यह कोई तर्क नहीं है । मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारे सामने इस समय दो बड़े स्पष्ट प्रश्न हैं । क्या हम प्रजातांत्रिक शासन चलाना चाहते हैं या नहीं । मैं नहीं जानता हूं कि इस समय जो लोग समाजवाद की दुहाई दे रहे हैं उनका समाजवाद कैसा है । यदि हमें प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाये रखना है तो बहुमत का ही शासन रहेगा । बहुमत जो चाहे वह कर सकती है और सदन की बात हमको माननी है । या तो सदन यह निर्णय कर ले कि हम प्रजातांत्रिक पद्धति नहीं चाहते, जो चाहें सो करें तो ठीक है, लेकिन यदि हम प्रजातांत्रिक पद्धतियों के अनुसार चलना चाहते हैं तो कोई न कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिसके अनुसार शासन चलाया जा सके । श्रीमन्, यह सदस्यों के लिये एक हस्त पुस्तिका है जिसमें दिया है कि सदस्यों का व्यवहार कैसा होना चाहिये प्रजातांत्रिक पद्धति में । इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि किसी भी सदस्य को उस समय अपने स्थान पर से उठना नहीं चाहिये और न ही सदन के बाहर जाना चाहिये जिस समय अध्यक्ष सदन को संबोधित कर रहे हों । श्रीमन्, जिस समय महामहिम राज्यपाल यहां आये, वे अध्यक्ष की हैसियत से आये, और जब बहैसियत अध्यक्ष के वे बोल रहे थे तो यह प्रजातांत्रिक पद्धति के विरुद्ध है कि हम उस समय उठ कर बाहर चले जायं । मान्यवर, इस प्रदर्शन का कारण क्या है ? मैं केवल इस बात पर ही आता हूं । मैं अपने अधिकारों को सरैन्डर करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं । मेरी तरफ का एक भी आदमी उधर (कांग्रेस में) नहीं गया है, जब कि जो समाजवाद का नारा बुलन्द करते हैं उनके आधे आदमी उधर चले गये । (व्यवधान) आज यह सब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जानते हैं कि अन्न की कमी है, महंगाई बढ़ी हुई है । ६ महीने बाद यह सदन बैठ रहा है । अतः चूंकि पहली सूची में पहला नाम मेरा ही आये, इस कारण यह प्रदर्शन किया गया है । सदन शुरू होते समय पहला काम राज्यपाल महोदय का यहां भाषण देना होता है, उनके भाषण के बाद कोई दूसरा काम होता है । उसके बाद यह कह सकते हैं कि सरकार अफसल रही है, सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया, हम सदन त्यागते हैं, वगैरह । तो चूंकि सबसे पहले नाम अपना आ जाये, इसलिये यह सब किया गया ।

श्रीमन्, मैं अपनी स्पष्ट बात कहने के लिये क्षमा चाहता हूं । हो सकता है कि कुछ लोग मेरे ऊपर लान्छन लगायें । मगर मैं केवल इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, यदि उसके आधार पर राज्य चलाना है, तो जान बूझकर भी कुनैन की गोली खाना पड़ेगी, अगर नहीं खाते हैं तो कह दीजिये कि हम प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते, बाहर चले जाइये और बाहर जाकर डंडा चलाइये; चीन से सुलह करके उनको यहां ले आइये, गोली चलवाइये, जो जी में आये वह कीजिये ।

आज ही यह कहा जा रहा था कि सरकार ने कुछ लोगों को नजरबन्द कर दिया । किन लोगों को नजरबन्द किया ? जो लोग, देशद्रोही थे उनको ही तो बन्द किया गया । मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को गोली से मार देना चाहिये था जो देश की पीठ में छुरा भोंकने के लिये तैयार हों । आप पहले यह तय कर लीजिये कि प्रजातंत्र के आधार पर राज्य चलाना चाहेंगे, या चीन के चाऊ माऊ को लाकर उनके सहयोग से यहां गोली चलवायेंगे । मान्यवर, बीच वाले लोग कुछ फ्रस्ट्रेटेड हो गये हैं । उधर के लोगों का तो काम ही यही है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आया है वह सही है और उसे पास होना चाहिये । जब हमने प्रजातंत्र की पद्धति को माना है तो हमें अपने ऊपर कुछ कंट्रोल करना ही होगा । अगर हमें संतोष नहीं है तो हम अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं । हमें अगर सरकार के ऊपर असन्तोष है तो हम उसके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लायें । सरकार के विरोध में वाक-आउट करें । राज्यपाल महोदय जो आते हैं वे अध्यक्ष की हैसियत से आते हैं । सरकार के हैड की हैसियत से नहीं आते हैं । जब तक इस सदन में प्रजातान्त्रिक आधार रहेगा, तब तक हमें उन मान्यताओं के अनुकूल ही चलना होगा ।

(श्री कृष्णानन्दराय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामायणराय—

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं कि यह विषय समाप्त किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय सदस्य को बुला लिया है । इसमें यह प्रश्न इस समय उपस्थित नहीं किया जा सकता ।

श्री रामायणराय—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं आपके सामने । ११६ के अधीन यह प्रस्ताव कर रहा हूं । इस नियम के अनुसार किसी माननीय सदस्य को किसी भी समय जब प्रश्न उपस्थित किया जाय तो इस प्रस्ताव को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई बोल रहा हो और या किसी को बोलने के लिये बुला लिया गया हो, तो ११६ के अधीन प्रश्न नहीं उपस्थित किया जाता है । आप रूलिंग देख लीजिये, पढ़ लीजिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

जब प्रस्ताव उपस्थित किया जाय तो, श्रीमन् जी, उस वक्त बुलाने के पहले प्रस्ताव किया जाय । अगर बुलाना शुरू कर दिया है तो और बात थी ।

श्री अध्यक्ष—

बुला लिया ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे दिन में जितनी बार आपने माननीय विरोधी सदस्यों को बोलने का मौका दिया है उतनी बार हम लोगों को नहीं दिया जाता है । मुझे यह व्यवस्था आपसे चाहिये । एक एक माननीय सदस्य को चार चार बार आप मौका देते हैं और हमारे जैसे छोटे सदस्यों की तरफ देखते तक भी नहीं । इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । आप जितनी बार उधर के सदस्यों को इजाजत दें उतनी बार इधर भी इजाजत दें । माननीय चन्द्रजीत जी एवं उग्रसेन जी को आप कई बार बोलने का मौका दे चुके हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय चन्द्रजीत जी के बाद आप मुझे भी बोलने की इजाजत देंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि इस भावना से माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि उस भावना का सम्मान और उसका मकसद अखबारों के रास्ते से पूरा न होता । उनका एक उद्देश्य यह था कि माननीय राज्यपाल के प्रति जो हमारे राज्य के प्रधान हैं, कोई अनादर न प्रकट हो । माननीय नेताओं ने सदन त्याग करने के पहिले भी और आज भी कहा था इसीलिये मैं समझता हूं कि यह विषय वहीं समाप्त हो जाता और जनता में यह भावना होती कि उनके प्रति किसी ने असम्मान नहीं प्रकट किया था । उनके बाद नेता विरोधी दल ने भी यही कहा कि यह उचित नहीं होगा कि हम उसे विवाद का विषय बनाये । लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीया मुख्य मंत्री ने इस प्रस्ताव को प्रेस करके समझदारी से काम नहीं लिया । जिस प्रकार से वादविवाद यहां प्रारम्भ हो गया उससे न तो इस सदन का और न माननीय राज्यपाल का सम्मान बढ़ता है और न ही जनतंत्रीय परम्पराओं की जड़ें मजबूत होती हैं । इस प्रस्ताव के पेश करने के बाद जो भावनायें सदन में प्रस्तुत की जा रही हैं वे कहां जा रही हैं ? माननीय मुख्य मंत्री इस बात पर खुश हो रही हैं, ताली बजा रही थीं, जब जनसंघ के एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि आज जो राष्ट्रविरोधी हैं और जिनके ऊपर आपने आरोप लगाकर जेल में बन्द कर रखा है उनको बगैर ट्रायल गोली मार दो । क्या यह जनतंत्रीय चरित्र है ? आपकी सरकार, चाहे केन्द्र की हो या कहीं की हो, स्वयं मानती है कि प्रजातंत्र में कुछ मान्यतायें और नियम व पद्धतियां होती हैं । विधान होता है । अगर कोई सदस्य किसी गलत बात का समर्थन करता है तो आप उसके ऊपर ताली बजाती हैं, यह आपका चरित्र बतलाता है । जब आप ताली बजा रही थीं तो मुझे "मां की पुकार" की याद आ रही थी । इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या .....

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको भी रोका और आप भी ऐसी बातें न कहें ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

गांधी जी के मारने वालों के साथ यह समझौता, यह कांग्रेस पार्टी का नियम नहीं है और न नीति है । अगर माननीया मुख्य मंत्री की सारी सूझबूझ इसका परिचायक है तो यह विचारधारा इस प्रदेश में प्रतिक्रियावादी ताकतों को बढ़ावा देने वाली है । मैं सम्मान के साथ कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज इन छोटी-छोटी बातों को लेकर कुछ लोग एक बुनियादी प्रश्न पर राष्ट्र की नीतियों के ऊपर जो आघात करते हैं, माननीया

मुख्य मंत्री को खड़े होकर उनका खंडन करना चाहिये । अपने एक छोटे से मकसद को हासिल करने के लिये आप उनसे हाथ मिलावें और उनको .....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न के बाहर जा रहे हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पेश करने की आपने इजाजत दे दी । आपको यह इजाजत नहीं देनी चाहिये थी । यह नियम के प्रतिकूल है ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो समाप्त हो गया ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

अब भी समय है । माननीय राज्यपाल के सम्बोधन के समय जो भावनायें प्रकट की गई वे संसदीय प्रथा के अन्दर एक प्रोटेस्ट थीं । अभी भी माननीय मुख्य मंत्री को सद्बुद्धि आनी चाहिये कि इस प्रस्ताव को वापस लें ताकि देश में और समाज में यह भावना न आ जावे कि राष्ट्र की नीतियों के खिलाफ माननीया मुख्य मंत्री खुद उस षड्यंत्र में शामिल हैं ।

*श्री जे० पी० मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन के समय और उसके पहले से एक षड्यंत्र चल रहा था इस सदन में, आधे घंटे पहले से मैं यहां बैठे देख रहा था, कि कुछ लोगों का कनवेंसिंग चल रही थी, कुछ लोगों का मकसद था, कि माननीय राज्यपाल के सम्बोधन के समय कुछ बाधा डाली जाय, हालांकि इस सदन के बहुमत माननीय सदस्यों का उसके वहिष्कार करने का इरादा नहीं था । बहुमत यह था कि महामहिम राज्यपाल का सम्बोधन आदरपूर्वक और सम्मानपूर्वक सुन लिया जाय और जब उनके ऊपर बहस का अवसर आवे तब कुछ बातें प्रस्तुत की जायें । लेकिन एक वर्ग चाहता था कि महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन के समय अनादरसूचक भावना प्रस्तुत की जाय । श्रीमन्, न तो कोई ऐसा बड़ा सवाल था जिसे एस० एस० पी० के नेता महोदय ने पेश किया । अभी महीने भर पहले के इस देश और प्रदेश में चुनाव बतलाते हैं कि प्रदेश की जनता किधर है, इधर है या उधर है । विरोधी पक्ष सारे चुनाव हारे हैं । जनता ने सफाई के साथ वर्डिक्ट दिया है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की नीतियों में पूर्णरूप से विश्वास करती है । हवाई किले बांधने से पूरा पड़नेवाला नहीं है । माननीय नेकराम शर्मा की मांग जनता की इस वर्डिक्ट के विपरीत है जिसे वह महीनेभर पहले झेल चुके हैं ।

जैसा माननीय राज्यपाल ने कहा है और देहातों से आये हुए लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रबी की फसल अच्छी है और यह सिर्फ महीने भर का संकट है । माननीय उग्रसेन जी की अफवाहें चलने वाली नहीं है । इस अनादर का भी कुछ मतलब है .....

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया जल्दी से समाप्त करें ।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं इस प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि यह सदन अनादर करने वाले व्यक्तियों के ऊपर भर्त्सना का इजहार करेगा, पूरी शक्ति से करेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामायणराय—

११६ के अधीन मैं क्लोजर मूव कर रहा हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप सबकी बात पहले सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय २ घंटे से चल रहा है । हम और समय नहीं दे सकते हैं ।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके पश्चात जनसंघ तथा स्वतंत्र दल को छोड़ कर अन्य विरोधी दलों ने सदन का परित्याग किया ।)

श्री अध्यक्ष—

माननीया मुख्य मंत्री, आपको कुछ कहना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने इस सदन की परम्परा तथा मर्यादा के विपरीत उनके भाषण के मध्य में बाधा उपस्थित कर इस सदन तथा महामहिम राज्यपाल का असम्मान किया । अतः यह सदन महामहिम राज्यपाल से हार्दिक दुखः एवं खेद प्रकट करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनेक सदस्य—

सर्वसम्मति से हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

वह काफी है ।

साप्ताहिक कार्यक्रम की सूचना

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह का कार्यक्रम निम्न प्रकार से होगा—

९, १० तथा ११ फरवरी, १९६५—श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

(१) १२ फरवरी, १९६५—वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा एवं उसमें निहित अनुदानों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ के द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६५ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(२) ५ बजे अपराह्न—वित्तीय वर्ष १९६५–६६ के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ।

१३ व १४ फरवरी १९६५—शनिवार और रविवार को बैठक नहीं होगी ।

१५ व १६ फरवरी, १९६५—विधायी कार्य । अध्यादेशों के स्थान पर रखे गये विधेयकों पर चर्चा ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में प्रस्तावक को आधा घंटा, अनुमोदक और समर्थक को १५ मिनट, नेता विरोधी दल को आधा घंटा, विभिन्न नेताओं तथा मंत्रियों को २० मिनट तथा शेष सदस्यों को १०-१० मिनट का समय बोलने के लिये दिया जायगा ।

इस सम्बन्ध में बहुत से संशोधन आये हैं । उनके सम्बन्ध में यही परम्परा रही है कि माननीय नेता विरोधी दल अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे, शेष जितने संशोधन हैं वे सब प्रस्तुत किये हुये समझे जायेंगे ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन महामान्य राज्यपाल को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद देता है ।

श्रीमन्, महामान्य राज्यपाल का यह अभिभाषण संविधान के अनुच्छेद १७६ के अन्तर्गत होता है । उसके लिये कि महामहिम राज्यपाल उसमें (Causes of the summons) बतायेंगे । उसमें जो कुछ लिखा है, उसको देखते हुये यह अभिभाषण वास्तव में बधाई के योग्य है । वैसे तो अभिभाषण का यही मतलब होता है कि उसके द्वारा यह बताया जाय कि इस अधिवेशन में क्या होने वाला है, किस लिये बुलाया गया है । यह अभिभाषण यद्यपि और वर्षों के अभिभाषणों वे छोटा है । पिछले वर्ष भी छोटा था परन्तु वह १० पृष्ठ का था । यह ८ पृष्ठ का ही है । लेकिन इसमें सूक्ष्म रूप में सब बातों का समावेश कर दिया गया है । इसमें अगले अधिवेशन में आने वाली सारी बातें तो आ ही गयी हैं । उसके साथ-साथ प्रदेश के लिए जो और महत्वपूर्ण विषय हैं इस समय, उनका भी समावेश इसमें है । कोई विषय उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसका संक्षेप में इस अभिभाषण में जिक्र न कर दिया हो । उन्होंने इस अभिभाषण को शुरू करते समय सरकार की कोई तारीफ भी नहीं की । उन्होंने कहा कि यह वर्ष बहुत दुःख व चिन्ता का वर्ष रहा । अब के पहले उन्होंने एक दुःखद चीज यानि हमारे राष्ट्र नेता के निधन का भी उसमें जिक्र किया, यह भी उन्होंने ठीक ही किया ।

उनसे जो क्षति इस देश को और तमाम संसार को पहुंची, वह कदाचित् बहुत समय तक पूर्ण नहीं हो पायेगी । साथ ही साथ उन्होंने एक बात का और भी जिक्र किया कि उसके बाद जो हमने प्रधान मंत्री का चयन किया उसमें भी सबने देख लिया कि कितनी विपत्तियों और परेशानियों के होते हुये भी हम कितने संगठित रूप से अपना निश्चय कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि देश और विदेश न भी उस चयन का स्वागत किया है । वे तमाम नीतियां जिन पर चलने के लिये हम वचनबद्ध हैं उनको चलाने के लिये इससे अच्छा प्रधान मंत्री और कोई नहीं हो सकता था । तमाम देश व विशेष प्रकार से इस प्रदेश के लोग यह समझते हैं, इसलिये नहीं कि वे इस प्रदेश के हैं बल्कि इसलिये कि जो उनकी योग्यता है, क्षमता है और उनका चरित्र है, उसको हम भलीभांति जानते हैं ।

(इस समय २ बजकर २६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

सबसे बड़ी समस्या हमारे यहां खाद्यान्न की महंगाई की, तमाम आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की, है जिसका जिक्र राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में बहुत अच्छी प्रकार से किया । इसके विषय में उन्होंने कहा है "अनाज और शक्कर की बढ़ती हुयी कीमतें, जिसका

[श्री जगदीशप्रसाद]

मैंने अपने पिछले अभिभाषण में जिक्र किया था और आम तौर पर खाद्य स्थिति, गत वर्ष के मध्य मे अधिक खराब हो गयी जिससे सरकार की परेशानी बहुत बढ़ गयी ।"

पिछले वर्ष के अभिभाषण में उन्होंने कहा था कि हाल ही में खाद्यान्न तथा शक्कर के मूल्य का बढ़ जाना सरकार के लिये लगातार चिन्ता का विषय बना हुआ है । विशेष रूप से इस दिशा में जब कि अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये विभिन्न विकास योजनाओं द्वारा तरह-तरह के प्रयास किये गये हैं, इस स्थिति का सामना करने के लिये सम्पूर्ण राज्य में गल्ले की उचित मूल्य की दूकानें खोल दी गयी हैं ।

उसके बाद के उनके ये शब्द हैं कि "आम तौर पर खाद्य स्थिति गत वर्ष के मध्य में अधिक खराब हो गई जिससे सरकार की चिन्ता बढ़ गयी । उन्होंने इस वर्ष के लिये कहा है कि उम्मीद है कि अगली रबी की फसल से जिसके अच्छी होने की आशा है, खाद्य स्थिति काफी सुधर जायेगी । मैं समझता हूं कि इससे अधिक महामहिम राज्यपाल महोदय प्रदेश की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में और कुछ नहीं कह सकते थे । इस से अधिक और कोई परिस्थिति है भी नहीं । साथ ही साथ आगे के लिये उन्होंने बतलाया कि वे क्या करने जा रहे हैं और कैसी आशा है । जहां तक खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है, जो वस्तु स्थिति है उसको मैं आपके सामने रखता हूं जिससे मालूम हो जायगा कि सन् ५१ से सन् ६१ तक तमाम देश का खाद्यउत्पादन बढ़ कर ५२२ लाख टन के स्थान पर ७६० लाख टन हो गया . . .

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री जगदीशप्रसाद—

इस तरह से तमाम देश में ४६ प्रतिशत उत्पादन बढ़ा । इस प्रदेश का जहां तक सम्बन्ध है, हमारे प्रदेश की उपज सन् ५१ में जहां ११५.९ लाख टन थी वह सन् ६१ में बढ़कर १४१.५० लाख टन हो गयी और इस प्रकार २२ प्रतिशत उत्पादन हमारे यहां बढ़ गया । यह मैं नहीं कहता कि हमने कोई बड़ी प्रगति कर ली । प्रगति तो हमारी कम ही रही क्योंकि तमाम देश के उत्पादन में जहां ४६ प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां उत्तर प्रदेश में केवल २२ प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसका मुकाबला हम केवल इस कारण कर सके कि हमारी जन-संख्या भी पूरे देश के मुकाबले में कम बढ़ी । जहां २१.१ प्रतिशत बढ़ी वहां हमारे प्रदेश की जन संख्या केवल १६.७ प्रतिशत बढ़ी । इस तरह से हमारी जन संख्या तमाम देश के मुकाबले में कम बढ़ी । लेकिन इस स्थिति में हमारी उपज क्यों कम बढ़ी, हमारी प्रगति नहीं हुई, हम इसका सदन में , प्रेस में, और देश में बड़ा प्रचार कर चुके हैं, सरकार को कनडेम कर चुके हैं, उसकी बुराई करते हैं इस विषय में कि ५१ से ६१ तक कोई प्रगति नहीं कर सके । लेकिन इसके बावजूद भी सन् ६२ में जनता ने उसी पार्टी को चुन कर भेज दिया, सारे सूबे में भी और केन्द्र में भी । जहां की प्रगति सारे देश के मुकाबले में पिछड़ी हुई थी वहां पर भी जनता ने तमाम तकलीफों, कठिनाइयों और दिक्कतों को महसूस किया और समझा कि कम प्रगति होने पर भी यही एक दल है जिसके सुपुर्द देश का भाग्य किया जा सकता है, प्रदेश की तकदीर की जा सकती है और जनता ने फिर कांग्रेस को शासनारूढ़ किया ।

इसके पश्चात् सन् ६१-६२ का हमारा लक्ष्य १४४.१२ लाख टन था लेकिन प्राप्ति १३८.३९ टन ही हुई । ६१-६२, ६२-६३ और ६३-६४, यह तीन वर्ष ऐसे थे कि हमारे प्रदेश में खाद्यान्न के विषय में इतने संकट के वर्ष कभी नहीं रहे, बहुत अर्से से ऐसा समय नहीं आया था, बराबर ३ वर्ष तक फसलें खराब हुईं यह यहां की जनता से, देश से, विदेश से, किसी से छिपा नहीं

है। तो ऐसे वक्त में भी जबकि हमारी प्रगति कम थी, दूसरे प्रदेशों में अनाज था और हमारे यहां नहीं था तब भी हमें जनता का समर्थन प्राप्त था। अब की बार तो पंजाब जैसा प्रदेश जो सारे प्रदेशों को अनाज देता था वहां भी हाहाकार मच गया कि इतना गल्ला सेन्टर नहीं देगा तो वहां का काम ही नहीं चल सकता। अभी जैसा कि हमारे दोस्त जगदीशप्रसाद मिश्र कह रहे थे कि अगर आग लगी हुई थी और हमारे साथी उस भुखमरी में सत्याग्रह करके और आग में पेट्रोल फेंक रहे थे, कचहरियों में वे गये, तहसीलों में गये, वहां कागजात को खराब किया, पता नहीं वहां वह क्या करने गये थे ? परन्तु जनता अब समझती है और इसका सबूत यह है कि पिछले ३ बाई एलेक्शन्स में एक जगह नहीं सूबे में ३ जगह कांग्रेस जीती। जनता सब परेशानियों को जानती है, सदन के अधिकतर माननीय सदस्यों का ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्ध है और सब जानते हैं कि वास्तविक स्थिति आज क्या है।

जहां तक सरकार के कामों का सम्बन्ध है यदि मैं आपके सामने रखूं कि कितना खाद कितना पैसा, बीज बांटा गया उसका ज्यादा अर्थ न होगा, यह आंकड़े सब देते हैं लेकिन मैं आज पायनियर में पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि जहां पिछले ३ वर्ष में सूबे में ८४,९७३ कुंए बने वहां इस एक वर्ष में यह संख्या ९१,२४६ हो जायगी। इससे अधिक प्रगति और क्या हो सकती है, जैसी कि हमारे सामने खाद्यान्न की समस्या थी उसको हल करने के लिये जो कुछ भी खाद, बीज, सिंचाई के लिये किया जा सकता था वह किया जा रहा है।

महंगाई के प्रश्न को आप जरा दूसरी प्रकार से देखें। मैं एक बार थर्ड क्लास में रेल में सफर कर रहा था, मुझे वहां कोई जानता नहीं था। मेरे बराबर में लोग बैठे थे। मुझे कदाचित् कोई जानता हो परन्तु भीड़ में बहुत लोग खड़े थे; उन्होंने वहां कुछ नुक्ताचीनी आरम्भ की। आज अगर गेहूं ४० रुपये से ३८ रु० मन आ जाता है तो कहते हैं कि सस्ता हो गया लेकिन उस समय में अगर २४ से कहीं २६ भी हो जाता था तो बड़ा हाहाकार मच जाता था, २८–३० का भाव हो जाना मुसीबत समझी जाती थी लेकिन आज ४० के बाद ३८ होने पर रिलीफ महसूस करते हैं। वह वही समय था जब भाव ऊपर को जा रहे थे। कहने लगे महंगाई मुसीबत हो गई, दुनिया परेशान है, कांग्रेस ने भूखों मार दिया। तभी उन्हीं में से एक ने कहा कि भाई, यह भी बात है कि जो ऐसी खाद्य स्थिति को देखते हुए सरकार इतना न करती तो वास्तव में लोग भूखे मर जाते और अगर सरकार बाहर से खाद्यान्न न मंगाती तो तमाम जनता भूखों मर जाती। इसी प्रकार की ग्रामीण जनता के मुख से मुझे बस में बात सुनने का मौका मिला। वह लोग मुझे जानते नहीं थे, मैंने उनकी बात को सुना। मैं आगे बैठा था वे पीछे थे और अंधेरा था। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इतना न किया होता तो लोग भूखे मर जाते। किन्तु उस खाद्य समस्या में आपने क्या किया ? जैसा कि अभी माननीय सदस्य मिश्रा जी ने कहा, जब आग लगी हुई थी, आप तो पेट्रोल छिड़कते रहे। लेकिन वास्तव में यह एक आम मुसीबत थी और उसके लिये सरकार ने बहुत कुछ किया जो वह कर सकती थी। सरकार ने खाद्य समस्या से छुटकारा दिलाने के लिये वह किया जो उपाय वह कर सकती थी और आगे के समय में जो संकट आयेंगे उन्हें हल करने के लिये प्रयत्नशील है।

इस खाद्य समस्या के बारे में हमारे सामने एक मौलिक दिक्कत है कि हमने अपने देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने का बीड़ा उठाया है और इस व्यवस्था में वितरण को सम करना होगा। आवश्यक वस्तुओं या किसी भी अन्य वस्तु जिसके वितरण पर आप कंट्रोल करेंगे तो आपके लिये यह भी आवश्यक होगा कि आप उसके उत्पादन पर भी नियंत्रण रखें। यानी उत्पादन और वितरण दोनों पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा एक पर केवल कंट्रोल करने से व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है। किन्तु इस उत्पादन की व्यवस्था पर नियंत्रण करने का यद्यपि हम प्रयत्न करते रहे हैं किन्तु यह अब तक हो नहीं पाया है। पंत जी के जमाने से यह विचार किया गया है कि सरकार लेवी लगाये और प्रोक्योरमेंट करे लेकिन यह हो नहीं पाया है। आपने इस तरह की व्यवस्था करने नहीं दी है। मैं नहीं कहता कि केवल आप लोगों ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी इसे नहीं माना। लेकिन इस नीति की हम अवहेलना नहीं कर सकते एक

[श्री जगदीशप्रसाद]

न एक दिन हमें इसे अवश्य करना है । शनैः-शनैः जैसे-जैसे देश की परिस्थिति अच्छी बनेगी, किसान की हालत ऐसी होगी कि जो आज उसका मुनाफा होता है और जिसे आज बीच के लोग खा जाते हैं, उसे वह स्वयं खाये और स्वयं बेचे और जब भाव ठीक समझे तब बेचे और उसमें इतनी आर्थिक शक्ति हो कि वह उसे रख कर बेचे तब उसको उचित मुनाफा मिलेगा और जब यह होगा कि किसान भी रख कर बेचे और व्यापारी भी रख कर बेचे तो यह कैसे होगा इसलिये प्रोक्योरमेंट करना आवश्यक है । प्रत्येक कृषक एक निश्चित भू-भाग पर फसल बोये और अपने उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत निश्चित भाव पर सरकार को बेचे । जब तक यह नहीं होगा तब तक यह समस्या स्थायी हल नहीं होगी ।

यह तो हमारी अल्पकालीन व्यवस्था की बात रही । दीर्घकालीन व्यवस्था के बारे में जहां तक हमारे लेफटिस्ट विचारों के व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उनकी दो चीजें हमारे सामने आई हैं, वह लेफटिस्ट चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे कम्युनिस्ट हो या और कोई हो । पहली चीज है स्टेट ट्रेडिंग और दूसरी है नेशनलाइजेशन आफ बैंक्स । मैं समझता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग के बारे में जब राज्य ने निगम बना दिया तो वह स्टेट ट्रेडिंग हो गई । क्योंकि इसके साथ भी वास्तविकता यह है कि व्यापारियों ने हमारा साथ नहीं दिया अतः यह व्यापार भी उनसे जाता रहे तो कोई बात नहीं । बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो प्रश्न है वह हमारा प्रश्न नहीं है, वह केन्द्र का प्रश्न है । फिर भी हम इसे मानते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसके लिये भी कुछ करने को तैयार हैं । यदि यह किया जाय तो इसमें कोई हर्ज नहीं है । सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी सतर्कता आयोग की बात कही गयी है । उसका जिक्र माननीय राज्यपाल ने किया है और सतर्कता आयोग काम कर रहा है । उसका काम कितना सफल होगा यह आगे देखा जायगा । खाद्यान्न को उपभोक्ता तक पहुंचाने में तीन ही ऐजेन्सी आती हैं, किसान उसके लिये प्रोक्योरमेंट, व्यापारी के लिये सतर्कता आयोग ।

इस अभिभाषण में जो भी आवश्यक विषय थे उन पर राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है । उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा और मैं समझता हूं शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, तमाम सदन इस बात को मानेगा कि शिक्षा में इस वर्ष में हमने काफी प्रगति की है और कई कदम ऐसे उठाये हैं जिनका उठाना आवश्यक था । महामहिम राज्यपाल ने उल्लेख किया मेरठ और कानपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने का । यह बहुत पुरानी मांग थी । इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं । सरकार इस सम्बन्ध में विधेयक भी ला रही है । इन विश्व-विद्यालयों के खुल जाने से आगरा विश्वविद्यालय पर जो भार था और जो विद्यार्थियों को कठिनाई होती थी उसका भी समाधान हो गया ।

दूसरा कदम सरकार ने लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा के बारे में उठाया है जिसका भी जिक्र माननीय राज्यपाल ने किया है । हमारे प्रदेश में ११ से १४ साल तक की लड़कियों को जहां तक सम्बन्ध है, उनकी शिक्षा बिल्कुल नहीं के बराबर थी । इस अप्रैल में ४.८६ प्रतिशत बालिकायें ११ से १४ वर्ष की आयु की पढ़ने के लिये आती हैं जबकि लड़कों का प्रतिशत २७.५५ था तो लड़कियों का प्रतिशत बिलकुल नहीं के बराबर था जिसको बढ़ाने की आवश्यकता थी । इस कदम से उनका प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा ।

तीसरा कदम सरकार ने अध्यापकों के लिये ट्रिपिल बेनीफिट स्कीम (त्रिसूत्री लाभ कर कर योजना) को उठाया है । यह एक बोर्ड स्टेप है । इस योजना से सरकारी कोष पर कितना बोझ पड़ेगा यह आज तक वर्क आउट नहीं हुआ है, लेकिन एक कदम उठाया है जिससे कुछ समय के लिये लोगों की जबान बन्द हो गयी है । एक बात मुझे याद आई । एक बार लाला लाजपतराय ने कहा था कि राजनीति में एक हाथ में डंडा और एक हाथ में थैला रहना चाहिये । अगर यही प्रवृत्ति रही तो हमारे यहां शिक्षा, उद्योग आदि पनप लिये और अगर यही मनोवृत्ति रही कि लाभ उठायें और आगे मांगें तो कैसे काम चलेगा ? शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, अध्यापक

और व्यवस्थापक यह तीन वर्ग हैं। विद्यार्थियों के बारे में विश्वविद्यालय हुये, लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क की, अध्यापकों के बारे में त्रिसूत्री लाभ कर योजना का सरकार ने कदम उठाया। लेकिन व्यवस्थापकों के बारे में कुछ अधिक तो नहीं किया। सरकार ने एक कदम उठाया है और वह है अनुदानों का विकेन्द्रीकरण। मैं इसमें भुक्तभोगी हूं। मैंने देखा है कि इलाहाबाद में १००,२०० आदमियों की लाइन लगी रहती थी धूप में और वहां यह होता था कि १० प्रतिशत जिसने दे दिया उसका काम हो गया। अब सारे अनुदान मंडलीय और कुछ जिला स्तर पर वितरित होंगे। इसके लिये मैं बधाई देता हूं।

इसके अतिरिक्त जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, इस वर्ष में शिक्षा का वातावरण लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में, जो हमारे लिये समस्या रहते थे, शान्त रहा। इसलिये न सिर्फ सरकार बल्कि विद्यार्थी भी बधाई के पात्र हैं। मैं यह नहीं कहता कि विद्यार्थियों का वातावरण सब जगह अच्छा हो गया, विशेष कर मेरे जिले में उन पर धारा ३९५ चल रही है और हम नहीं कह सकते कि न चलायी जाय। वहां परिस्थिति बहुत खराब है। मेरी खुद देखी हुई बातें हैं।

महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में उद्योग का जिक्र किया। एक किसी भी देश और प्रदेश के लिये उद्योग बहुत ही आवश्यक है और हमारे प्रदेश की प्रगति में रुकावट खासतौर से उद्योग की कमी के कारण है। वृहद उद्योग में महामहिम ने दो का जिक्र किया, मेज उपकरण और पेंसलीन वायल्स आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ऐंटी बायटिक्स। परन्तु एक विशेष बात जो की जा रही है सरकार द्वारा वह है भू-तत्वीय सर्वे (ज्योलाजिकल सर्वे)। श्रीमन् हिमालय में मैंगनासाइटीज मिलता है, जिससे हमारे प्रदेश को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। यह एक विशेषतत्व है जो कई उद्योगों में काम आता है। विन्ध्याचल में, मिर्जापुर जिले में एक कोयला मिला, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर हमने समिति में स्वयं देखा सिगरौली कोलरीज मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छा निकल आया है। इधर कुछ जगह पर आशा करते हैं कि सर्वे होगा तो अच्छा निकलेगा। एक और बात जिसका महामहिम राज्यपाल ने जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि गांव में कृषि औद्योगिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया इस प्रदेश, की खास उपज कृषि है। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, श्री अशोक मेहता, आये हुये थे, मैं उस समय यहां नहीं था। उन्होंने अपने भाषण में जो कहा उसकी दो-तीन चीजें मुझे अपील की थी। उन्होंने कहा था—

"Mr. Mehta asked the State Govt. to develop Industries through Panchayats. Lack of exports and resources would no doubt pose difficulties but a move must be made in that direction soon." उसमें आगे कहा, 'Stressing the need for closer co-ordination between industry and agriculture Mr. Mehta said—

महामहिम राज्यपाल ने ये शब्द कहे हैं कि गांव के क्षेत्र में कृषि औद्योगिक विकास हो। यही नहीं उन्होंने आगे की योजना का थोड़ा-सा जिक्र किया उन्होंने लिखा है कि एक ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे सिंचाई का सामान, खेती के औजार व चूना आदि की एक इकाई के लिये हर जिले में बना रहे हैं। फिर यह हर क्षेत्र में हो। वास्तव में बेरोजगारी की समस्या है वह भी कुछ साल्व हो। श्रीमन्, सार्वजनिक क्षेत्र में दो चीनी मिलें, सरकारी क्षेत्र में एक मिल यह खोलने जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, चीनी की जो समस्या हमारे सामने थी उसके लिये १५ लाख टन से साढ़े २२ लाख टन क्षमता बढ़ा रहे हैं उसका समाधान होगा। विशेष प्रकार से हमारे पश्चिमी जिलों में है वह बड़ी गम्भीर है। हमारे सामने हर वक्त यह समस्या रहती थी। हम अपनी मिल को उठाकर साउथ में ले जायेंगे, मद्रास ले जायेंगे, अगर सहकारी मिल सफल होगी तो यह फिर हमारे सामने जायेगी नहीं। मैं पंजाब में गया; उद्योग के सम्बन्ध में मैंने यह देखा कि मिर्जापुर की बनी हुई दरियां पंजाब गवर्नमेंट खरीदती है।

[श्री जगदीशप्रसाद]

और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करती है। हमारे यहां एक्सपोर्ट ट्रेड कार्पोरेशन नहीं हैं, जिसके कारण यह सब होता है। महामहिम राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में जिक्र किया है कि वे भी ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, निर्यात निगम बना रहे हैं, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए।

श्रीमन, इसके बाद उन्होंने यह जिक्र किया है कि गत वर्ष में लगभग पूरे तौर पर औद्योगिक शान्ति बनी रही। जैसा मैंने विद्यार्थियों के बारे में कहा, औद्योगिक शान्ति भी प्रदेश में बनी रही। यह सब प्रदेश की उन्नति के सूचक हैं और मैं इस के लिए सरकार को ही नहीं बल्कि श्रमिकों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रदेश के विकास में सहायता दी।

(लाल बत्ती होने पर)

लाल बत्ती हो गयी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी एक सहकारिता विधेयक आने वाला है और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार और हमारे सहकारिता मन्त्री इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इस विधेयक को इस प्रकार बनाएं कि हमारे प्रदेश के विकास में उन्नति हो। यदि वह ठीक नहीं होगा तो हम सहकारिता का विकास नहीं कर पायेंगे। श्रीमन्, उसमें एक उत्तर प्रदेश लोक धन विधेयक का जिक्र है। सदन में इस समय हमारी मुख्य मन्त्री महोदया उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें बाढ़ से तथा और कारणों से बहुत फसल बरबाद हुई हैं। इन इलाकों में कहीं-कहीं पर तो किसान पुरानी तकावी नहीं दे पा रहे हैं। कभी-कभी जब वसूल करने वाले जाते हैं तो १०-१५ रुपए दे दिए जाते हैं और वह लौट कर चले आते हैं। इस तरह से वह रकम वसूल नहीं हो रही है और सूद बढ़ रहा है। अगर यह तकावी का रुपया मालगुजारी की रकम की तरह वसूल होता है तो वसूल तो हो सकता है पर उससे बहुत कुछ हानि भी हो सकती है, कुछ लोग बरबाद हो सकते, उसके विषय में सोचें।

हमारे अपने देश और प्रदेश के विकास के लिए दो बातों को ध्यान में रखना है। एक तो यह है कि हमारा विकास एक योजनात्मक होना है। हम जो कुछ कर रहे हैं उसके अन्दर ही चल सकते हैं। उससे हम इधर उधर नहीं हो सकते। यदि हम यह चाहें कि हमारी स्टेट इनसे बहुत आगे बढ़ जाय तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरे हमारे साधन बहुत सीमित हैं।

अन्त में मैं महामहिम राज्यपाल के भाषण के अन्तिम पैरे के कुछ शब्द पढ़ूंगा जिनसे हमें प्रोत्साहन मिलता है। वे इस प्रकार हैं:

> "आने वाला समय कठिन है, हमारी समस्याएं अनेक हैं। समृद्धि और खुशहाली के लक्ष्य तक पहुंचने के पूर्व हमें बहुत बड़ी मंजिल पार करनी है। आप जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं इसलिए आपके अपने अनुभव और परिश्रम से सभी अड़चनों का सामना करते हुए जनता को वांछित लक्ष्य की ओर ले जाना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मन में जनता के कल्याण की भावना सदैव सर्वोपरि रहेगी तथा आप अपने कार्यों एवं विचार विमर्शों में प्रजातन्त्र का आदर्श अपने समक्ष रखते रहेंगे।"

मैं समझता हूं कि यह अभिभाषण बिलकुल वस्तुतः अभिभाषण है जो किसी गवर्नर का होना चाहिए और मैं इस सम्बन्ध में दो-तीन लाइनें जो आज के पायनियर में प्रकाशित हुई हैं, पढ़ूंगा। वे इस प्रकार है:—

> "Shortfalls in the utilisation of Plan outlays have been a chronic feature in several states. That U, P. has overcome, this is indeed commendable."

महामहिम राज्यपाल ने जिक्र किया है कि योजना के अधीन कुल परिव्यय, जो शुरू में ५०२ करोड़ रुपए रखा गया था, अब निश्चित रूप से काफी हद तक बढ़ जायगा। पहले हम रुपया खर्च नहीं कर पाते थे। अतः वे बधाई के पात्र हैं।

जहां तक नेशनल हेराल्ड का सवाल है, उसकी भी एक-दो लाइनें पढ़ कर समाप्त कर दूंगा। वे इस प्रकार हैं:—

"The Governor's address this time has not been exultant or self-congratulatory and has been brief and to the point."

इससे अच्छा कमेन्ट और क्या हो सकता था ?

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने अपनी तारीफ की हो बल्कि जो वास्तविकता है वह बतलाई है। इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन इसको पास करेगा ।

*श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जगदीशप्रसाद जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरी यह धारणा है हालांकि विरोधी दल के सदस्य अधिकांशतः यहां से चले गए हैं, यदि वे यहां होते और राज्यपाल महोदय के संबोधन को गम्भीरतापूर्वक पढ़ते तो वे भी इस बात का समर्थन करते कि उन्होंने अपने सम्बोधन में कहीं भी अपनी सरकार की प्रशस्ति नहीं की है, बल्कि उन समस्याओं का जिक्र किया है, उन कठिनाइयों का जिक्र किया है जो देश तथा प्रदेश की जनता के सम्मुख हैं और उन्होंने इस सदन को आवाहन किया है कि वह उन समस्याओं का समाधान निकाले। लेकिन हमारे सदन में एक अजीब सी परम्परा पड़ती जा रही है और विशेषतौर से उस परम्परा को विरोधी दल के आदरणीय सदस्य स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने विधान सभा को एक मंच बना लिया है स्टंट पालिटिक्स के लिए। मुझे याद है सितम्बर के महीने में जब हम लोग इस विधान सभा में आए थे उस समय तो अनाज की महंगी ही नहीं थी मिलना भी मुश्किल हो रहा था और सारे प्रदेश की जनता हमसे कहती थी कि हम लोग इस बार जब असेम्बली में जायं तो इस प्रश्न का समाधान निकालें लेकिन जब हम सितम्बर के महीने में यहां आए तो एक बार भी गम्भीरतापूर्वक खाद्य समस्या पर विचार करने के लिए इस आदरणीय सदन के विरोधी दल के सदस्यों ने अवसर नहीं दिया। यह कोरस पिछले तीन साल से लगातार चला आ रहा है कि यह सरकार निकम्मी है, भ्रष्टाचारी है और इस्तीफा दे मैं, भगवान सहाय जी बैठे हैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या यह लोकतांत्रिक मांग है कि जो इतने अपार बहुमत के साथ सरकार यहां बैठी हुई है और जो १९६४ के तीनों बाई इलेक्शन्स में जीतती हो और जो देश में १० बाई इलेक्शन्स में ९ को जीती है उसको पदच्युत कर दिया जाय।

आज भी पत्रों में देखिए। सूबा पंजाब में इस सरकार के प्रत्याशी ने सभी विरोधी दलों से समर्थन प्राप्त प्रत्याशी को ११ हजार वोटों से हराया है, उस सरकार से इस्तीफा देने की मांग करना कहां तक लोकतांत्रिक प्रथा कही जा सकती है ? इंग्लैंड में विल्सन की सरकार, लेबर पार्टी की सरकार ४ सदस्यों के बहुतमत पर है और अभी दो बाई इलेक्शन्स हुए हैं जिनमें लेबर पार्टी की सरकार हार गई है और डिफेन्स मिनिस्टर मिस्टर पेट्रिक भी हारे और उनके बदले दूसरे डिफेन्स मिनिस्टर बना दिए गए। तो एक तरफ यह लोकतांत्रिक परम्परा देखने को मिलती है कि दो, चार सदस्यों के बहुमत के आधार पर पौंड के डिवेल्युएशन, न्युक्लीयर बने तथा स्टील के नेशनलाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपने कार्यक्रम को रखती है और कंजरवेटिव पार्टी जो वहां एकमात्र विरोधी दल है जिसके ३०० से ऊपर सदस्य हैं, वहां की रानी से एक बार भी यह मांग नहीं करती कि इस सरकार को पदच्युत कर दिया जाय। लेकिन दूसरी तरफ माननीय भगवान् सहाय जो हमारे मित्र हैं। न जाने कितनी बार इस सदन में कहते हैं कि इस सरकार को पदच्युत कर दिया जाय। डाक्टर जेड० ए० अहमद भी बड़े नाटकीय ढंग से इसी बात को कहते हैं कि इस सरकार को पदच्युत कर दिया जाय जबकि कम्युनिस्ट पार्टी को ६२ में १ परसेंट वोट मिले थे और केवल २०० वोटों से वे स्वयं विजयी हुए थे जिस पर पिटीशन चली थी और बाई इलेक्शन्स में कम्युनिस्ट पार्टी को साहस तक नहीं हुआ कि वह एक जगह भी अपना कैंडीडेट खड़ा कर सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्दराय]

माननीय उग्रसेन जी को क्या कहूं ? बनारस गए थे और वहां पी० एस० पी० तथा एस० पी० के संयुक्त सम्मेलन में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई और वह अवैध सम्मेलन ८ महीने नहीं चल सका और कोई संयुक्त कार्यक्रम इस छोटी-सी पार्टी का नहीं बन सका और खुले आम सड़क पर जलूस निकालते वक्त एक झंडे के अन्तर्गत माननीय उग्रसेन जी और माननीय हेम बरूआ साहब एक दूसरे पर डंडे और लाठियां चला रहे थे। क्या आपके लिए सरकार इस्तीफा दे दे ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इससे न तो मुझे चोट लगी और न हेम बरूआ साहब को ही चोट लगी। ऐसे डंडे तो दुर्गापुर और अवाड़ी में रोज लगते हैं।

श्री कृष्णानन्दराय—

श्रीमन्, यदि यह महसूस न करें तो हम क्या कहें ? डाक्टर साहब चले गए वरना मैं उनको बताता। माननीय चन्द्रजीत यादव जी हमें डेमोक्रेसी सिखा रहे थे। माननीय शारदा-भक्तसिंह जी ने मांग की है कि कम्युनिस्ट पार्टी की दक्षिण पंथी और वाम पंथियों पर सख्त कार्यवाही की जाय। पता नहीं जब विरोधी दल के नेता को उनके चरित्र पर यह आशंका और वे मांग करते हैं कि सरकार इस्तीफा दे दे। तो वह कौन सी सरकार चलायेंगे ? हमारी चुनौती है कि विरोधी दल के कोई लोग एक संयुक्त कार्यक्रम उपस्थित कर दें तो मैं यहां से चला जाऊंगा। खाद्यान्न की समस्या बड़ी कठिन है, विषम महंगाई है, ऐसे समय में डाक्टर साहब कहेंगे कि स्टेट ट्रेडिंग किया जाय, माननीय भानुप्रताप सिंह जी कहेंगे कि मुक्त ट्रेडिंग किया जाय और जनसंघ के माननीय शारदाभक्तसिंह जी कहेंगे कि सरकार और बिजनेस मैन दोनों खाद्यान्नों की ट्रेडिंग करें। अब बताइए कि कौन सा कार्यक्रम अपनाया जाय ?

श्रीमन्, यहां तक है कि राष्ट्र भाषा के नाम पर भी इनका कोई संयुक्त कार्यक्रम नहीं है। माननीय भानुप्रतापसिंह जी से प्रश्न पूछा गया कि आपकी भाषा के सम्बन्ध में क्या नीति है तो उन्होंने कहा कि हमारी भाषा के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है। माननीय उग्रसेन जी जो हमेशा कहते हैं कि यह सरकार इस्तीफा दे वे कहेंगे कि सोलह आने हिन्दी हो। एक शब्द भी अंग्रेजी का प्रयोग न किया जाय। माननीय भानुप्रतापसिंह जी से एक पत्र भी नहीं लिखा पायेंगे कि वह अंग्रेजी क प्रयोग करना छोड़ दें। कानपुर में जनसंघ ने कहा कि योजनाओं का बहुत लक्ष्य है। योजनाओं को समाप्त करने के लिए आन्दोलन किया जाय। क्या बात है ? राष्ट्र भाषा के सम्बन्ध में यह कोई संयुक्त कार्यक्रम नहीं दे सकते हैं और न खाद्यान्न की समस्या को हल करने के लिए ही कोई कार्यक्रम दे सकते हैं, केवल एक कार्यक्रम दे सकते हैं कोरस गाने का कि यह सरकार निकम्मी है, इस्तीफा दे दे।

मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि कितना भी चिल्लाया जाय और समाचार-पत्रों में कितनी भी हेड लाइन्स क्यों न निकाली जायं, लेकिन कोई भी सरकार जो जनता की विश्वास-पात्र है वह जल्दी से इस्तीफा नहीं दे देगी। माननीय राज्यपाल महोदय ने आवाहन किया है कि प्रदेश के सामने गम्भीर समस्याएं हैं और खाद्यान्न की विषम समस्या चल रही है, उन्होंने कहा है कि तृतीय योजना में साधनों का प्रश्न है तो मैं आप से कहता हूं कि इन समस्याओं को हम और आप मिलकर गम्भीरतापूर्वक निबटायें।

श्रीमन्, मैं अधिकार सीमा से बाहर जा रहा हूं लेकिन मैं महसूस करता हूं कि हमारी असेम्बली की यह गलत परम्परा होती जा रही है कि यहां पर जो पोलिटिकल स्टंट चलाए जाते हैं वे समाचार-पत्रों में हेड लाइन्स देकर निकाले जाते हैं। श्रीमन्, मैंने देखा है कि इंग्लैंड और अमरीका में, जो पोलिटिकल स्टंट के देश हैं और वहां ऐसे समाचार-पत्र हैं जिनकी दो-दो करोड़ प्रतियां बिकती हैं, लेकिन उनमें केवल आर्थिक समस्याओं का ही विवेचन किया जाता है और कहीं ऐसी चीज नहीं होती है कि एक नाटकीय ढंग से निकाल दें कि अपोजीशन ने वाक आउट

कर दिया और जिस दिन, मैंने कहा कि मैंने अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन भी किया है यह कह कर कि हमारे देश के और प्रदेश के समाचार-पत्र इस बात की गम्भीरता को समझने की कोशिश करने लगेंगे कि जनता से सम्बन्धित आर्थिक समस्याओं, और नियोजन की समस्याओं को ही प्रमुखता दी जाय और उनका ही प्रकाशन किया जायगा और जो पोलिटिकल स्टंट यहां खेले जाते हैं और जो इस प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं उनके लिए कोई भी स्थान नहीं रहेगा उसी दिन हमारी विधान सभाओं में स्वस्थ परम्परायें स्थापित होंगी। मैं अपने लायक दोस्तों से अपील करना चाहता हूं कि आइए ५ महीने के बाद हम असेम्बली में बैठें और इन समस्याओं पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचें जिससे जनता का भला हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद के प्रस्ताव में मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं:—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—

१—निरन्तर बढ़ती हुई अभूतपूर्व महंगाई एवं खाद्य संकट से उत्पन्न भुखमरी तथा अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए कोई प्रभावी पग उठाने,

२—कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता एवं वेतन सम्मिलित करके वेतन को बढ़े हुए मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने अथवा जब तक "वेतन अभिनवीकरण समिति" की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक के लिए महंगाई भत्ता अविलम्ब बढ़ाने,

३—दूकान तथा वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्राविडेन्ट फंड एवं बीमा योजना लागू करने,

४—अर्ध-सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी वेतन अभिनवीकरण कमेटी की सिफारिशें लागू करने,

५—प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने तथा कम्युनिस्ट पार्टी (दोनों दक्षिण एवं बाम) की राष्ट्रघाती गतिविधियों के कारण उन पर सख्त कार्यवाही करने,

६—राज्य के नागर क्षेत्रों की जनता की कमर तोड़ने वाले भूमि, भवन-कर को वापस लेने,

७—पूर्ण रोजगार स्थापित करने की योजना की रूपरेखा,

८—प्रशासन व्यय में व्याप्त अपव्यय को रोकने,

९—किसान का लगान आधा करने,

१०—भूमिहीन किसानों, खेतिहर मजदूरों एवं हरिजनों को निरीह दशा के निराकरण की समुचित एवं प्रभावी योजना बनाने,

११—राजकीय प्रशासन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा मन्त्रि-स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्थायी आयोग बिठाने,

१२—मन्त्रियों के लिए बनी आचार संहिता लागू करने,

१३—गन्ने की कीमत २.५० रुपए प्रति मन कराने की सिफारिशें करने,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

१४—न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पूर्ण पृथकीकरण करने,

१५—लड़कियों की भांति लड़कों के लिए भी हाई स्कूल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने,

१६—गुड़ तथा खांडसारी पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने,

१७—बाढ़, कटाव निरोधक योजनाओं को लागू करने एवं बाढ़ से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था करने,

१८—प्रदेश के चिकित्सालयों में डाक्टरों की कमी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा के प्रबन्ध के अभाव को समाप्त करने,

१९—प्रदेश के आधारिक तथा गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की गिरी हुई आर्थिक दशा सुधारने, समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर राजकीय अध्यापकों से समान स्तर स्थापित कर उनका वेतन बढ़ाने,

२०—कृषि एवं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई सक्रिय स्थायी योजना की रूपरेखा,

की घोषणा नहीं की।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले महामहिम राज्यपाल को मैं आपके माध्यम से इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इस वर्ष सम्पूर्ण सम्बोधन उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी में किया है। मैं यह समझता हूं कि संसदीय परम्परा में पहला अवसर था जब विदेशी भाषा अंग्रेजी का अपने कामकाज से हमने बहिष्कार कर दिया। इस प्रदेश की ही नहीं, सारे देश की करोड़ों जनता की यह भावना थी कि १५ वर्ष तक स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी हमने अपनी राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा को उसके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं किया था। और २६ जनवरी को यह पवित्र संकल्प लेना कि उत्तर प्रदेश में सभी कार्य केवल हिन्दी राज्य भाषा में होगा, मैं समझता हूं सरकार का बड़ा सराहनीय कार्य है। जब तक हम अपनी राज्य भाषा के द्वारा सारा कामकाज नहीं करते प्रजातन्त्र सफल नहीं बन सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमने दृढ़ संकल्प लिया है उसको पूर्णतः कार्यान्वित करें और इस बात का प्रयत्न करें कि जो कतिपय लोग उलटी गंगा बहाने की बात सोच रहे हैं उनके षड़यन्त्र को हम समाप्त करें। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस राज्य में और अन्य जगह भी अंग्रेजी को किसी प्रकार से रखना चाहते हैं। यह भी हम और आप सभी सदस्यों से छिपा नहीं है कि कुछ लोग इस सम्बन्ध में विघटन और विष के बीज बोने का कार्य करना चाहते हैं। ये सफल न हो इसके लिए सभी राष्ट्रवादी शक्तियों को इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करना है।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि जब देश और प्रदेश इस राज्य भाषा के सम्बन्ध में इस देश के नेतृत्व से अपना मार्ग प्रदर्शन चाहता है तो उस समय कुछ ऐसे विचार व्यक्त किए जा रहे हैं जिनसे इस विघटन को और भी प्रोत्साहन मिल सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कामराज ने जो मद्रास सरकार को सलाह दी है कि अगर केन्द्र से या अन्य प्रदेशों से कोई पत्र व्यवहार हिन्दी में आए उसको वह रद्दी की टोकरी में फेंक दें, मैं समझता हूं बड़ी चिन्ता का विषय है। उन्होंने हिन्दी राज्यभाषा की सभा में, जहां हमारे प्रधान मन्त्री माननीय लालबहादुर शास्त्री अपना भाषण करने के लिए गए, वहां जाने से इन्कार कर दिया। मैं यह तथ्य इसलिए यहां पर रख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश एक हिन्दी भाषाभाषी क्षेत्र है। इसलिए हमारे ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व है कि इस सम्बन्ध में हम सतर्क और सजग रहें और हिन्दी के खिलाफ इस ऐतिहासिक तथ्य के हम आखिर तक पहुंचे। जब कांग्रेस के अन्दर इस प्रकार की भाषा बोली जाती है और वह भी साधारण व्यक्ति की ओर से नहीं बल्कि उसके अध्यक्ष की ओर से,

तो हमको सजग रहकर इस सारे विघटन का हर प्रकार से समाप्त करना होगा जिससे जन-साधारण की भाषा उसके कामकाज में आए। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हमने यह दृढ़ संकल्प लिया है और इस पवित्र कार्य को सरकार ने करने के लिए निश्चय लिया है वहां आवश्यकता इस बात की है कि हम देखें कि कुछ नौकरशाही के लोग, जो दासता के संस्कारों में पले हैं वह अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए कहीं चोर दरवाजे से अंग्रेजी को प्रश्रय न दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने २६ जनवरी को यह निश्चय लिया और उसके अनुरूप जो सम्बोधन हिन्दी में हुआ तो मैं यह समझता हूं कि हम एक नए अध्याय का प्रारम्भ कर रहे हैं और हमें सरकार को इस निश्चय के साथ पूरा सहयोग देना है जो ऐतिहासिक कार्य को पूरा करना चाहती है जिसके लिये करोड़ों जनता चिरकाल से प्रतीक्षा कर रही थी और जो इसके लिये हर तरह से तैयार है।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आज आपने देखा कि कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने माननीय गवर्नर महोदय से मांग की कि यह मंत्रि-मंडल भंग किया जाय—क्योंकि इसके द्वारा खाद्य समस्या का कोई हल नहीं निकला, जनता के कष्ट बढ़े हैं और समस्यायें समाप्त नहीं हुईं। हमने उनका साथ नहीं दिया। हम ऐसा समझते थे, और जैसा कि हमारे पक्ष के लोगों ने अपना मत व्यक्त किया है, कि जहां हम समस्याओं की गंभीरता समझते हैं, जनता की कठिनाइयों को समझते हैं उसके साथ ही हम महामहिम राज्यपाल को दलगत निष्ठाओं के ऊपर समझ कर, राज्य की एकता के प्रतीक रूप में उनको मान कर हमको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये था कि जिससे उनका निरादर हो। और इस सदन ने इस संबंध में अभी एक प्रस्ताव पास किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं की गंभीरता को कम करना चाहते हैं। सरकार की इस संबंध में जो अकर्मण्यता है, ढिलाई है उसे छिपाया नहीं जा सकता। निरंतर बढ़ते हुए मूल्य और खाद्य संकट हमारे सामने खड़े हैं, सारी जनता त्रस्त है और पिछले ६ महीने से विधान सभा का सत्र न बुलाने का परिणाम यह हुआ है कि जनता के प्रतिनिधियों को उसके कष्टों को सरकार के सामने रखने का अवसर नहीं प्रदान किया गया जिससे जनसाधारण के कष्ट बढ़े हैं। समाज के हर क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। इस प्रदेश में रुपये का १२ छंटाक गेहूं तथा १० छंटाक चावल तथा अन्य अनाज बिक रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गयी है, कि जीवन चलाना मुश्किल पड़ रहा है। सरकार की खाद्य नीति विफल हुई है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह इसके लिये प्रयत्नशील है और वह इस खाद्य समस्या का निराकरण करेगी और जनता की कठिनाइयों को दूर किया जायगा, लेकिन साल भर हो गया आज तक इस समस्या का कुछ हल नहीं निकला है। परिस्थिति और गंभीर हुई है। आज गगनचुम्बी मूल्य इस बात को बता रहे हैं कि साधारण जन के लिये जीवनोपयोगी वस्तुओं का प्राप्त करना असंभव हो गया है।

अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों का हाहाकार आज सदन के तमाम सदस्यों को सुनायी पड़ रहा है। उन लोगों ने इस बात की आशा की थी कि उनकी कठिनाइयों को दूर करने हेतु इस अभिभाषण में कोई न कोई राहत मिलेगी, किन्तु इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई और आज अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर के दौरान वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम कोई अन्तरिम भत्ता देने की बात नहीं सोच रहे हैं, रिपोर्ट आने पर ही इस बात पर विचार किया जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों से प्रदेश की जनता में चिन्ता बढ़ रही है। सरकार मानती है कि समस्या है। राज्यपाल महोदय ने भी इस बात को अनुभव किया है कि समस्या गंभीर है, लेकिन समस्या हल करने का काम सरकार का है और यदि वह इनका समाधान नहीं कर सकी, अगर सरकार खाद्य नीति में विफल हुई है, अगर उसने जन मानस को संतोष नहीं दिया है तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां सरकार हमसे, विरोधी दलों से, प्रजातांत्रिक पद्धतियों में आस्था चाहती है, जहां वह यह चाहते हैं कि हम प्रजातांत्रिक प्रणाली को स्वस्थ बनाये रखें और उनका पालन करें वहां क्या हम सरकार से आशा कर सकते हैं

[श्री शारदाभक्तसिंह]

कि क्या उनको नतिक अधिकार है इस बात का कि वह मंत्रि-मंडल में बैठकर अपनी विफल नीतियों को चालू रखें ? आप कहेंगे कि बहुमत हमारे साथ हैं, मगर क्या संसदीय इतिहास में ऐसे अवसर नहीं आये हैं जब कि अपनी नीतियों के विफल होने के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है ?

आज यह स्पष्ट है कि सरकार अपनी गलत नीतियों के कारण, भ्रष्ट प्रशासन के कारण, और आपसी गुटबन्दी के कारण प्रदेश की समस्याओं को हल नहीं कर पायी है और सरकार की नीति असफल हुई है। इसलिये आज वक्त का तकाजा है कि सरकार कुर्सियों का मोह छोड़े, और कुर्सी छोड़ कर त्याग-पत्र दे। खाद्य समस्या की विफलता के कारण आज सरकार के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह आज मंत्रि-मंडल में रह सके और प्रान्त की सरकार को चला सके।

आज चीन का आक्रमण जारी है, पाकिस्तान द्वारा भी हमारे ऊपर आक्रमण के संकेत आ रहे हैं, महामान्य राज्यपाल महोदय ने भी कहा है कि हम बाहरी और आन्तरिक सुरक्षा चाहते हैं और उसका प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे समय में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस खाद्य नीति की विफलता के कारण भविष्य में विप्लव के संकेत नहीं मिल रहे हैं ? जनता में सहन की भी एक सीमा होती है, कुछ समय तक उसको बाध्य किया जा सकता है, किन्तु सरकार बराबर अपनी गलत नीतियों को चलाती चली जाय और जनता उसको देखती रहे, यह हमेशा होने वाला नहीं है। अगर यह चलता रहा तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर प्रान्त के भविष्य का क्या होगा। ऐसे समय में अगर सरकार अपने पद से इस्तीफा नहीं देती तो समस्या और गंभीर होगी। देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिये भी खतरे की बात होगी।

मान्यवर, २६ जनवरी को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जो बात कही थी उस पर इस मंत्रि-मंडल को विचार करना चाहिये। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि "यह समझ लेने की बात है कि हमारी जनता में मुद्रास्फीति को बर्दाश्त करने की सामर्थ्य बड़ी सीमित ही है। उसका धैर्य असीमित नहीं कहा जा सकता। मुद्रास्फीति की कीमत सिर्फ यही नहीं है कि भावनी विज्ञान रुक जायेगा। उससे वर्तमान आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिरता को भी खतरा है।" ऐसे संकेत राष्ट्रपति महोदय ने दिये हैं। तो अब सहने की शक्ति जनता में और नहीं है और उसके बढ़ते हुए रोष के सामने बड़ी बड़ी सरकारें झुकती हैं। इस सरकार को भी झुकना होगा और इसलिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या के बारे में गंभीरता से विचार होना चाहिये। आखिर खरीफ की फसल बहुत नहीं हुई। सरकार भी कहती है कि खरीफ की फसल अच्छी हुई और मोटा अनाज भी अच्छा पैदा हुआ है। लेकिन वह भी नहीं मिल रहा है। सरकार ने खाद्यान्न के मूल्य निश्चित किये हैं लेकिन बाजार में दाना भी मिलना मुश्किल है। सारे लोग महसूस करते हैं कि उनको मनमाने दाम देने पड़ते हैं। आज गल्ले की खुली चोरबाजारी हो रही है और सरकार पंगु और असहाय होकर यह सारा दृश्य देख रही है। सरकार की नीति और प्रशासन क्या काम करेंगे ? पहिले चीजों के मूल्य बताते हैं। जनता को आशा बंधाते हैं लेकिन बाजार में जाने पर जीवनोपयोगी चीजें मिलती तक नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार अपने मूल्य निश्चित करने के बाद भी चीजें नहीं दिलवा सकती तो उसे क्या अधिकार है कि वह शासन में रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो वितरण प्रणाली है, उसमें कठिनाई होती है। आज जो तरीका है वह उन लोगों के हाथ में है जो दलगत स्वार्थों में पड़े हुए हैं। हमने जो कहा था कि जो बाजार में हैं उन्हें दूकानें दी जायं, उसका भी पालन नहीं किया गया है। खाद्यान्न के संबंध में लगभग १२ वर्ष से हमारी योजनायें चल रही हैं। सारा नियोजन सरकार द्वारा नियंत्रित है। करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। यह सुनते-सुनते कि हम कृषि को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जनता काफी निराश हो चली है। इतने दिन, १२ वर्षों के नियोजन के बाद भी आज हमारे सामने वही खराब स्थिति है कि

भुखमरी बनी हुई है, और जीवनोपयोगी वस्तुओं के भाव जन-साधारण की सीमा शक्ति के परे के हो चले हैं।

धन्यवाद के प्रस्ताव के संबंध में मैं यह कह रहा था कि कानपुर से उन्हें कोई समाचार आया है कि जनसंघ योजना का विरोधी है। आप यह ऐसी बात कह रहे हैं परन्तु हम नियोजन के विरुद्ध नहीं हैं। कई बार हम कह चुके हैं कि न्यूनतमकाल में अधिकतम लक्ष्य प्राप्त करने के ही हम पक्षपाती हैं। लेकिन योजना साधन है साध्य नहीं। अगर १२ वर्षों का अनुभव यह बताता है कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी हम भुखमरी के मुंह में चले जा रहे हैं, सरकार का नियंत्रण समाप्त हो रहा है, मूल्यों में कोई सुधार नहीं है, तो क्या हमारे लिये यह अनुचित होगा कि आप योजनाओं को देखें? पहिले, उसकी कमियों को दूर करें और आगे आने वाली चतुर्थ योजना में बदल करें जिससे पुरानी भूलें न हो सकें। जब हम यह कहते हैं कि योजना में कृषि के संबंध में परिवर्तन चाहिये तो आप कहते हैं कि हम योजना के विरोधी हैं। आज योजनाओं की धुन में देश को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिये जहां तक आपने पिछले काल में उत्पादन के संबंध में प्रयत्न किये हैं, उस संबंध में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में ६०–६१ में कृषि के संबंध में जो खर्च हुआ है वह ४,२६,६२,५८१ रु०, ६२–६३ में ४,८१,०२,९२५ रु०, ६३–६४ में ६,५३,८३,९०० रु०, निरन्तर खर्चा बढ़ता चला गया है और ६०–६१ को देखते हुए ६३–६४ में लगभग दुगुना खर्चा हमने किया है और ६४–६५ में तो ७,९४ लाख तक की बात हमने कही है। लेकिन हमने जो नियोजन पर खर्च किया है गरीबों का रुपया पानी की तरह बहाया है तो हमें यह भी देखना होगा कि उनसे क्या फल हमें मिला है। ६०–६१ में १,४२,५७,१७८ टन गल्ले का उत्पादन हुआ था, ६१–६२ में वह घटकर १,००,३८,८६९ टन ही रह गया, ६२–६३ में १,३२,८२,६११ टन रहा और ६३–६४ में १,१६,१९,९२९ टन ही रह गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक ओर तो आपका खर्चा दुगना और तिगुना हो रहा है और दूसरी ओर आपके यह ढिंढोरा पीटने के बावजूद भी कि कृषि के लिये हम हर प्रकार के कार्य कर रहे हैं, पैदावार घटती ही जा रही है। सरकार योजनाओं के नाम पर हर तरह का जनता से बलिदान मांगती है, बताती है कि योजनाओं से देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा लेकिन ३ वर्षों में ही हम भुखमरी के पास तक पहुंच गये हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। इसका उत्तरदायी कौन है? इन सब बातों को देखते हुए सरकार का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि वह अपनी विफलताओं पर पश्चाताप प्रकट करने के लिये अपना त्याग-पत्र दे दे। आपने कई बार घोषणा की कि मुनाफाखोरों को दन्ड दिया जायगा, उनसे स्टाक्स छीने जायेंगे लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे लोगों के मन को ढांढस बंधता। इन बातों से यह पता चलता है कि सरकार ने इन चीजों का कोई हल नहीं ढूंढा है। अगर आप जनरोष को नहीं समझना चाहते हैं तो असंतोष और बढ़ेगा। इसलिये जो संकेत हो रहे हैं उनको समय रहते समझ लेना चाहिये। अगर आप आने वाले खतरे को नहीं समझे तो मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक इस समस्या का हल नहीं निकाल पाये हैं तो आप त्याग-पत्र देकर जनता को अपनी सम्मति देने का मौका दें।

प्रान्त में विस्फोटक अवस्था बढ़ती जा रही है और इसका अनुचित लाभ उठाकर राष्ट्र विरोधी शक्तियां हमारे बीच में अशान्ति का वातावरण पैदा कर रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के कैसे कारनामे रहे हैं और उनकी गतिविधियां किस प्रकार ध्वंसकारी रही हैं। श्री नन्दा जी ने रेडियो पर संदेश प्रसारित करते हुए स्पष्ट कहा कि वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी चीन के इशारे पर बनी है और उसी के इशारे पर चल रही है, उनका उद्देश्य शस्त्रीय क्रान्ति और चीन के हमले के समय गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना ही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में जबकि प्रान्त में इस प्रकार की विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है, ऐसे तत्व अपने गलत इरादों को पूरा करने के

[श्री शारदा भक्तसिंह]

लिये जनता में असन्तोष बढ़ा रहे हैं, सरकार ने प्रान्त की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाये हैं? आज कहा गया है कि कुछ लोग जेल के अन्दर हैं। हमारी शिकायत यह नहीं है कि कुछ लोग जेल के अन्दर हैं, बल्कि हमारी शिकायत यह है कि उनकी कार्यवाही को देखते हुए, कम्युनिस्ट पार्टी के पिछले इतिहास को देखते हुए यह बात खुले रूप से हमारे सामने है कि चाहे वे वामपंथी हो, चाहे वे दक्षिणपंथी हों, दोनों उस षडयन्त्र में लगे हुए हैं और देश की राष्ट्रघातक नीतियों को अपना रहे हैं। जो दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट हैं वे राष्ट्रीयता का नकाब ओढ़ कर देश में एक असन्तोष का वातावरण पैदा कर रहे हैं और लोगों के मन में इस प्रकार की अराष्ट्रीय वृत्तियां जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सफरमैना का काम करते हुए वह भूमिका तैयार कर रहे हैं जिसमें वामपंथी कम्युनिस्ट गृहयुद्ध की तैयारी कर सकें। चाहे वामपंथी हों, चाहे दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट हों, दोनों की निष्ठा बाहर के देशों से है, इससे हम इन्कार नहीं कर सकते। जहां एक की निष्ठा पेंकिंग से है वहां दूसरे की निष्ठा मास्को से है। इनकी सांठ-गांठ मुस्लिम लीग तथा पिंडी के प्रति निष्ठा रखने वाले देशों से भी है। मैं समझता हूं कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध पाकिस्तान परस्त शक्तियों से हो, वह हमारे भविष्य के खतरे का सन्देश देता है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान और चीन के आक्रमण की पृष्ठभूमि में हम इस संकटापन्न स्थिति को सामने रखें और अपने प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा के लिये प्रबन्ध करें। यह देखते हुए कि इन लोगों के द्वारा चीन के आक्रमण के समय हर प्रकार का अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति है और उनके अन्दर राष्ट्र को समाप्त करने की आकांक्षा है, मैं तो इस सरकार से मांग करता हूं कि उस परिस्थिति को देखते हुए और चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण की पृष्ठभूमि में आज आवश्यक है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय। वे कह सकते हैं कि हम तो समाजवादी हैं, हम तो देशभक्त हैं, हम तो कहते हैं कि चीन से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे समय जब कि हम युद्धरत हैं जब हमारी हजारों मील भूमि दुश्मन के हाथ में है और जब हमारी उत्तरी सीमा को दुश्मन खटखटा रहा है, तो ऐसे समय में देश पार्टी से बड़ा है। कोई अपने मुंह से कह दे कि हम बड़े देश भक्त हैं और उसे मान लिया जाय तो यह ठीक नहीं होता। पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब इस देश में कोई आपत्ति आयी है, जब-जब इस देश पर कब्जा करने की बात दुश्मनों ने कही है तो कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास गद्दारी का इतिहास रहा है और अगर आज नन्दा जी के भाषण के बाद भी इस प्रदेश की सरकार सोती है तो इस प्रदेश की सुरक्षा का सारा उत्तर दायित्व इस सरकार के ऊपर ही होगा। हमें किसी प्रकार से भी इन लोगों के लिये हिचक कर काम नहीं करना है। मैं आपसे कहता हूं कि ऐसी अराष्ट्रीय शक्तियां जिनकी निष्ठा पेंकिंग, पिंडी और मास्को जैसे देशों के प्रति है उनका विश्वास नहीं किया जा सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी राष्ट्रद्रोही अप्रजातांत्रिक तथा निरंकुशवादी शक्तियों को संविधान में प्रदत्त उन अधिकारों का दुरुपयोग करने का अवसर न दिया जाय जो हमारे लिये आत्मघाती होगी। आज जो प्रदेश की सुरक्षा की बात कहते हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी से देश बड़ा होता है। इसलिये सरकार से हमारी मांग है कि आगे के खतरे को समझते हुए, आन्तरिक स्थिति को समझते हुए और इस विस्फोटक अवस्था को समझते हुए जैसा कि बराबर इस प्रदेश में पैदा होती रहती है, कम्युनिस्ट पार्टी पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिये।

माननीय श्रीपालसिंह जी ने राज्यपाल के संबोधन के संबंध में बोलते हुए कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया है उसका केवल मतलब यह था कि उन्हें अखबारों में नाम मिल जाय लेकिन मैं उससे और आगे कहूंगा कि उनकी वह कौन सी गतिविधि है कि जिसमें वे मौका पाकर अशान्ति और अव्यवस्था पैदा करने का

काम नहीं करते और इसके लिये मैं विरोधी दल की ओर से कहूंगा कि हम विरोधी दल के लोग जहां एक साथ काम करना चाहते हैं, एक दूसरे मिलकर शक्ति बनाना चाहते हैं लेकिन जहां देश का सवाल है, जहां देश की सुरक्षा का सवाल है, जहां देश के अस्तित्व का सवाल है और जहां प्रजातन्त्र का सवाल है वहां हम अपनी सारी निष्ठाओं और प्रश्नों को भुलाकर हम मांग करते हैं कि जिसके बारे में संदेह हुआ है, जिसकी देशभक्ति के बारे में जरा सा भी सन्देह हुआ है, प्रमाण मिले हैं उनके ऊपर पूरा प्रतिबन्ध होना चाहिये और अगर यह सरकार उन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाती है तो वह अपने नैतिक कर्त्तव्य से पीछे हटती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको आधा घंटे का समय दिया था, ३५ मिनट हो गये हैं । अब आप समाप्त करें ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

अब मैं अधिक न कह कर केवल इतना ही कहूंगा कि जहां यह आन्तरिक परिस्थिति हो, इस प्रकार का अन्न संकट हो, कम्युनिस्ट गतिविधि के कारण अव्यवस्था पैदा हो और जहां भ्रष्टाचार इस जलती हुई आग में घी का काम कर रहा हो, चारों ओर जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, अभी तक तो हम अफसरों में भ्रष्टाचार ढूढ़ते थे, छोटे-छोटे कर्मचारियों में ढूढ़ते थे लेकिन अब तो वह ऊपर के नेतृत्व तक में पहुंच गया है और यहां तक कि आज कोई मिनिस्टर भी संदेह से परे नहीं है। आज काश्मीर में बख्शी गुलाम मोहम्मद कठघरे में खड़े हैं, पंजाब में कैरों, मुझे दुख है कि उनकी हत्या हो गई लेकिन वह भी अपदस्थ किये गये। राजस्थान में मुख्य मंत्री सुखाडिया पर भी आरोप हैं, तैयारी भी हो रही है कि उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाय। उसके बाद उड़ीसा में भी आप को मालूम होगा कि वीरेन मित्र हटाये गये हैं हालांकि कांग्रेस की उप समिति ने लीपापोती करके कह दिया कि कोई गंभीर आरोप उन पर नहीं हैं कि जांच बिठाई जाय। हमारा प्रदेश भी इससे बचा नहीं है। हमें मालूम है कि यहां के भी एक मंत्री के खिलाफ जांच बिठाई गई है और एक जज की नियुक्ति की गई है। इस तरह से एक एक मंत्री के लिये और मुख्य मंत्री के लिये कहां तक आयोग और जज नियुक्त करके जांच कराई जायंगी ? मैं समझता हूं कि अब यह रोग गहरा है और इसके लिये एक स्थायी आयोग बिठाना चाहिये जो सारे मंत्रियों की जांच करे और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करे ।

मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि हमारे स्वशासन मंत्री जी चतुर्भुज शर्मा ने एक वक्तव्य एटा में दिया था और वह जुलाई ३० के अखबार में छपा था । उन्होंने वहां कहा था वह अंग्रेजी में है मैं उसका अनुवाद किये देता हूं, वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कम से कम एक मोर्चे पर किसी प्रदेश से पीछे नहीं है और वह मोर्चा है भ्रष्टाचार का। उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है यह प्रदेश सबसे आगे है। बड़े गौरव और अभिमान से यहां के मंत्री यह बात कहते हैं। मुझे शर्म लगती है कि अगर ऐसा अनुभव करने और कहने का मौका किसी मंत्रिमंडल के सदस्य को है तो उसका नैतिक कर्त्तव्य है कि वह ऐसे मंत्रिमंडल को छोड़ दे। लेकिन आज मंत्रिमंडल में होड़ लगी है और एक दूसरे पर कीचड़ फेंकी जा रही है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, इनके द्वारा किस तरह से प्रदेश का मार्ग प्रदर्शन होगा, इसमें मुझे सन्देह है । मैं चाहता था और मेरी इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल और कांग्रेस पार्टी इस पिछड़े हुए प्रदेश का मार्ग प्रदर्शन करती, यहां की जनता की कठिनाइयों को कम करती और इस फैले हुए भ्रष्टाचार को कम करती लेकिन यह सारे काम तो एक तरफ रखे रह गये हैं और मंत्रिमंडल के सदस्यों को केवल एक कुर्सियों की फिक्र है। आज जनता अधीर होकर देख रही है, कितनी गंभीर परिस्थिति है, आन्तरिक अव्यवस्था है, देश के प्राचीरों पर दुश्मन खटखटा रहा है, हजारों इन्सान भूख से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं; ऐसे समय में यहां यह विवाद छिड़ा

[श्री शारदाभक्तसिंह]

है कि किस मंत्री को २ पोर्टफोलियों मिलने चाहिये और किसको एक ही मिलना चाहिये। और इसके लिये हमारे अखबारों में आ रहा है कि आपने उनको क्यों दे दिया, हमको दोनों क्यों नहीं दिया। हमको ऐसा लगता है कि हर पोर्टफोलियों पर भी लड़ाई होने वाली है। यह आदर्श आप उत्तर प्रदेश के सामने रखने वाले हैं? यदि आप चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े संसार में इसकी प्रतिष्ठा बढ़े और हम सारे देश के साथ एक होकर चल सकें तो त्याग और बलिदान के साथ आप विरोधी दल के आवाहन को स्वीकार करें वरना इस तरह का काम समाप्त होना चाहिये और इस तरह का काम होना चाहिये जिससे जनता में त्याग और बलिदान की भावना आये।

श्री उपाध्यक्ष—

एक बात मुझे यह निवेदन करनी है कि जितने भी अमेन्डमेन्ट हैं वह प्रस्तुत किये मान लिये जायेंगे, माननीय ऊदल का उसमें एक एमेन्डमेन्ट छपा नहीं है वह भी मान लिया जायेगा।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का स्वरूप
[सर्वश्री रामसुन्दर पांडेय कमलासिंह यादव, राधेश्याम शर्मा, उग्रसेन, केशरीप्रसाद पांडेय, गयाप्रसाद, काशीनाथ मिश्र, लखीसिंह तथा चन्द्रबलीसिंह	किंतु सदन को खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में निम्नलिखित की चर्चा नहीं की : १—अनाज के बढ़ते हुए दाम और अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम निश्चित करने में, ऐसा कि किसान को अपने अनाज का उचित लाभ मिले और उपभोक्ता को सस्ता माल मिले, सरकार ने कोई निश्चित कदम नहीं उठाया। २—लगातार पांच महीने विधान मंडल की बैठक न बुलाकर तथा कई अध्यादेशों के द्वारा शासन-तंत्र चलाकर जन-भावना, लोकतंत्र और संविधान की हत्या की है। ३—भारत सुरक्षा के नाम पर विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं को नजरबंद कर नागरिक स्वतंत्रता का अपहरण किया है। ४—अलाभकर जोतों की मालगुजारी हटाने की कोई चर्चा नहीं की गई है। ५—बढ़ती हुई महंगाई से संत्रस्त होकर प्रदेश के सचिवालय तथा अन्य राज्य कर्मचारियों ने १ फरवरी को अपनी मांग लेने हेतु वेतन नहीं लिया। ६—खाद्य आन्दोलन सन् १९६४ के संबंध में सत्याग्रहियों के जेल भुगतने के बावजूद भी जबरदस्ती जुर्माना वसूली जो बजरिये कुर्की व नीलाम की गई है, उसकी वापसी की घोषणा नहीं की गई है। ७—ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा जो भूमिहीन श्रमिक तथा अलाभकर जोत वाले किसान जिनके पास क्रय शक्ति नहीं थी, उन्हें खाद्यान्न-संकट से बचाने के लिये किसी योजना का जिक्र नहीं किया। ८—प्रदेश में बाढ़, कटाव तथा गर्की निरोधक योजनाओं को लागू करने में सरकार असफल रही है।

[ ] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	९—सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के मजदूरों के वेतन क्रम एवं महंगाई भत्ते हेतु बढ़ती हुई मांग पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया तथा वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट सरकार ने अब तक प्रकाशित नहीं की, न राज्य कर्मचारियों को अंतरिम सहायता देने की अब तक घोषणा ही की है ।
	१०—प्रदेश में बढ़ती हुई अरक्षा की स्थिति चोरी, डकैती से जन-जीवन की सुरक्षा-हेतु सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया ।
	११—प्रदेशीय मंत्रिमंडल के वे मंत्री जिन पर स्पष्ट भ्रष्टाचार व कुनबापरस्ती के आरोप लगाये गये हैं, उन पर कार्यवाही की कोई चर्चा नहीं की गई है ।
	१२—प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों के प्रति सरकार ने उपेक्षा की नीति बरती है जिससे वे संघर्ष के लिये बाध्य हैं ।
	१३—प्रदेश के अधिकांश अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और डाक्टरों के अभाव में कंपाउन्डरों से काम चलाया जा रहा है ।
	१४—प्रदेश के चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की भी घोषणा नहीं की गई है ।
	१५—२६ जनवरी, १९६५ के बाद भी प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में पूर्णरूपेण हिंदी नहीं अपनाई जा रही है ।
	१६—प्रदेश में चकबन्दी में व्याप्त भ्रष्टाचारों के निवारण हेतु कोई संकेत नहीं किया है ।
	१७—घरेलू उद्योग-धंधों, खंडसारी, गुड़, राब इत्यादि पर बिक्री-कर, खरीद कर और उत्पादन कर लगा कर चीनी मिल मालिकों को बढ़ावा दिया है ।
	१८—सत्तारूढ़ दल के आन्तरिक कलह ने शासन तंत्र को जर्जर कर जनतंत्र की नींव हिला दी है ।
	१९—पटेल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित न कर सरकार ने सभी पिछड़े जिलों की उपेक्षा की है ।
	२०—उत्तराखंड की संकटापन्न स्थिति का उचित निवारण न कर उसके नाम पर मनमानी तरीके से राजनैतिक लाभ उठाने का लज्जास्पद उपक्रम किया जा रहा है ।
	२१—प्राइमरी शिक्षा की वैभिन्नता की समाप्ति तथा अनिवार्य शिक्षा देने का जिक्र नहीं है ।
	२२—बाढ़ और पानी लगाव से होने वाली क्रम से १ करोड़ और ५० लाख की फसल बरबादी के बचाव का कोई जिक्र नहीं है ।
	२३—देवरिया जिले को और अपने प्रदेश के बाढ़ क्षेत्रों की लगातार फसल बरबादी के बाद विशेषतौर पर शहरों की तरह सब को खाद्यान्न पहुंचाने का जिक्र नहीं है ।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री भानुप्रताप सिंह, श्री विजय सिंह, श्री मुन्नूसिंह, श्री चिरजीलाल जाटव, श्री चौधरी अब्दुल हसीब खां, श्री नवरंगसिंह, श्री मंगलप्रसाद, श्री प्रेमसिंह, तथा श्री राम अधार कन्नौजिया।	२४—कच्ची फसलों की चोरी से कटिया रोकने के कदम का जिक्र नहीं है। २५—पूर्वी जिलों के चीनी मिल मालिकों को जो उत्पादन कर में छूट दिया जा रहा है उसमें से किसानों को दिलाने की कोई जिक्र नहीं है आदि-आदि। प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : ".....परन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में सरकार की नीतियों और कार्यक्रम में किसी ऐसे परिवर्तन का उल्लेख नहीं किया है कि जिससे यह आशा बंध सके कि इस राज्य के आर्थिक तथा प्रशासकीय दुर्व्यवस्था में कोई सुधार होगा।"
श्री झारखंडे राय, श्री विजयपाल सिंह, श्री ऊदल, श्री रघुवीरराम, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री रघुनाथराम, श्री संतसिंह यूसुफ, श्री झिमिलटराम, श्री रामसुन्दर शास्त्री, श्री सुरजनराम विशारद, श्री भोखालाल, तथा श्री शराफत हुसैन रिजवी।	राज्यपाल महोदय के संबोधन के धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय "किंतु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने निम्न बातों की चर्चा नहीं किया है : १—राज्य में उत्पन्न गंभीर खाद्य संकट और निरंतर बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में सरकार पूर्णतया असलफल रही है। सरकार ने बड़े व्यापारियों, जखीरेबाजों और चोर बाजारी करने वालों, मुनाफाखोरों, पूंजीपतियों और नौकरशाही के सामने घुटने टेक दिया है। इस संकट ने राज्य की जनता को बचाने की प्रमुख जिम्मेदारी को सरकार ने पूरा नहीं किया है। गल्ला प्राप्त करने, कीमतों पर नियंत्रण लगाने और गल्ले का राज्य व्यापार करने की नीति की चर्चा तक नहीं है। सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों और मध्यम वर्ग के लोगों, छोटे दूकानदारों, भूमिहीनों, मजदूरों को सस्ता अनाज दिलाने के लिये किसी प्रयास का उल्लेख नहीं है। २—गल्ले के अभाव के दूर करने के लिये भूमि क एकाधिकार को समाप्त करने के लिये वर्तमान हदबन्दी कानून को रद्द करके प्रभावकारी ढंग से हदबन्दी करने लिये दूसरा कानून बनाने और राज्य की परती भूमि को भूमिहीनों में बांटने का उल्लेख नहीं है। ३—राज्य के सरकारी कर्मचारियों को जो बढ़ती हुई महंगाई से पस्त हैं तत्काल उन्हें आंतरिक रिलीफ दिलाने और उनके वेतन-क्रम को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान स्तर पर लाने का उल्लेख नहीं है। ४—राज्य के अध्यापकों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन नहीं है। ५—गन्ने का दाम ढाई रुपये मन निर्धारित करने के लिये के लिये सरकार के प्रयास का उल्लेख नहीं है। ६—राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में मालिकों के मजदूर विरोधी रवैये को रोकने और पूंजीपतियों की लूट पर प्रभावकारी रोक

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	लगाकर मजदूरों के वेतन, महंगाई और बोनस बढ़ाने तथा उन्हें अन्य आवश्यक सहूलियतों के बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है । ७—पहले कमीशन के अनुसार राज्य के अन्य पूर्वी जिलों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में काम प्रारंभ करने के लिये सरकार द्वारा दिये गये अपने आश्वासन को पूरा करने के लिये कदम उठाने का उल्लेख नहीं है । ८—राज्य की बिगड़ी हुई शांतिव्यवस्था और सरकार के जन विरोधी रवैये को समाप्त करने का उल्लेख नहीं है । नगरों में लगे हाउस टैक्स को समाप्त करने का उल्लेख नहीं है ।
श्री रक्षपालसिंह	"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने : १—बुन्देलखंड तथा उसी के समान पिछड़े पिछड़े हुए जिला फतेहपुर के विकास हेतु कोई सुझाव नहीं दिया है । २—आगरा से कड़ा (इलाहाबाद) को मिलाने वाले राष्ट्रीय मार्ग, जो जिला फतेहपुर होकर जाता है, के निर्माण हेतु कोई योजना नहीं रखी है । ३—जिला फतेहपुर में किसी औद्योगिक संस्थानों के खोले जाने की घोषणा नहीं है । ४—नागर क्षेत्रों में लगे भूमि-भवन कर वापस लिये जाने की घोषणा नहीं है । ५—प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के संबंध में वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट शीघ्र सिफारिश किये जाने की न तो इच्छा व्यक्त की है और न अंतरिम महंगाई भत्ता दिये जाने की घोषणा ही की है । ६—सन् १९५६ से प्रदेश सरकार के विचाराधीन "इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल" जैसे कानून को बनाने एवं लागू करने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की । ७—विभिन्न सरकारी विभागों में ३ वर्ष से अधिक समय से काम करने वाले सभी कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की घोषणा नहीं की । ८—खेतिहर मजदूरों तथा बनवासियों को भूमि दिलाने तथा बसाने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं किया है । ९—पिछले वर्ग के लोगों को राजकीय सेवाओं में भरती किये जाने हेतु किसी भी सुविधा का उल्लेख नहीं किया गया । १०—प्रदेश की बनी सरकारी योजनाओं की असफलताओं को देखते हुये उनमें बदल दिये जाने की घोषणा नहीं की गई ।
श्री हरीश कुमार गंगवार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— "किंतु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्न बातों का उल्लेख नहीं किया : १—रुहेलखंड के प्रमुख नगर क्षेत्र तथा औद्योगिक केंद्र बरेली में विश्वविद्यालय की १९६५ जुलाई से स्थापना की जावेगी । २—बरेली-मुता-बीसलपुर रोड का अविलम्ब निर्माण किया जावेगा ।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	३—किसान को गन्ने का मूल्य कम से कम तीन रुपया प्रति मन मिलेगा ।
	४—अगले वर्ष से इंटर तक की शिक्षा के लिये क्षेत्रीय आधार पर विभिन्न परिषदें स्थापित की जावेंगी ।
	५—अगले बजट वर्ष से हाई स्कूल तक शिक्षा पाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी की फीस माफ कर दी जायेगी ।
	६—कार्यपालिका व न्यायपालिका का पूर्ण पृथकीकरण अगले बजट वर्ष से कर दिया जावेगा ।
	७—बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र में शंखा पर ग्राम ठिरिया ठाकुरान के पास तथा भड़सर ग्राम के पास बहगुल नदी पर पुल बनाया जावेगा ।
	८—ग्राम नदौसी व लाड़पुर तहसील बरेली में नलकूप बनाये जावेंगे ।"
श्री रामकिशोर त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय "किंतु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं है : सरकार करोड़ों रुपया पंचवर्षीय योजनायों में व्यय करके भी प्रदेश में खाद्य अन्न के अभाव को दूर करने तथा वस्तुओं के मूल्यों में हो रही दिन पर दिन वृद्धि को रोक पाने में असफल रही है । ऐसी दशा में प्रशासन कार्य में लगे सभी शिक्षक, श्रमिक एवं सभी श्रेणी के राजकीय कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई में ५० प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिये । उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबले में शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है जिसका मुख्य कारण शिक्षकों को उचित वेतन, सम्मान न मिलना रहा है । आज सारे प्रदेश में प्राइमरी एवं माध्यमिक पाठशालाओं में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनका प्रयोग राजनैतिक कार्यों में किया जाता है, उसे राजनैतिक फुटबाल बनाया जा रहा है । ऐसी दशा में हमारे बुनियादी प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा का स्तर गिर गया है । बच्चों को उचित मार्ग-दर्शन न मिल पाने की वजह से दिन पर दिन उनमें अनुशासन-हीनता फैल रही है जो कि देश के उत्थान के लिये घातक है । शिक्षा के क्षेत्र में गति लाने के लिये शिक्षकों की नियुक्ति, तबादले एवं सभी स बंधित कार्य जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं प्रदेश स्तर पर शिक्षा निदेशक के सीधे सरकार के माध्यम से होंगे और उनकी नियुक्ति योग्यतानुसार अन्य विभागों की भांति एम्प्लायमेंट आफिस के द्वारा सूची-बद्ध उम्मीदवारों में से की जायगी । प्रदेश में विज्ञान की शिक्षा को व्यापक रूप देने के लिये तथा अन्य हाई स्कूल जो प्राइवेट मैनेजमेंट में चल रहे हैं उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिये मौजूदा नियमों में संशोधन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य अधिकाधिक स्कूलों को मान्यता प्रदान करना है ।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये हर किसान को कुंआ बनाने, रहट लगाने एव आवश्यकतानुसार नहरी क्षेत्रों में ट्यूबवैल लगाने की व्यवस्था दी जा रही है। जो लोग नहरी कंपाउन्ड में प्राईवेट ट्यूबवैल लगाना चाहेंगे उन पर विभाग की ओर से कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा इस लगने के पश्चात् जहां जहां ट्यू वैल लग जायेंगे उन क्षेत्रों को नहरी क्षेत्र से घटा दिया जायगा, किसानों की ओर से किसी एग्रीमेंट की आवश्यकता न रहेगी।
	बाराबंकी जिले में अब तक आई० टी० आई० की व्यवस्था नहीं हो सकी है। चालू वित्तीय वर्ष में यह टेक्निकल शिक्षण संस्था यहां भी खोल दी जायगी। राजधानी के निकट होते हुए भी इस जिले में भी उद्योग-धंधों में कोई प्रगति नहीं हुई है। यहां उद्योग-धंधों का सारे जाल बिछाने हेतु एक योजना बनाई जा रहा है जिसके द्वारा यहां के औद्योगिक अभाव को दूर किया जायगा और यहां की हैदरगढ़ तहसील जो सबसे पिछड़ी हुई तहसील है यहां पर अगली चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में एक बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री लगाने पर विचार किया जायगा।
	बाराबंकी जिले में सड़कों की हालत काफी खराब है, जिसकी वजह से यहां से अच्छा माल बाहर ले जाने एवं यहां कच्चे माल से पक्का माल तैयार करने में परिवहन साधनों के अभाव में कठिनाई होती है इसलिये जिले के मार्गों को पक्का बनवाने के लिये जो जनशक्ति योजना के अन्तर्गत ५१ लाख की योजना जिले के लिये बनाई गई थी, जिसे संकटकालीन स्थिति की वजह से स्थगित किया गया था, उसे प्रारंभ कर इस योजना-अन्तर्गत सभी सड़कों को मैन-पावर स्कीम के अन्तर्गत पक्का किया जायगा।
	इस जिले की हैदरगढ़ से महाराजगंज सड़क, जो कि दो जिलों को मिलाती है और गोमती नदी पर पक्का पुल बन जाने पर इसका महत्व बढ़ गया है और मार्ग पर हजारों आदमी कांवरों में गंगानदी डलमऊ से जल भर पर बाराबंकी जिले में औसानेश्वर तथा लोधेश्वर महादेव पर चढ़ाते हैं उन्हें वर्षा काल में इस प्रकार कांवरों में जल लेकर पैदल चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी दशा में इस मार्ग को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर पक्का बनाने का कार्य किया जायगा। इसी प्रकार हैदरगढ़ से शिवगढ़ मार्ग जो कि इस क्षेत्र से सीधे कानपुर बछरावां औद्योगिक नगरो को मिलाता है इस रिसर्च स्कीम में शामिल कर लिया गया है और इसी वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ हो जायगा। इसी प्रकार परगना सुबेहा इस जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र को मुख्य स्थानों से मिलाने एवं कानपुर-बछरावां औद्योगिक केन्द्रों को मिलाने की दृष्टि से हैदरगढ़ वेहा सड़क को पक्का बनाया जायगा और यातायात की सुविधायें प्रदान की जायेंगी।
	त्रिवेदीगंज ब्लाक बाराबंकी के लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग के भेलवल नामक स्थान से लखनऊ शिवगढ़ मार्ग के गूड़ा खजुरों

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	तक १८ मील बाबा परमेश्वर दास हसवापुर ने श्रमदान से जो मार्ग बनाया है यह एक सराहनीय कार्य है। इस मार्ग का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सर्वेक्षण हो चुका है। इस सड़क पर पुल-पुलिया बनाने एक इसे पक्का बनाने के लिये लगभग २१ लाख की अनुमानित लागत की चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की जा रही है। इस सड़क पर शिवगढ़ ड्रेन पर पुल बनना प्रारंभ हो गया है और हैदरगढ़-जौनपुर शारदा कैनाल की शाखाओं के १८ मील ५ फर्लांग पर एक छोटा पुल बनाने की व्यवस्था की जा रही है। बाराबंकी जिले के सुबेहा कस्बे को मिलाने के लिये सिधौरा-देवीगंज वाया घटमापुर मार्ग को पक्का बनाया जायगा और इस सड़क के राडी नाले पर घटमापुर के पास एक पक्का पुल बनाया जायगा। इसी प्रकार इसी नाले पर सेमरावां के पास एक पुल बनाया जाय। कल्याणी नदी पर हथौघा नामक गांव के पास एक पुल बनाने की व्यवस्था की जा रही है। हैदरगढ़ ब्लाक के गैरवां नामक गांव से इन्हौना सड़क से मिलाने के लिये चौथी योजना में एक छोटी सड़क की व्यवस्था की जायगी ताकि यहां के निवासियों को आवागमन की सुविधा हो। बाबा हसवापुर (खैरा कनकू) में तथा कबूलपुर (बहुता) में एक मिल्क डेरी एवं पशु औषधालय खोलने की व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार फतेहगंज (दतौली) में भी एक पशु औषधालय खोला जायगा चकबन्दी जिन स्थानों पर होती है वहां उस समय नहर की नालियां बनाने को कोई व्यवस्था नहीं होती है बाद में नहर विभाग को भूमि एक्वायर करने, नालियां बनाने में काफी कठिनाई होती है। ऐसी दशा में चकबन्दी के समय नालियों की भी व्यवस्था करने के लिये आदेश दिये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं है। उन्हें राशन कार्ड बनाकर सस्ते भाव पर खाद्यान्न प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है।
श्री नाथूराम शिक्षक	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किंतु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों की चर्चा नहीं की है : (१) जिला इलाहाबाद के पश्चिमी क्षेत्र द्वाबा के औद्योगिक विकास क्षेत्र में पानी तथा बिजली पहुंचाने की किसी योजना का उल्लेख नहीं किया है। (२) भूमिहीन ग्रामवासियों को भूमि दिलाने के लिये किसी ठोस कार्यवाही के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है। (३) अन्धाधुन्ध आग्नेय शस्त्रों के लाइसेंस बांटने के कारण डाका, कत्ल तथा चोरी में वृद्धि को रोकने के लिये किसी भी व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	(४) पुलिस के अप्रभावी प्रशासन को ठीक करने की किसी समुचित योजना का उल्लेख नहीं किया है ।
	(५) भूमिहीन हरिजन प्रायः अत्यन्त छोटे-छोटे मकानों में रहते हैं और उनके मकानों के चारों ओर कृषि हो रही है। उनके निवास व बिकास के लिये कोई उचित व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है ।"
श्री सुखदेवप्रसाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किंतु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों की चर्चा नहीं की :
	१—राज्यपाल महोदय ने गोंडा जिले के संबंध में जो कि अत्यन्त पिछड़ा है, भुखमरी, महंगाई तथा गरीबी जहां घर किये है, उसके विकास हेतु तथा हरिजन व पिछड़े वर्ग एवं थारुओं की दशा सुधारने हेतु किसी योजना का निर्देश नहीं किया है।
	२—औद्योगिक झगड़ों को निपटाने हेतु कोई कानून बनाने का निर्देश नहीं किया है ।
	३—देश में कम्युनिस्ट (दक्षिण पन्थी एवं बामपंथी) 'राष्ट्र विरोधियों को जेल में बन्द करनें के संबंध में कोई संकेत नहीं किया।
	४—गोंडा जिला भारतवर्ष का उत्तरी एवं प्रारंभिक शिरा है और अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ होने के बावजूद वहां पर खेती की सिंचाई आदि के संबंध में, जहां राजकीय नलकूप की परम आवश्यकता है, कोई संकेत नहीं किया ।
	५—अन्य प्रदेशों के जिलों में गन्ने की कीमत ३.०० प्रति मन है उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में कीमत एक सी करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया जबकि शकर उत्पादन का प्रतिशत एक सा है ।"
श्री खेमचन्द्र तथा श्री भगवान दास यादवेन्दु ।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित संयुक्त कर दिया जाय : "किंतु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में :
	१—भयंकर कर वृद्धि को रोकने,
	२—अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन में महंगाई का ध्यान रखते हुये, समुचित वृद्धि करने,
	३—अप्रशासकीय अपव्यय एवं अनियमितताओं को रोकने,
	४—आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों, जखीरेबाजों और काले बाजार को नियंत्रित करके जनहित में समुचित सरकारी उपायों द्वारा जन-शांति लाने,
	५—भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के दैनिक वेतन संबंधी समुचित कानून बनाने या "मिनिमम वेजेज ऐक्ट, १९४८" को इस प्रकार के एवं अन्य सभी श्रमिकों के हित में लागू करने,
	६—व्यापक भ्रष्टाचार को रोकने,
	७—पिछड़े वर्गों की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नति के लिये समुचित राजकीय प्रयासों,
	८—अनुसूचित जातियों के "रिजर्वेशन" को सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों से १८ प्रतिशत के कोटे तक सन् १९७० तक पूरा करने,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	९—भूमिहीन कृषकों को, सरकारी सीलिंग से बची भूमि, कृषि योग्य बेकार, नहरों के किनारे की भूमि को वितरित करके उत्पादन-वृद्धि करने के संबंध में, १०—अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जातियों के साथ होने वाले अपमानजनक दुर्व्यहार को रोकने, ११—जन-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा संबंधी कमी और सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी को दूर करके स्वास्थ्यता और स्वच्छता बढ़ाने, १२—गल्ले की समुचित व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा अधिक प्रभावी कदम उठाने, १३—स्वर्णकारों को पुनर्व्यवसाय या अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर उनकी जीविका कमाने के योग्य बनाने, १४—शिक्षकों के कम वेतन में वृद्धि करके शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने, और १५—अपराधों की वृद्धि को रोकने के लिये सरकारी सशक्त प्रयासों के संबंध में, समुचित जिक्र नहीं किया ।"
श्री शिब्बनलाल सक्सेना, श्री यादवेंद्रसिंह, श्री नरसिंहनारायण पांडेय तथा श्री दुर्योधनप्रसाद ।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : खेद है कि उसमें निम्नलिखित विषयों का वर्णन नहीं है : (क) यह कि गोरखपुर तराई जैसे पिछड़े क्षेत्र में नेपाल की सरहद पर स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर कालेज, महाराजगंज के संबंध में गोरखपुर मुंसिफ और सिविल जज के इन्जन्कशन के व कानून मंत्री श्री अलीजहीर की उस इंजन्कशन के संबंध में दी हुई सम्मति के बावजूद कालेज के सही निर्धारित मैनेजर को ५ माह बीत जाने पर भी अब तक सरकारी ग्रांट न देने की निन्दा नहीं की गई है । (ख) यह कि उपरोक्त अन्याय के फलस्वरूप गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक कालेज के अध्यापकों को पिछले चार मास से वेतन नहीं मिला है जिसके फलस्वरूप उन्होंने ११ मार्च से अनशन करने का नोटिस दिया है जिससे भयावह स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है । (ग) यह कि उपरोक्त कालेज के इंटरमीडिएट की इस साल की परीक्षा के १३६ परीक्षार्थी होने पर भी गणेश शंकर विद्यार्थी कालेज को इंटर परीक्षा का केंद्र बनाने की प्रार्थना पर निर्णय नहीं हुआ है । (घ) यह कि जहां बरेली से अमीनगांव तक जो सड़क बनाने का जिक्र है वहां उस सड़क से उत्तर सीमा को मिलाने वाली सड़कों को बनाने का कोई जिक्र नहीं है । (ङ) यह कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर व आजमगढ़ के अतिरिक्त गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, गोंडा व बहराइच जिलों को पटेल आयोग ने पिछड़े जिलों में शामिल नहीं किया है । (च) यह कि परतावल-कंपियरगंज-सोनौरा सड़क, जो बिहार से देवरिया जिले में पड़रौना-कप्तानगंज-परतावल सड़क

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	को मेंहदावल-बस्ती से मिलाती है उस सड़क को तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाने का जिक्र नहीं है । (छ) यह कि चीनी मिल मजदूरों के १०,००० मामले जो वेज बोर्ड के अनुसार दिये गये ग्रेडों पर की हुई उज्रदारी के संबंध में हैं, उन्हें दाखिल दफ्तर कर दिया गया है और उनका चार साल बीतने पर भी अभी तक निर्णय नहीं हुआ । विशेषकर धुघली चीनी मिल मजदूर यूनियन के लगभग सौ विवाद मिल मालिक और यूनियम द्वारा पंचायत मानने की रजामन्दी देने पर भी दाखिल दफ्तर कर दिया है । (ज) यह कि इस साल का चीनी मिल मजदूरों का बोनस बोनस-कमीशन रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया गया है । (झ) यह कि सहजनवा जूट मिल के मजदूरों का जूट वेज बोर्ड के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है ।
श्री सूरजलाल गुप्त वकील	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित बातों की चर्चा नहीं की : १—गोंडा जिला जो बहुत ही पिछड़ा जिला है और बेरोजगारी भुखमरी तथा गरीबी की सीमा पार कर चुका है परन्तु इस जिले के विकास तथा औद्योगिक विकास का कोई सुझाव नहीं दिया है । २—गोंडा जिले का केंद्र गोण है । यहां पर कोई डिग्री कालेज नहीं है इस ओर भी महामहिम राज्यपाल ने कोई सुझाव नहीं दिया है । ३—उत्तरौला से गोंडा, उतरौला से मनकापुर की सड़कों की दशा चिन्तनीय है जिन पर सरकारी बसें बहुत अधिक समय लेती हैं और शीघ्र ही क्षतिग्रस्त होने से सरकार का बहुत नुकसान होता है तथा जनता के लिये सड़कें बड़ी दुखदाई प्रतीत होती हैं । इनके सुधारने के लिये कोई सुझाव नहीं दिया है । ४—उतरौला से तुलसीपुर जाने वाली सड़क की दशा अत्यन्त शोचनीय है । यह सड़क सुरक्षादृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु उतरौला से गोरा चौराहा तक जिला परिषद् की सड़क है जो कच्ची है इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग में परिवर्तित करके पुनः निर्माण करने की घोषणा नहीं की है । ५—उतरौला, जिला गोंडा करीब ५०० वर्गमील से अधिक में कोई महिलाओं के लिये चिकित्सालय न होने के कारण महिलाओं को अत्यन्त कष्ट उठाने पड़ते हैं तथा अनेक बच्चे व महिलाओं को मौत का सामना करना पड़ता है । उतरौला में कोई महिला चिकित्सालय खोलने की घोषणा नहीं की है । ६—उत्तर प्रदेश में महंगाई अधिक बढ़ जाने के कारण सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम महंगाई भत्ता दिये जाने की कोई घोषणा नहीं की है । ७—खाद्य पूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों को जो १५ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवा को स्थायी किये जाने की घोषणा नहीं की ।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	८—तरबगंज तहसील, जिला गोंडा जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है और लगातार दो फसलों के क्षति ग्रस्त हो जाने के कारण से इस क्षेत्र में भुखमरी व्याप्त है इस पर भी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार और अनियमित रूप से लगान तथा तकावी की वसूली बरबरता पूर्वक करने से जनता में बहुत ही असन्तोष है उसके निराकरण का कोई उल्लेख नहीं किया ।
	९—बुढ़वल और जरवल के बीच में घाघरा नदी पर कोई सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कोई पक्का पुल न होने की वजह से यातायात में बड़ी असुविधा होती है । यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है । घाघरा नदी पर पुल बनवाने की कोई घोषणा नहीं की गई है :
श्री लखपतराम शर्मा—	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जांय :—
	दुख है कि जनहित में राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित बातों की चर्चा नहीं की ।
	१—प्रदेश में एक ओर गम्भीर खाद्य संकट और दूसरी ओर आये दिन बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में सरकार पूर्णतया असफल रही है ।
	२—भ्रष्टाचार जिस प्रकार प्रदेश में चारों ओर आये दिन बढ़ रहा है उसे रोकने के स्थान पर यहां तक कि न्यायालयों तक से फौजदारी के गम्भीर मुकदमों तक को वापस ले लिया जाता है और अपराधियों की रक्षा की जा रही है किन्तु राज्यपाल महोदय ने इस प्रकार के निन्दनीय कार्यों के लिये निन्दा-स्वरूप दो शब्द भी नहीं कहे हैं ।
	३—प्रदेश की गरीब जनता पर बड़े पैमाने पर निरन्तर टैक्सों का बोझ लादा जा रहा है और दूसरी ओर भोजन व रोजगार दिलाने में भी सरकार अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने में पूर्णतया असफल हुई है, जिस पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया ।
	४—राज्य कर्मचारियों की बढ़ती हुई महंगाई में उनके वेतनों में आवश्यक वृद्धि पर सरकार की चुप्पी पर कोई आलोचना नहीं की गई ।
	५—शिक्षक वर्ग व स्वर्णकारों की दशा तथा मध्यम वर्ग के लोगों की उन्नति हेतु कोई ध्यान, जो आवश्यक था, नहीं दिया गया ।
	६—प्रदेश में जिस प्रकार नगरपालिका के अध्यक्ष पदों के चुनाव में अनेक जगह खुले रूप में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुये, पर जनहित में कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया ।
	७—प्रदेश की ग्रामीण जनता को एक रुपया प्रति परिवार से वह भी कुछ मात्रा में ही राशन देकर जिस प्रकार उसके जीवन से खिलवाड़ की जा रही है पर ध्यान नहीं दिया गया ।
	८—बुन्देलखण्ड पिछड़ा व गरीबी से घिरा होने पर भी उसकी उन्नति के लिये कोई विचार नहीं रखे गये यहां तक कि मेडिकल कालेज का खुलना जो वहां आवश्यक है, पर भी ध्यान नहीं दिया गया ।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	९—प्रदेश की जनता पर जब कि वह हर प्रकार के टैक्सों का बोझ वहन कर रही है उसके उपरान्त भी भूमि-भवन कर टैक्स जो और बढ़ा दिया गया है, को वापस न लिये जाने का जिक्र न करना जन-जनार्दन के हृदय को ठेस पहुंचाना है।
	१०—प्रदेश में जिस प्रकार बड़े पैमाने पर आये दिन की आवश्यक वस्तुओं पर जिस प्रकार ब्लैक चल रहा है, को शीघ्र रोकने व ब्लैक मार्केटों के प्रति कठोर कार्यवाही किये जाने पर ध्यान नहीं दिया गया।
	११—माता टीला बांध व जामनी बांध व इर्रीगेशन वर्कशाप, झांसी में जिस प्रकार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार इत्यादि हुये हैं, उनका उल्लेख विधान सभा में होने के उपरान्त व लिखित शिकायतें दिये जाने के बाद भी अपराधियों के प्रति कठोर कार्यवाही न की जा कर जिस प्रकार उनकी रक्षा की जा रही है, पर भी राज्य-पाल महोदय ने ध्यान देना उचित नहीं समझा।
	१२—प्रदेश में जिस प्रकार सत्ताधारी दल में जनता के संकट के समय में भी आपसी दलबन्दी का महाभारत बड़े पैमाने पर चल रहा है, उसपर निन्दा न करना जो आवश्यक था जनता की पवित्र भावना को ठेस पहुंचाना है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से जनता को यह आशा थी कि वह दलबन्दी में पड़े वर्तमान मन्त्रि-मंडल से जनहित में उससे त्याग-पत्र दिलाकर जन-अधिकारों की व जन-तन्त्र की रक्षा करेंगे।
श्री ऊदल—	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—
	किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित बातों की चर्चा अपने अभिभाषण में नहीं की :—
	१—यह कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के १५ जिलों के विकास हेतु जो पटेल आयोग की नियुक्ति की गयी थी और उसने चार जिलों गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर की जांच की और उसके संबंध में रिपोर्ट भी दी। जबकि सरकार की तरफ से बार-बार कहा गया था कि इन चार जिलों को आधार मान कर सारे पूर्वी जिलों बलिया, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद के विकास हेतु एक वृहद् योजना बनायी जायगी। परन्तु आज तक चार जिलों को छोड़ कर और जिलों के विकास हेतु कोई कार्य-क्रम तैयार नहीं किया गया। इस तरफ महामहिम ने कोई संकेत नहीं किया।
	२—वाराणसी जिले की वाराणसी तहसील में कुछ महत्वपूर्ण कच्ची सड़कें हैं जिन पर सवारी बसें भी चलती हैं और उनकी लम्बाई भी काफी है उनकी तरफ १५ अगस्त, १९४७ से आज तक ध्यान नहीं गया। सड़कों के अभाव में यह क्षेत्र एक दम पिछड़ा हुआ है। इसमें भोजु बीर वाराणसी से सिधौरा होते हुये केराकत जाने वाली सड़क (२) बावतपुर हावई अड्डे की चौमुहानी से बसनी, ताड़ी नेवादा होते हुये जमालापुर तक जाने

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	वाली (३) बसनी से बड़ा गांव अनेई, कालिका धाम होते हुये तमाचाबाद जाने वाली सड़क (४) मीराशाह से कठिरांव होते हुये मड़ियाहूं जाने वाली कच्ची सड़क (५) पंचकोशी सड़क। इन सड़कों की दशा बहुत ही दयनीय है। इनको सार्वजनिक निर्माण विभाग को देकर इन सड़कों को पक्का बनाने हेतु महामहिम राज्यपाल ने कोई सुझाव नहीं दिया। ३—वाराणसी जिले में बाबतपुर एरोड्रोम से बसनी, बड़ा-गांव-अनेई होते हुये तमाचाबाद जाने वाली सड़क में कालिकाधाम में वरुणा नदी पड़ती है यहां एक बड़े पुल की आवश्यकता है जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाने हेतु जिला परिषद्, वाराणसी ने अर्सा १० वर्ष से प्रयत्न किया, लेकिन बना नहीं। इसके लिये भी महामहिम राज्यपाल ने कोई सुझाव नहीं दिया।"
श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—	प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में राज्य के नागरिकों में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता को दूर कर आय की सीमा का अनुपात १: १० निर्धारित करने की घोषणा नहीं की।
श्री हिम्मतसिंह, श्री जगन्नाथ राव, श्री श्रीराम, तथा श्री विपिनबिहारी तिवारी—	प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य के प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और सामाजिक न्याय आदि प्राथमिक आवश्यकताओं की गारन्टी देकर उसके सर्वांगीण विकास के लिये निर्धारित कार्य-क्रमों के अविलम्ब लागू करने की घोषणा नहीं की।
श्री बेदराम—	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जावे :— किन्तु खेद है कि श्र राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न की चर्चा नहीं की :— १—किन्तु सोरों, जिला एटा जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट तीर्थ स्थान है वहां की एलोपैथिक डिस्पेन्सरी का प्रान्तीयकरण करने का उल्लेख नहीं किया। २—किन्तु सोरों जैसे पवित्र तीर्थ स्थान के घाटों के निर्माण का कहीं उल्लेख नहीं किया। ३—विकास खंड, सोरों, जिला एटा के नलकूप लगाने का उल्लेख अपने भाषण में नहीं किया। ४—सोरों, जिला एटा के मास्टर प्लान बनाने का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। ५—सोरों, जिला एटा में जच्चा-बच्चा (जनाना अस्पताल) खोलने के सबंध में कोई संकेत नहीं किया। ६—जिला एटा में आई० टी० आई० कालेज खोलने के संबंध में कोई संकेत नहीं किया। ७—सोरों, जिला एटा में कोई इन्टर कालेज खोलने के संबंध में कोई निदेश नहीं दिया।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	८—सोरों, जिला एटा में सोरों से सहावर सड़क बनाने के संबंध में कोई निदेश नहीं दिया । ९—विकास क्षेत्र सोरों के अन्तर्गत आने वाले बांध आदि के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया । १०—सोरों ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले कुष्ठरोगी अस्पताल विकसित करने का उल्लेख नहीं किया । ११—सोरों विकास खंड के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में विद्युतीकरण करने का उल्लेख नहीं किया । १२—लड़कियों के लिये हाई स्कूल तक की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की घोषणा होने के बाद भी स्कूल द्वारा बराबर शुल्क वसूल किये जाने पर स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की घोषणा नहीं की ।
श्री मन्नालाल--	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में :— १—प्राइमरी स्कूल अध्यापकों के वेतन तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि करने, २—हरिजनों को जो कि कीड़ों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं उनके निवास की व्यवस्था करने तथा उन्हें भूमि कृषि के हेतु देने के लिये, ३—ग्रामों में हो रहे गरीबों पर अत्याचारों को रोकने की समुचित व्यवस्था करने, ४—पुलिस के अत्याचारों के कारण ग्रामों में बढ़ती असुरक्षिता को रोकने, ५—प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को घर से ५ या अधिक से अधिक १० मील की दूरी पर रखने के लिये, ६—प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार व भाई बिरादरीवाद तथा अनुचित पक्षपात को रोकने, ७—ग्रामों में मजदूरों तथा भूमिहीन लोगों को जीवन रखने भर का राशन देने की घोषण करने, ८—चुनाव में हो रहे खर्चे को कम करने के बारे में कोई घोषणा नहीं की, ९—सुरक्षित स्थानों को पूरा कराने के लिये संबंधित अधिकारियों को ठोस कदम उठाने के लिये, १०—हाई स्कूल तक सभी छात्रों की शिक्षा निःशुल्क करने के लिये, कोई घोषणा नहीं की ।]

श्री उग्रसेन--

अब हमारा नम्बर है बोलने का हमें बोलने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं ।

श्री उग्रसेन—

नेता विरोधी दल के बाद हमारा ही नम्बर है और यही परम्परा पिछली रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह परम्परा नहीं है। पहले कांग्रेस के सदस्य बोलेंगे फिर आप बोलेंगे।

श्री उग्रसेन—

आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं आप तो हमें टोटे में डाल रहे हैं। अब आप हमें बोलने का मौका दें।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के भाषण पर.....

श्री उपाध्यक्ष—

एक समय के बारे में मैं और अर्ज कर दूं। दलों के नेताओं के लिये २० मिनट होंगे और बाकी सदस्यों के लिये १०-१० मिनट होंगे।

श्री उग्रसेन—

जो संशोधन पढ़ने में समय लगेगा, उसका क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष—

वह उसी दिये गये समय में रहेगा।

श्री फूलसिंह—

माननीय नेता विरोधी दल ने दो बातें महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में कहीं। एक तो यह कि इस सम्बोधन में कोई आशा की झलक नजर नहीं आती और दूसरे यह कि इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिये। मेरी नजर में महामहिम राज्यपाल महोदय इसी कारण धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने देश की जैसी स्थिति थी उसका सही चित्रण किया है। जब वह दूसरा युद्ध शुरू हुआ और विलायत में अंग्रेज पर संकट आया और चर्चिल को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया.....

श्री शारदाभक्तसिंह—

तो आप चर्चिल को फिर लाना चाहते हैं?

श्री फूलसिंह—

तो उस समय चर्चिल ने अपने पहले भाषण में यह कहा कि "आई कैन आफर यू टियर एण्ड ट्रबुल।" उसने कहा कि मैं आप लोगों को केवल आंसू और मशक्कत ही दे सकता हूं। जिस स्थिति में आज हमारा देश है वह एक बहुत बड़ी आपत्ति का समय है। जो समय गुजर चुका, उससे शायद खराब समय इस लेजिस्लेचर के इतिहास में न आये और अगला समय में भी बहुत बड़ी आशा नहीं बंधती कि हम बहुत अच्छे समय में चले जायेंगे—वह भी बड़ा कठिन समय है। बहुत कठिन समय पर भी भिन्न-भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरह से पेश आया करते हैं। कुछ लोग तो कठिनाई देख कर भाग जाते हैं, कुछ रोना शुरू कर देते हैं और कुछ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं—

श्री शारदाभक्तसिंह—

कुछ लोग मस्ती काटने लगते हैं।

श्री फूलसिंह—

और जो बहादुर लोग होते हैं वह कमर बांध कर खड़े हो जाते हैं। जिस समय १९३० का आन्दोलन कांग्रेस ने शुरू किया तो सरदार पटेल ने कहा था लोगों से कि जिन जिन को डर लगता है मुसीबत से और मुल्कों में चले जाओ, यहां तो मुसीबत भोगनी होगी और सख्ती का मुकाबला करना होगा। मेरा निवेदन है कि यह समय कमर बांध कर खड़े होने का है, सब लोग कमर बांध कर खड़े हों और इस स्थिति का मुकाबला करें। इस भाषण के समय इस सदन में जो हुआ उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया। हाउस में उन साथियों से मेरा निवेदन है कि जरा सोचें कि जो उनका ध्येय था तो क्या जो कुछ उन्होंने किया उससे कुछ पूरा हुआ? और अगर नहीं पूरा हुआ तो फिर सोचने की बात है कि और कौन रास्ता अपनाना चाहिये। मेरे नजदीक उनका रवैया राज्यपाल के खिलाफ नहीं था इसलिये राज्यपाल को उसमें लाने की आवश्यकता नहीं थी।

इस सम्भाषण में, ३, ४ बातें हैं जो मुख्य हैं। पहली तो यह कही गयी कि होर्डिंग और प्रोफीटियरिंग के खिलाफ सरकार बराबर कदम उठाती चली आयी। मेरी समझ में यह बात शायद ठीक नहीं है। इसका मुकाबला सरकार नहीं कर सकती है यह बात माननी चाहिये। इसका इलाज शायद जो केन्द्रीय सरकार करने जा रही है वह ठीक होगा। व्यापारी वर्ग ने सहयोग नहीं दिया इसलिये व्यापार को उनके हाथ से लेना पड़ेगा। पर यह कहना सही नहीं है कि हमने कोशिश की और कामयाब हुए। कामयाब नहीं हुए।

दूसरी बात हरिजनों के सम्बन्ध में है। उनकी जो सीटें १८ परसेंट सुरक्षित थीं अब उसको बढ़ा कर ४५ और २५ प्रतिशत कर दिया गया है क्रमशः निम्न श्रेणी और लिपिकों के लिये। मेरे खयाल से इससे कोई इलाज नहीं होगा। समस्या परसेंटेज कम या ज्यादा होने की नहीं थी बल्कि यह थी कि जो परसेंटेज था वह पूरा ही नहीं होता। तो परसेंटेज बढ़ाने से कोई इलाज नहीं होगा। उसका इलाज दूसरा है। आज अगर कोई मुसलमान अफसर है तो चपरासी मुसलमान ही रखता है, पंडित है तो पंडित ही को रखता है। हरिजन का कोई रखने वाला नहीं है। मेरे खयाल से हरिजन अधिकारी भी हरिजन को अपने यहां चपरासी नहीं रखेगा। कायदा यह होना चाहिये कि निम्न वर्ग में जब तक हरिजन कोई उम्मीदवार है तब तक और कोई न लिया जाय। इसी तरह से लिपिकों में भी यह बात किसी हद तक हो सकती है। बहरहाल यह कायदा क्यों नहीं बन जाता, क्या वजह है कि जगह खाली होते हरिजन नहीं लिया जाता। पर यह समस्या थोड़े से हरिजनों की है। उनकी खास समस्या यह है कि उनके रहने के लिये जगह नहीं है। जिस कोठे में वह पहले रहता था आज भी उसी में अपने दो-तीन भावी पीढ़ी के साथ रहता है और इसी में उसके जानवर भी रहते हैं। महाराष्ट्र ने इसका इलाज किया है। कहा गया कि ११ फीसदी हरिजनों की हाउसिंग स्कीम पूरी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप लोग जांच करें तो पायेंगे कमेटी में जो आदमी थे उनके रिश्तेदारों के ही मकान बने होंगे, हरिजनों के नहीं। आज हरिजनों को कोई पूछने वाला नहीं है। महाराष्ट्र ने हरिजनों को जमीन दी। हर जिले में अफसर मुकर्रर करे कि जहां जहां आबादी कम है फौरन जमीन ऐक्वायर करके हरिजनों को मकान बनाने के लिये दे दो। इसी तरह यहां पर भी हाउसिंग स्कीम होना चाहिये।

एक चर्चा और है। वह है अन्न की। इसकी दो तरह से चर्चा है। एक तो भाव मुकर्रर हुए और अनाज बाजार में नहीं आया। मैंने कृषि विभाग से लिख कर पूछा कि सरकार के जो फार्म हैं उन पर क्या कीमत पड़ती है पैदा की? क्या खर्च पड़ता है फी मन बाजरा और मक्का पर? जो खर्च आया सरकार ने उससे भी कम भाव मुकर्रर किया। कानून चले कैसे? अगर कानून ऐसा बना दें जिसमें एक परसेंट अमल हो सके तो फिर उस पर कोई अमल नहीं करेगा। कानून ऐसा बनाओ जिस पर कोई अमल करने की रुचि रखे। ऐसे एक सेमीनार हुई थी पूना में १९६१ में दुनिया भर के लोग उस सेमीनार में आये थे। दुनिया भर की बातें उसमें हुई। उस सेमीनार में यह बात आई कि अगर एक टन खाद डालें बाजरे में या मक्के में तो जितनी कीमत

[श्री फूलसिंह]

एक टन खाद की है उससे दुगुना अनाज की कीमत हो जाती है और गन्ने में अगर एक टन खाद डालें तो ५ गुनी कीमत का गन्ना और पैदा होता है। तो आप सोचिये कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक रुपये में ५ रु० मिले। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हम रासायनिक खाद का भी केवल ५० प्रतिशत टारगेट पूरा कर पाते हैं।

जो समस्या खाद की है वही पानी की भी है। पानी पर अभी तक यह थ्योरी थी कि पेड़ के पौदों पर जितना रकबा होगा उतना ही पानी की आवश्यकता उस पेड़ में होगी, मगर अब यह थ्योरी भी कायम नहीं रही है और यह सिद्ध हो गया है कि कैश क्राप में पानी देना ज्यादा लाभदायक है। इसलिए सारा का सारा खाद और अधिकांश पानी कैश क्राप के उपयोग में आता है। पिछले ११ सालों के आंकड़ों को देखने से भी यह ज्ञात होता है कि कैश क्राप का प्रोडक्शन फूड क्राप में कहीं ज्यादा पड़ा है। प्राइस इंडेक्स में भी अगर आप देखें और सन् १९४८ के प्रोडक्शन को १०० मानें तो सन १९४८ से सन् १९६४ तक एग्रिकल्चरल प्राइसेज का इंडेक्स कभी १०० पर नहीं पहुंचा और नान-एग्रीकल्चरल प्राइसेज का इंडेक्स कभी १०० से नीचे नहीं गया। सितम्बर, १९६४ में भी एग्रिकल्चर प्राइसेज का इंडेक्स १२३ था और नान-एग्रीकल्चर प्राइसेज का इंडेक्स १४७। इससे यह सिद्ध होता है कि किसान को कैश क्राप के कीमती होने के बावजद भी उतना नफा नहीं है जितना नान-एग्रिकल्चरल चीजों की पैदावार की नफा है।

शंकर को ले लीजिये, दुःख है कि शकर का भी राशनिंग करें। किसको आप शुगर देते हैं? जो किसान उस शुगर को पैदा करने वाले हैं, वे आज शुगर से तरस रहे हैं। शुरू में ही मेरी राय थी कि राशनिंग को तोड़ दिया जाय। एक्सपोर्ट करना गल्ती है। शुगर जो है उसको बाहर भेजा जाय और अनाज बाहर से मंगाया जाय। दो तीन चीजें और हैं जो बहुत डिफिकल्ट हैं। जो इनकम का इंडेक्स है वह हाइएस्ट इन्डेक्स कभी सन १९५५ में नेशनल इन्कम पर कैपिटा का था। आप लोग तो लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। इस समय हमारे देश और प्रदेश की दशा बहुत ही खराब है। इसलिए इन सब लड़ाई झगड़ों के मामलों को छोड़ कर रिथिन्किंग की जरूरत है। हमें यह भी सोचना है कि किन-किन चीजों का एक्सपोर्ट करें और किन का न करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री उग्रसेन--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नेता विरोधी दल ने जो संशोधन इस प्रस्ताव में रखे हैं, मैं समझता हूं कि उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और उनको पढ़ा हुआ माना जायेगा।

श्रीमन, महामहिम राज्यपाल ने इस सदन में जो अभिभाषण दिया उस पर अभी सरकारी पक्ष के लोगों के भाषणों को भी सुना। उनके भाषणों से ऐसा प्रतीत हुआ कि यह भावात्मक हो गया है। किसका मान हुआ, किसका अपमान हुआ, यह मसला किसी माननीय हाई कोर्ट के जज को दे दिया जाय जो इस पर विचार करे कि हमने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया या महामहिम के विरुद्ध किया। महामहिम ने अपने सम्बोधन में कहा है कि सन् १९५० के बाद इस मुल्क में योजनाएं चली हैं। जो नतीजा इन योजनाओं से हुआ है वह इस प्रकार से है :

	सन् १९५० में		सन् १९६५ में
गेहूं	३ सेर प्रति रुपया	..	४ पाव प्रति रुपया
दाल	२ सेर प्रति रुपया	..	१/२ सेर प्रति रुपया
गुड़	४ सेर प्रति रुपया	..	१ सेर प्रति रुपया
घी	१ पाव प्रति रुपया	..	१/२ पाव प्रति रुपया
दूध	१ १/२ सेर प्रति रुपया	..	१ सेर प्रति रुपया
चीनी	१ १/२ सेर प्रति रुपया	..	२ पाव प्रति रुपया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह तो योजनाओं का फल है। हमारी आमदनी उस समय क्या था और अब क्या हो गयी है। प्रदेश में जो अकाल आया हुआ है वह बादलों की बदतमीजी से नहीं आया हुआ है बल्कि माननीया सुचेता जी और नेगी साहब के ही कारण से आया हुआ है।

चारों तरफ भुखमरी फैल रही है। तो रोज रोज गला घोट कर मरना अच्छा नहीं है, आपके राज्य में। आज हालत यह है कि १ लाख ५ हजार टन सस्ते गल्ले की दूकानों को गल्ला देने की बात कही गयी थी। ६८ हजार टन गेहूं आटा मिलों को देने को कहा गया था और ३० हजार टन महानगरियों को देने क. कहा गया था और कहा गया कि एक भी आदमी भूख से नहीं मरने दिया जायगा, लेकिन ५१ आदमी पूर्वी जिलों में भूख से मर गये। ३ तो माननीय सुचेता जी के क्षेत्र में ही मर गये और माननीय हरिश्चन्द्र जनसंघ के नेता इसके गवाह हैं। १ लाख ५ हजार टन से ८०, ९० हजार टन गेहूं का कोटा हो गया। ६८ हजार टन जो आटा मिलों को दिया जाने को था वह आधे से भी कम हो गया और महानगरियों को जो ३० हजार टन दिया जाने को था वह २० हजार टन हो गया। हमको नेगी साहब तथा सुब्रमण्यम साहब के झगड़े में दिलचस्पी नहीं है, हम को तो रोटी चाहिये। रोटी अगर नहीं मिलेगी तो इस प्रदेश तथा मुल्क में बगावत होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। न गुप्ता जी, न त्रिपाठी जी और न जनसंघ के नेता उसे रोक सकेंगे।

आज हमारी हालत क्या है उसे गांव में चल कर देखिये। बाजार से गल्ला गायब है। देवरिया में ५ आदमी गिरफ्तार हुए डी० आई० आर० में, लेकिन मैजिस्ट्रेट को २० हजार रुपया रिश्वत दे कर छूट गये हालांकि कलेक्टर ने कहा था कि जमानत मत लेना। तो कौन चीन के दलाल हैं जो व्यापारियों से घूस लेकर छोड़ देते हैं या जो सरकार का विरोध करते हैं? इस भूख की लपट में आम की फसल भी नहीं हुई जो गुठली खाकर लोग बसर कर लेते। बम्बई की हड़ताल के सम्बन्ध में पता चला कि ऐसी बात नहीं है। कई लाख टन गल्ला आता है और बम्बई बन्दरगाह पर बहुत कम उतरता है। अब कहा जाता है कि अमेरिका के बन्दरगाह पर हड़ताल हो रही है। यह क्या तमाशा है? किसान ने खाद मांगी तो उसको इस वर्ष खाद भी नहीं दी गयी। किसान कहता है कि उसको मिक्शचर नं० १ दिया जाय तो उससे कहा जाता है कि नं० ३ ले लो। बेजड़ का बीज मांगा गया तो एक ब्लाक में ४, ५ किलो भेज दिया गया। फिर कहा गया कि पंजाब से गेहूं का बीज आया है उसे भी लौटा दिया गया और अब उसे बाजारों में बेंचा जा रहा है। पानी की यह हालत है कि सिंचाई हो या न हो, लेकिन उसका रुपया वसूल कर लिया जायगा। देवरिया जिले के सारे ट्यूबवेल्स खराब हैं। रोज लड़ना अच्छा नहीं होता और बैजनाथसिंह भी कहते हैं कि उग्रसेन को दूसरा काम नहीं, लेकिन कमंडल लेकर चला भी जाऊं तो दूसरा विकल्प नहीं।

कृषि का उत्पादन देखिये। नेगी साहब के आंकड़े हैं ९९.९० लाख टन जो इस प्रकार हैं :—

	सन्	लाख टन
रबी ..	१९६१–६२	८६.७९
	१९६२–६३	७५.४३
	१९६३–६४	६०.७५
गेहूं ..	१९६०–६१	४८.८२
	१९६१–६२	४०.७९
	१९६२–६३	३१.६०
	१९६३–६४	२६.२७

पैदावार कम हो गई। इसके बाद सहारनपुर में हमारे पास कुछ चावल था। लेकिन ४ हजार बैगन फूड कमिश्नर ने गुजरात को भेज दिया। इसके बाद हमारी बेजड़ मध्य प्रदेश में चली गई। हमारे गोदाम खाली हो गये और हमारे नेगी साहब चिल्लाते रहे कि हम किसी

[श्री उग्रसेन]

को भूख से मरने नहीं देंगे। जखीरेबाजों की बन आई। उन्होंने कहा कि हम दो छटांक का बेचेंगे। हमने सत्याग्रह किया और उसके फलस्वरूप १०,५ आदमी गिरफ्तार भी हुये लेकिन बाद में छूट गये। यह हमारी खाद्य समस्या है। हम हल्ला करते हैं तो उल्टे डंडे मारते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, "हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती"। एक तो बहादुर की औरत जो ३१/३२ साल की थी वह भूख से मर गई, दूसरी आम की गुठली भी खाने को न मिल सकने के कारण धनमाती मर गई और तीसरे एक विधवा जो ५० वर्ष की थी, जिसके एक लड़का था वह भी बाहर चला गया, वह मर गई। जनसंघ के नेता माननीय हरिश्चन्द्रसिंह जी वहां गये थे और उन्होंने सब का बयान लिया। आप चलिये, मैं आपको बयान दिलवा दूं। माननीय हुकुमसिंह जी को दिला दूं, गोविन्द-सहाय जी को दिला दूं, लेकिन जब मुख्य मंत्री जी जाती हैं तो कमिश्नर साहब कह देते हैं कि कोई नहीं मरा और वह लौट आती हैं।

मैं १२ जनवरी को माननीय कैलाशसिंह कुशवाहा के यहां गया था और रात को लौटा था। मेरे क्षेत्र में बरहज में, गोरखपुर के कमिश्नर श्री मित्रा थे, उनके दौरे में नाच हुआ। जब मुझसे यह कहा गया तो मैंने कहा कि तुमने आग क्यों नहीं लगा दी? यह हालत है कि कमिश्नर साहब नाच कराते हैं और इधर लोग भूखों मरते हैं। मजदूरों की हालत देखिये। बिड़ला अपनी फैक्टरी में मिट्टी से सोना बना रहा है। इस तरह से ४५ लाख रुपये महीने और साढ़े पांच करोड़ रुपये सालाना कमा रहा है। इस फैक्टरी को मजदूरों को क्यों न दे दिया जाय? सीमेंट को लोग मिला कर के बेचते हैं और ब्लैक में बेचते हैं और मजदूरों की कोई बात नहीं पूछता है। आज कपड़ा मजदूर भी रो रहे हैं। दस हजार मजदूरों का कल ही प्रदर्शन हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि मुहब्बत से काम चलने वाला नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के सारे मजदूर एक दिन के लिये काम बन्द कर दें तो यह सरकार सुनेगी। आप की महंगाई बढ़ गई। आपका कुत्ता भी लिहाफ ओढ़ता है। लेकिन इसी सेक्रेटेरियट का चपरासी जब शाम को घर जाता है तो उसके घर में खाने तक को नहीं होता। उसकी बीबी बेचारी परेशान होती है। एक करोड़ ५६ लाख का बोनस हुआ, लेकिन काशीनाथ पांडेय जी ने ६९ लाख में समझौता कराया। जब हम आवाज उठाते हैं तो नजरबन्दी की धमकी दी जाती है। हमने बहुत सी ऐसी धमकियां देखी हैं।

हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि हमारी सीमा पर खतरा बना हुआ है। जो केन्द्रीय सरकार ने सड़क बनाने के लिये अनुदान दिया वह लौटा क्यों दिया गया? जो सड़क बरेली से अमीनगांव तक जाने वाली है, उसकी कार्यवाही क्यों नहीं प्रारम्भ हुई? यह कम्यूनिस्ट बामपंथी करते हैं? यह कम्युनिस्ट बामपंथी गद्दार हैं या यह सरकार गद्दार हैं, यह मैं आपसे पूछता हूं जी। रामायणराय जी इसके साक्षी हैं, हमारे नौगढ़ का चावल है हमारे मंत्री जी हैं खाद्य के, एक नेता किताब है आप देखिये, सदन के सारे लोग देखें, गोंडा बस्ती और गोरखपुर के चावल पर राप्ती पार के चावल को लाने और ले जाने पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया हालांकि चावल होता है राप्ती के पार के क्षेत्रों में, हम क्या खायें और क्या करें? भानुप्रतापसिंह जी कहते हैं कि उनका चावल नहीं बिकता, हम कहते हैं कि हमें चावल नहीं मिलता और यहां मौज मार रहे हैं नेगी साहब। बहराइच में माननीय हुकुमसिंह जी के यहां मकई बहुत होती है, बिकती नहीं। हम कहते हैं हमें मकई द लेकिन नगी साहब हमें वह भी नहीं देते। नौगढ़ में ११५ रुपये बोरी चावल। नौतनवा और बढ़नी का चावल चीन जाता है नेपाल हो कर और मैं कहता हूं कि वह लोग जो चीन को चावल नेपाल के राज्य से होकर भेजते हैं वह कौम के दुश्मन हैं। कितनों को गिरफ्तार किया गया, मैं पूछना चाहता हूं। नेता जी कहते हैं कि कम्युनिस्ट गद्दार हैं, मैं पूछता हूं कि कौन गद्दार हैं, क्या चीन को जो चावल भेजते हैं वह बामपंथी कम्युनिस्ट हैं? आप उनको क्यों नहीं नजरबन्द करने को कहते, क्यों नहीं उनको गोली मारने को कहते?

आपने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबन्ध लगाया जाय । पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगाना बहुत बड़ा अजनतांत्रिक काम है, म इसका घनघोर विरोध करता हूं । आम मांग कीजिये कि जो गद्दार ह चाहे कोई हों उनको गिफ्तार किया जाय । मैं उन चन्द अफसरों को जनता हूं कि जिन्होंने इन लोगों को बस्ती से चावल ले जाने दिया । रामकुमार जी जानते ह, कल्पनार्थसिंह जी से पूछिये, जिन्होंने चावल बेचा चीन को उनको चीन से ट्रांजिस्टर मिला है । लाइसेन्स को बात जब आयी तो चीन के ट्रांजिस्टर को लाइसेन्स कहां से मिलता और तब वह मामला पकड़ा गया, जो ये लोग कलम लाते हैं, फाउंटेनपेन लाते हैं चीन से, ६ रुपये और १० रुपये गज में चीन का बढ़िया कपड़ा बिकता है । आपको उपाध्यक्ष महोदय, कलम चाहिये तो वहां से उनके जरिये ले सकते हैं । मैं पूछता हूं कि क्या वे कौम के दुश्मन नहीं हैं ? ये वही लोग हैं जो बिड़ला, टाटा, सूरजमल नागर, खेतान, जयपुरिया के एजेन्ट हैं ।

मैं माननीय फूलसिंह जी से कहता हूं कि जब वे मंत्री थे तब खांडसारी पर, राब पर, फी यूनिट २ प्रतिशत और शोरे पर १ प्रतिशत टैक्स लगा था और इस टैक्स के जरिये से १० हजार यूनिट पर ४५ हजार रुपया सालाना टैक्स लगाकर घरेलू उद्योग धंधे का तो आपने कचमर निकाल दिया । बेकारी की हालत क्या है ? आज देवरिया जिले के लोग आसाम भागे जाते हैं रोटी के लिये और जब हम विरोध करते हैं तो हमें कम्युनिस्टों का एजेन्ट कहा जाता है, हमें दुश्मन कहा जाता है । मैं जानता हूं कि मांगने से सरकार इस्तीफा नहीं देगी और इसलिये मैं जनता से कहता हूं कि १ लाख और २ लाख की जनसंख्या में इकट्ठे हो जाओ और इन मंत्रियों को कान पकड़कर निकाल दो, यही हमारी मांग है । इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी ने अपना भाषण इस बार हिन्दी में दिया इसके लिये मैं उन्हें बधाई देती हूं । उन्होंने उस भाषण के द्वारा इस प्रदेश की जनता की उन भावनाओं का आदर किया है और हम जनप्रतिनिधियों की भी भावनाओं का आदर किया है । साथ ही साथ इस राज्य के सबसे वरिष्ट पद पर हो कर हमारे प्रदेश के बड़े से लेकर छोटे सभी कर्मचारियों के सम्मुख उदाहरण उपस्थित किया है कि २६ जनवरी के बाद प्रदेश का सारा कार्य हिन्दी में होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

बातें बहुत हो रही है ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

उन्होंने इसके द्वारा बताया है और हिन्दी भाषा भाषी न होते हुये भी जिस सुन्दरता के साथ उन्होंने भाषण किया है उसके द्वारा उन्होंने एक उदाहरण उपस्थित किया है आई० ए० एस० आफिसरों और उन अफसरों के लिये जो अपने दिमाग से अंग्रेजी की बू नहीं निकाल पा रहे हैं कि उन्हें हिन्दी में ही सारा काम काज करना चाहिये । हिन्दी में काम करना एक प्रकार से उनकी आज्ञा है और उसका पालन करने के लिये उन्हें बिलकुल अपने दिल से पूरी कोशिश करनी चाहिये, इसका भी पूरा संकेत उनके भाषण से मिलता है ।

अब इस सम्बोधन में राज्यपाल महोदय ने बहुत सी बातों की ओर संकेत किया है । प्रदेश की जनता की जो मांग रही है, हम समझते हैं, सरकार को उसको स्वीकार करना चाहिये, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका उल्लेख नहीं हुआ है । पहले मैं उन बातों के संबंध में निवेदन करना चाहती हूं जिनका उल्लेख राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में किया है । मैं यह कहूंगी कि इसको अमल में लाने के लिये जो प्रशासन की कुन्जी है, जो प्रशासन को चलाने वाले व्यक्ति हैं, विशेषकर जो हमारे राज कर्मचारी हैं उनके ऊपर उन नीतियों के पालन की बात रहती ही है । जिन सिद्धान्तों को हमने यहां पर माना है और जिन कार्यों को करने की ओर

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

संकेत किया गया है वह सही ढंग से हो सके इसको देखने की जिम्मेदारी राज सरकार की होती है ।

कहा यह गया कि अनाज और शुगर की कीमतें बढ़ गईं और साथ ही साथ स्थिति बीच में खराब हो गई और उससे परेशानी बढ़ गई, लेकिन अब कुछ सुधरने की आशा है । मैं यह मानती हूं कि जिस कठिन संकट से हमारा प्रदेश गुजरा और जिस मुस्तैदी के साथ और जिस योग्यता के साथ हमारे आफिसर्स ने इस कठिन परिस्थिति का सामना किया और मुकाबिला किया वह सराहनीय है । इसके साथ-साथ जो यह कहा जाता है कि प्रदेश में भुखमरी हुई या तीन जानें गई जिनका जिक्र उग्रसेन जी ने किया, यह वास्तविकता नहीं है । यह बात नहीं है अखबारों ने भले ही इसको छाप दिया हो । हमारे अफसरों ने बड़ी कोशिश की फिर भी हमको इस बात से सन्तोष नहीं है और अभी स्थिति ऐसी नहीं आई है जिस पर सन्तोष किया जाय । अकाल की स्थिति का एक तरह से लड़ाई की तरह मुकाबला करना चाहिये । यह हम जानते हैं कि प्रदेश के जिन हिस्सों में अनाज नहीं था वहां पर अनाज पहुंचाया गया ।

मैं यह मानती हूं कि अभी हाल ही में इलाहाबाद में जो चुनाव हुआ था उस समय वहां पर काफी परेशानी थी । देहातों में हमको जाने का मौका मिलता था तो वहां पर जनता की ओर से कड़ी आलोचना सुनने को मिलती थी, लेकिन वहां पर दूसरी ओर से हम यह भी कहते सुनते थे कि अगर देश के लिये कुछ कर सकती है तो वह कांग्रेस ही कर सकती है इसलिये हम उसका परिवर्तन नहीं चाहते हैं । इसी कारण इलाहाबाद की जनता ने बहुत बड़े मत से कांग्रेस के कैंडीडेट को जिता कर इस बात को साबित किया कि जनता कांग्रेस के साथ है । कहीं-कहीं हमको यह भी सुनने को मिलता था कि अगर एक छटांक अनाज भी मिले तब भी हम कांग्रेस के साथ रहेंगे । इसलिये जनता ने हमको वोट दिया और हमारी विजय हुई । इसलिये हमको इस बात का गर्व है ।

सम्बोधन में कहा गया है कि उपभोक्ता समितियों ने इस्तेमाल की चीजों की कीमतों में अनुचित वृद्धि को रोकने में सहयोग देने की कोशिश की है । मैं समझती हूं कि हमारी उपभोक्ता समितियों को जिस तरह से संगठित होना चाहिये और जिस पैमाने पर उन्हें काम करना चाहिये वह अभी तक पूर्णरूप से संगठित नहीं की गई हैं और अभी वह इस स्थिति में नहीं पहुंची है कि पूर्णरूप से मदद कर सकें । जहां तक मुनाफाखोरी, जखीरेबाजी और भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रश्न है, मैं इस बात को मानती हूं कि यह भ्रष्टाचार हमारे नीचे के स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक फैला हुआ है, लेकिन साथ ही साथ मुझे यह विश्वास है कि हमारे नेतागण इस बात पर भी काफी काबू कर सकेंगे और नेतृत्व कर सकेंगे । हमें इस बात से निराशा नहीं हुई है । अगर कहीं एक दो भ्रष्टाचार का उदाहरण मिलता है तो हमें इस बात का भी उदाहरण मिलता है कि बड़े लोगों के जहां इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वे भ्रष्टाचारी हैं, वहां उन पर हमारी पार्टी का अंकुश भी लगा है । अगर यह बात हमारे सामने आ जाती है कि फलां नेता भ्रष्टाचारी है तो हम उसे बरदाश्त नहीं करते और हम बड़े से बड़े आदमी को निकाल सकते हैं । यह हमारा नेतृत्व में विश्वास है और उसके कारण ही वे नेता बड़े से बड़े पद को छोड़ भी देते हैं । यह हमारे नेताओं का ही दम है और उन पर भारत की तथा प्रदेश की जनता को विश्वास है ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो लड़कियों की शिक्षा दसवें तक निःशुल्क की गयी है उसके लिये मैं उनको तथा राज्य सरकार के साथ शिक्षा मंत्री महोदय को हृदय से बधाई देती हूं कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया । मेरा विश्वास है कि अगर समाज में स्त्रियों की शिक्षा बढ़ती है तो उसके द्वारा समाज सबल और पुष्ट हो सकता है और उसके द्वारा ही हम परिवार, समाज तथा देश में एक नयी विचारधारा को जन्म दे सकते हैं । अध्यापकों को त्रिसूत्री लाभ मिलने की बात का भी स्वागत करती हूं । महामहिम राज्यपाल महोदय ने मेहतरों की अवस्था सुधारने के लिये संकेत किया है, किन्तु राज कर्मचारियों की जो दशा है उसमें सुधार करने हेतु

कोई संकेत नहीं किया । मैं आशा करूंगी कि इस सत्र में सरकार इस दिशा में कोई एलान करेगी जिसके द्वारा आज की बढ़ी हुई मंहगाई में जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं वे कुछ सामयिक भत्ता और पा सकें जिससे उनकी कठिनाइयों में उनको कुछ राहत हो । इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत करती हूं ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात उन्होंने पहली कही है वह हमारी सीमा पर संकट के संबंध में है । सीमा पर संकट निश्चित रूप से है और वह कुछ दिन तक बना रहेगा और उसका मूल कारण है हमारी यह कांग्रेस सरकार । जितना काम सुरक्षा कोष में हम लोगों ने किया, जितना धन इकट्ठा हुआ उससे सीमा पर कितना काम हुआ, उसकी कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आयी है ।

सबसे बड़ी गड़बड़ यह है कि मंहगाई हमें सता रही है, खाद्य समस्या भीषण है, लेकिन नेहरू साहब कहते हैं कि हम किसी को मरने नहीं देंगे । आप आज तक अदालती पंचायत के क्षेत्रों में भी दूकानें खुलवा नहीं पाये हैं, आप खाद्य संकट क्या दूर करेंगे ? सदन में भी प्रस्ताव पास किया गया था कि हर अदालती पंचायत के क्षेत्र में एक दूकान खुलेगी, लेकिन वह आजतक सम्भव नहीं हुआ । एक रुपये का ७ छटांक चावल हमको मिल जाता है, लेकिन सरकारी रेट पर चावल नहीं मिल पाता है । इसकी वजह क्या है ?

आप कानून बनाते हैं मगर उसका पालन कराने की ताकत आपमें नहीं हैं । आज अनाज हैं, व्यापारियों के पास स्टाक है, गांव में अनाज है, मगर उसको निकलवाने की ताकत आपमें नहीं है । इसलिये नहीं है कि आप डरते हैं । आप तो खुद जखीरेबाज हैं । आप कहते हैं हम सोशलिज्म लायेंगे, आप क्या लायेंगे ? माननीय रामायणराय और माननीय गेंदा-सिंह जी के उधर चले जाने से समाजवाद नहीं आयेगा, उनके उधर आने से तो मंहगायी और बढ़ी है । आप लोग तो पूंजीपतियों के पैसे से यहां आते हैं और उनकी रक्षा के लिये ही कानून बनाते हैं । आप कैसे सामाजवाद लायेंगे ?

आज सीमा पर संकट है खाद्य की समस्या भी भयंकर है करोड़ों रुपया आप कृषि पर खर्च कर रहे हैं मगर आप इस समस्या को हल नहीं कर पाये हैं । आज इतना रुपया खर्च करने के बाद भी उत्पादन नहीं बढ़ा है । उसका कारण है कि वक्त पर किसान को साधन उपलब्ध नहीं होते । उसको वक्त पर पानी नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, खाद्य नहीं मिलता । आपके काम इतने अनियमित हैं कि उत्पादन आज नहीं बढ़ रहा है ।

आप कहते हैं कि हम चुनाव जीत कर आते हैं । चीन में चांगकाई शेक भी यही कहा करता था कि उसको हराने वाला कोई नहीं है । वह जीत भी गया था । मगर कितने दिन शासन चला पाया था । आप कहते हैं कि लोगों में असंतोष नहीं है, आप लोगों से जाकर मिलिये और पता लगाइये कितना असंतोष है ।

मैं जिस इलाके से जीत कर आया हूं वह सीमा से लगा हुआ है । वहां की हालत बड़ी खराब है । खड्डा मिल के मैनेजर चीनी चुरा कर नैपाल भेजते हैं और आपकी सी० आई० डी० कुछ नहीं कर पा रही है । आज चावल और अनाज आपके यहां से बाहर जा रहा है आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं । इस पर भी आपको नाज है । यह देश बगा त की तरफ जा रहा है । अब आपके लिये सम्भलने की जरूरत है । वरना हर जगह आन्दोलन होगा और आप चल नहीं पायेंगे । आज लोग भूख से तड़प रहे हैं । आज सरकार की हिम्मत नहीं है कि वह महंगायी पर काबू पा सकें । सारे साधनों पर आपका अधिकार है, आपके दोस्त पूंजि-पतियों का अधिकार है । वह साधन किसान को उपलब्ध नहीं हैं । जब तक वह साधन किसान को उपलब्ध नहीं होंगे उत्पादन नहीं बढ़ेगा ।

[श्री बांकेलाल]

जो भूमिहीन हैं उनको जब तक भूमि नहीं मिलेगी उत्पादन नहीं बढ़ेगा। सीलिंग से जो जमीन मिली है वह आप भूमिहीनों में बाट दीजिये। मेहनत करने वालों को जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा। हमारे जिले का कोई नलकूप ठीक नहीं है। जब सिंचाई का वक्त आता है तभी वह खराब हो जाता है। वक्त से कोई भी साधन किसान को उपलब्ध नहीं होता है। खाद एक नम्बर की चाहिये तो आप कहेंगे ४ नं० की ले लो। बीज के लिये बहुत से खेत बोये नहीं गये, परती ही रह गये। एक वैसे ही बाढ़ का इलाका पड़ता है। बाढ़ से लोग तबाह रहते हैं। कभी पाले से, कभी ओले से और कभी वर्षा नहीं हुई उससे। तो सवाल यह है कि इस मंहगाई को देखते हुए गन्ना बोने वालों को क्या प्रोत्साहन दिया। सब वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं, लेकिन गन्ने की कीमत नहीं बढ़ी। गन्ने की कीमत दो रुपये से आगे नहीं बढ़ी। मेरठ वालों ने विरोध किया तो वहां दो रुपये सात आने मूल्य कर दिया गया। हम लोग खामोश रहे तो कोई गौर नहीं किया गया। आप खुद चाहते हैं कि हम बगावत के मैदान में उतरें। कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका कारण यह है कि ज्यादा गन्ना बोते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि गन्ना इसलिये बोते हैं कि और फसल तो मर जाती हैं लेकिन गन्ना एक स्थायी फसल है। इसलिये हम गन्ना बोते हैं और फिर गन्नेवालों के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है।

खड्डा मिल के क्षेत्र में मजदूर हड़ताल करने जा रहे हैं और १४ तारीख को मजदूर हड़ताल करेंगे। नोटिस दे दिया है। मजदूर हड़ताल करने पर तुले हुए हैं। वह मिल सरकार के पास था। अब वह मिल राजा और रानी रेवती के हाथ दे दिया है। दीक्षित उसके मैनेजर बन गये हैं। मैं मांग करता हूं कि उस मैनेजर को हटाया जाय नहीं तो उत्पादन पर ज्यादा धक्का पहुंचेगा और मजदूर बगावत के मैदान में उतरेंगे और लड़ेंगे। मैं इसलिये पहले ही चेतावनी दे देता हूं।

बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आज जो यह रेजोलूशन पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। मुझे खुशी है कि हमारे गवर्नर महोदय ने चन्द शब्दों में छोटे से अभिभाषण में जिन-जिन विषयों पर प्रकाश डाला है उसमें न सिर्फ सरकार की प्रशंसा की है बल्कि उन सब मुसीबतों और कठिनाइयों का भी जिक्र किया है जो इस वक्त हमारे प्रदेश और जनता के सामने है। हमारे गवर्नर महोदय ने बताया है कि होमगार्ड्स और सिविल गार्ड्स संघटनों में भर्ती हो रही है और उनको ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध किया जा रहा है और इकोनामिक बैकवर्डनेस को जांचने के लिये फाईनेन्स कमीशन और प्लानिंग कमीशन बनाने की कोशिशें जारी हैं, बरेली से आसाम तक सड़क बनाने की योजना वगैरह, ये सब तमाम बातें हैं जिनके लिये मैं मुबारकबाद दूंगी।

यह सभी जानते हैं कि हमारा प्रदेश एक एग्रीकल्चरल कन्ट्री है और जब तक यहां पर जरायत की उन्नति नहीं होती है तब तक देश असली मानों में तरक्की नहीं कर सकता है। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए इन कृषि और औद्योगिक विकासों पर जोर दिया गया है। इंडस्ट्रियल सेन्टरों की तरक्की के लिये और बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये पंचायतों को आर्गेनाईज किया जा रहा है और हर जिले में एक यूनिट कायम हो जावेगा। इसी तरह हमारी शकर की कमी को देखते हुए चौथे प्लान के आखिर तक १५ लाख टन से २२.५ लाख टन उसका उत्पादन हो जायगा।

शिक्षा की भी हमारे प्रदेश में बहुत जरूरत है। जम्हूरियत के पनपने के लिये, जीवन के सभी मैदानों में उन्नति करने के लिये शिक्षा का सबसे अहम मुकाम है। दो यूनिवर्सिटियों का कायम करना वाकई काबिले मुबारकबाद है, लेकिन सिर्फ इसी से शिक्षा का मसला हल नहीं

होगा । जब तक कि उसका स्तर ऊंचा न किया जाय । सबको मालूम है कि शिक्षा का स्तर रोजबरोज गिरता जा रहा है । इसकी खास वजह टीचरों के दिमागी तवाजुन की कमी है, क्योंकि उनकी कम तनख्वाहों की वजह से आम हालत में भी जिन्दगी गुजारना मुशकिल था और अब तो इस गिरानी के टाइम में और भी कम कीमत की हो गई हैं । वे दिल से काम नहीं कर सकते । मजदूरों को इसीलिये ज्यादा मजदूरी दी जाती है कि वह अच्छा काम करें । लेकिन उन मास्टरों का भी हमें ध्यान करना चाहिये जो हमारी आगे आने वाली सन्तान को जो देश का भार सम्भालने वाली है, बनाते हैं ।

लड़कियों की शिक्षा के लिये, जैसा गवर्नर महोदय ने कहा कि इस साल से हाई स्कूल तक की शिक्षा फ्री कर रहे हैं, उसके लिये मैं मुबारकबाद दूंगी ।

जैसा गवर्नर साहब ने कहा है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे । यह हमारी सरकार बराबर करती रही है । इसके लिये लखनऊ में आप्टीकल इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री और रामनगर में पेनीसिलिन फैक्ट्री खोल रहे हैं, लेकिन इससे समस्या हल होने वाली नहीं है । यह समस्या तभी हल हो सकती है जबकि सब छोटी-छोटी जगहों में सनअतें खोली जावें और वे औरतें भी काम कर सकें जो कि बेरोजगारी में अपना समय बिता रही हैं । इससे एक ओर उनकी दशा ठीक होगी और दूसरी ओर देश की भी उन्नति होगी ।

एक बात मुझे और कहनी है । सालभर के बाद यह मौका आता है कि जब हमारे गवर्नर साहब एड्रेस करते हैं । इसके ऊपर न सिर्फ हम लोग ही बल्कि प्रदेश की सारी जनता कान लगाये होती है चूंकि सरकार की पूरी पालिसी का निचोड़ उसमें होता है । इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या खाद्य समस्या है । मुझे कम से कम यह आशा जरूर थी कि गवर्नर साहब अपने अभिभाषण में अपने उन प्रोग्रामों से हमें आगाह करेंगे कि खाद्य समस्या को हल करने के लिये यह सरकार क्या करने जा रही है । उन्होंने यह जरूर कहा है कि हमारी सरकार अहतियाती तदबीर कर रही है, लेकिन यह नहीं बताया कि कब तक हमारी यह गम्भीर समस्या हल हो जायगी । यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इंसान के लिये सबसे जरूरी चीज खाद्यान्न है जो मुश्किल होती चली जा रही है । सैकड़ों लोग राशन की दूकानों से अनाज लेने के लिये मील मील भर कतारें लगाते हैं । उनको यह चाहिये था कि अपने इस अभिभाषण में इस समस्या को क्लीअर कर देते । यह बहुत भारी कमी उनके अभिभाषण में रह गयी ।

विजिलेन्स कमीशन जो कायम हुआ है वह भी इतना कामयाब नहीं हो सका है जितना कि उसको होना चाहिये था ।

व्यापारियों का जो तरीका है बहुत सी अफसोसनाक है । वे देश को और जनता को धोखा दे रहे हैं । सरकार को चाहिए कि अनाज की कीमतें फिक्स करे ।

आखिर में मैं इतना ही और कहूंगी कि यह उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अपना अभिभाषण हिन्दी में किया जो देश की राष्ट्र भाषा हो गयी है । इसके लिये मैं उनको बधाई देती हूं । राज्यपाल महोदय ने इस बार एक नयी मिसाल कायम की कि राष्ट्र भाषा में अभिभाषण किया । इतना कह कर मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दूंगी और इस प्रस्ताव का समर्थन करूंगी ।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय मैं गवर्नर महोदय को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए यह कहूंगा कि अच्छा किया उन्होंने हिन्दी में भाषण दिया, लेकिन थोड़े अर्से और उसके बाद अपना बोझा दूसरे के मत्थे मढ़ दिया । खैर उन्होंने इतनी कोशिश तो की और बजाय धन्यवाद देने के मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी हिन्दी पढ़ूं और हिन्दी में बोलूं । इसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन गल्ले की समस्या के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा । ऐसी हालत तो अकाल में भी नहीं थी जैसी आज है । दूसरे मुल्कों से अनाज मंगाने से समस्या हल होने वाली नहीं है । वह तब तक हल न होगी जब तक हमारे मुल्क में ही ज्यादा गल्ला पैदा न किया जायगा और किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं दिया जायगा ।

एक सदस्य--

आज शायरी न कहेंगे ?

श्री प्रेमसिंह---

आप देखिये बार्डर एरिया से कितना गल्ला और चीनी चीन और दूसरे स्थानों को जा रही है । सीमेंट हवाई जहाज के अड्डों को जा रही है । मैं तो बार्डर एरिया का रहने वाला हूं अब शायरी का जामाना नहीं रहा, मुझे तो अब देश रक्षा के लिये केवल लड़ाई ही याद आ रही है । आज समस्या केवल गल्ले की नहीं है । मैं यह चाहूंगा और मैं हमेशा चिल्लाता आया हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय सरकार बननी चाहिये जिससे कि गरीबी और निरक्षरता दूर हो, लोगों को कपड़ा पहनने को मिले, खाने के लिये अन्न मिले और रहने के लिये मकान मिले । इन सारी सुविधाओं के अलावा और किसी चीज की जरूरत मनुष्य को नहीं होती । आज जब मैं अपने घर से आया तो आते ही भूमि भवन कर संबंधी कागज लेकर एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि इस टैक्स को अदा कर दीजिये । तो मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि बजाय टैक्स के सब लोगों को आजादी मिलनी चाहिये, तभी हम असली माने में अपने को आजाद समझ सकते हैं । यह आवश्यक है कि टैक्स फ्री हो । जनता यही चाहती है कि उसे खाने को मिले, पहनने को कपड़ा मिले और रहने को मकान मिले ।

*श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये, उससे कुछ यह अन्दाजा नहीं लगता है कि आये दिन की समस्याओं पर हम विचार कर रहे हैं या पार्टीज अपनी-अपनी वकालत कर रही हैं कि कांग्रेस सरकार को हटा कर अगर कहीं दूसरी सरकार बन जायगी तो वह देश में अच्छा काम कर सकेगी । मेरा खयाल है और यह तजुर्बे की बात है कि हर पार्टी का इतिहास आपके सामने मौजूद है, आज की वर्तमान अवस्था में सिवा कांग्रेस के दूसरी कोई संस्था नहीं है जो देश की बागडोर को संभाल कर उसे प्रगति की ओर ले जा सकती हो ।

दूसरी बात की तरफ आपकी तवज्जह में यह दिलाना चाहता हूं कि आज एक संकट की अवस्था में हम चल रहे हैं । आज चीन की फौज हमारे बार्डर पर मौजूद है तथा पाकिस्तान की नीयत हमारी तरफ अच्छी नहीं है, देश में विग्रह की स्थिति है और साथ ही नौकरशाही हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है । मेरे कहने का खास मकसद यह है कि इस वक्त चाहे किसी पार्टी की हुकूमत बन जाय, चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाय, लेकिन जब तक नौकरशाही के वर्तमान ढांचे में तब्दीली लाने को आप तैयार नहीं हैं तब तक हमारे देश में कोई सुधार नहीं हो सकता । आज नौकरशाही को दुरुस्त करने के लिये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, उसके लिये हर पार्टी की जिम्मेदारी है । इस बारे में पहले भी कई बार मैंने आगाह किया है कि सारी पार्टीज के नुमाइन्दों को बैठ कर इस पर गौर करना चाहिये कि किस तरह से इस नौकरशाही में तब्दीली लायी जाय ।

हम समाजवाद की बात बहुत कहते हैं, लेकिन देखा जाय तो वास्तव में केवल दो ही वर्ग हैं, एक तो गरीबों का और दूसरा अमीरों का । चाहें हम कांग्रेस की नीति पर चलें, चाहें कम्युनिस्ट पार्टी की नीति पर चलें, लेकिन हमको अपने कुछ बुनियादी वसूलों को ले कर चलना होगा, तभी देश में सच्चा समाजवाद लाया जा सकेगा । अन्यथा नहीं लाया जा सकेगा यह चुनौती आपके सामने है कि अगर इसके विरुद्ध आपने चलने की कोशिश की तो आपका यह प्रजातंत्र और लोकतंत्र खत्म हो जायगा । मैं तो यह कहूंगा कि सरकार की वर्तमान नीति प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाने में बिलकुल असफल रही है और यह प्रश्न भी हमारे लिये विचारणीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये बहुत से उत्पादकों का भी एक वर्ग है और वह भी हमारा एक अंग है।

खाद्य समस्या की भयावह स्थिति, उपभोक्ता, जखीरेबाज, व्यापारी और प्रशासनिक यंत्र ये चारों ऐसी इकाई हैं जिनके द्वारा ये समस्यायें हमारे इस देश में विकराल रूप में आज विद्यमान हैं। अगर हम इन चारों इकाइयों का मुकाबला नहीं करते तो हम सफलीभूत नहीं हो सकते। सबसे पहले तो मैं सरकार की ओर इशारा करूंगा। नेगी साहब से मैं कांग्रेस पार्टी के मेम्बर की हैसियत से बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि सरकार के ढांचे में आमूल परिवर्तन की जरूरत है और जब तक ऐसा न किया जायेगा हमें सफलता नहीं मिल सकती।

एक बुनियादी बात यह है कि हमारे देश में कोई भी कंट्रोल की व्यवस्था सफलीभूत नहीं हो सकती, आपको हर चीज से नियंत्रण हटाना होगा, आपका जोनल सिस्टम भी सफल नहीं हुआ और यह गलत चीज भी है क्योंकि जब हम सारे राष्ट्र की एकता की बात करते हैं सारे भारत की एकता की बात करते हैं तो यह कहां तक उचित है कि पंजाब के लोग खुशहाल रहें और बढ़िया खायें और यहां के लोग उसी समय में भूख से मरें, यह कोई अच्छी नीति नहीं है। आपको तो सारे देश को एक इकाई समझ कर चलना चाहिये। इसके अतिरिक्त जहां भी नियंत्रण लगाया जाता है उस से करप्शन बढ़ता है, वह उस से घटता नहीं है, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे डी० एस० ओ० हों, या इंस्पेक्टर हों मार्केटिंग के हर जगह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। बुनियादी तरीके से करप्शन से बचने का और कोई रास्ता नहीं है सिवा इसके कि आप हर तरह के नियंत्रण और कंट्रोल को खत्म करें . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कल जारी रखें, अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
९ फरवरी, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३ पर)

सूची

(१) प्रश्न संख्या १ में उल्लिखित ग्रामों में से तृतीय तथा चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्न ग्रामों की सिंचाई के लिये नलकूप लगाये जाने का प्रस्ताव है :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९६५–६६ में	डोरा, धुवार्जुन तथा ढाढ़ीबाढ़ी
(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ..	बेलहरी, पचरासी, भवानीपुर तथा सादात ।

(२) शेष ८ ग्रामों में चार ग्राम बहुरा, गदनपुर, अमेहता तथा महोलिया की ४०५ एकड़ भूमि राजकीय नलकूप संख्या ३३, ३४ एवं ३५ सैदपुर ग्रुप तथा नलकूप संख्या ७ व ४ मालिकशाहपुर व चक सिकदरा सैदपुर के कमांड में आता है। इन नलकूपों में नलकूप संख्या ३३ का पुनः निर्माण किये जाने की और बाकी नलकूप संख्या ३४,३५, ७ व ४ की गूलों को बढ़ाने का प्रस्ताव है जिसके कार्यान्वित हो जाने पर उपर्युक्त भाग की सिंचाई भलीभांति सम्भव हो सकेगी। इन चार ग्रामों का बाकी क्षेत्र ६६६ एकड़ तथा चार अन्य ग्रामों सरैया, पहाड़पुर, खुर्द मवधिया तथा एकावसपट्टी में नलकूप लगाना व्यवहार्य नहीं है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५ पर)

एलाटी का नाम

१—श्री विश्वनाथ दास, राज्य पाल, उत्तर प्रदेश ।
२—आचार्य जुगल किशोर, एम०एल०ए०
३—डा० बी० बी० सेठी, सायकोलाजिस्ट, मेडिकल कालेज, लखनऊ ।
४—डा० के० एल० अरोरा, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ ।
५—श्री के० एल० मिश्रा, एडवोकेट जनरल, इलाहाबाद ।
६—डा० बी० डी० माथुर, ४ कबीर मार्ग, लखनऊ ।
७—डा० पी० डी० कपूर, मेयर, लखनऊ
८—श्री गोविन्द सहाय, एम०एल०ए०, लखनऊ
९—श्री बी० बी० लाल, कमिश्नर ऐंड सेक्रेटरी पावर ऐंड इर्रीगेशन ।
१०—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट, एम०एल०ए०
११—श्री एस०पी०गुप्ता, डिप्टी मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश ।
१२—श्री अशोक सेन, होम सेक्रेटरी, गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश ।
१३—श्री बलवान सिंह, एम०एल०ए०,
१४—श्री रमेश मोहन, प्रोफेसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी ।
१५—श्री पी० सी० पांडे, एडीशनल डायरेक्टर आफ ऐजूकेशन, इलाहाबाद ।
१६—श्री पी० के० कौल, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज ब्रांच, उत्तर प्रदेश ।
१७—श्री एच० सी० कौशल, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, लखनऊ ।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६० पर)

काम पूरा न हो सकने के निम्नलिखित कारण थे—

(१) नवम्बर, १९६२ से मार्च, १९६३ तक नाले में पानी भरा होने के कारण कार्य सम्भव नहीं था।

(२) वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में पुल के स्थान के चुनाव के सम्बन्ध में जनता में मतभेद था जिसका निर्णय १७ अक्तूबर, १९६३ को हो सका।

(३) इसके बाद मार्च, १९६४ तक पुनः नाले में पानी भरा रहने के कारण कार्य न हो सका, और

(४) मार्च, १९६४ में जिस ठेकेदार से कार्य करने के लिये ऐग्रीमेंट किया गया वह १६ जून, १९६४ तक की निश्चित अवधि के अन्दर काम पूरा न कर सका।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी ‘घ’

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३ पर)

श्री बी० एन० बालिगा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सस्पेन्ड किये गये कर्मचारियों का विवरण

संख्या	कर्मचारी का नाम तथा पद	सस्पेन्ड करने की तिथि	फैसले की तिथि	की गयी कार्यवाही	टिप्पणी
१	श्री ए० आर० चौधरी, लाइन इंस्पेक्टर	१–८–१९६२	२५–४–१९६३	बहाल करके बरी कर दिये गये तथा पूर्ण वेतन दिया गया।	
२	श्री रामनिवास गुप्ता, लाइन मैन	२८–३–१९६४	१०–६–१९६४	बहाल करके बरी कर दिये गये तथा पूर्ण वेतन दे दिया गया।	
३	श्री एस० बी० सिंह, लाइन इंस्पेक्टर ..	३–१०–१९६२	..	मामला अभी विचाराधीन है।	
४	श्री सत्यदेवसिंह, असिस्टेन्ट स्टोर कीपर	१५–७–१९६३	..	श्री सिंह के लापता हो जाने के कारण अन्तिम निर्णय नहीं हो सका। अब यह केस अधीक्षण अभियन्ता रिहन्द हाइडिल सर्किल, इलाहाबाद को भेज दिया गया।	
५	श्री लाल जी मिश्रा, लाइनमैन ..	१४–८–१९६३	..	श्री मिश्रा के लापता हो जाने के कारण अन्तिम निर्णय नहीं हो सका।	इन में से किसी ने सरकार को अपील नहीं की।
६	श्री आर० एस० मिश्रा, लाइन इंस्पेक्टर	१८–४–१९६३	१८–११–१९६३	बहाल कर दिये गये। श्री मिश्रा को मुअत्तली की अवधि का निर्वाह भत्ता दिया गया तथा उनकी वार्षिक उन्नति ५ वर्ष के लिये रोक दी गई है। इसका (Cumulative effect) नहीं होगा।	
७	श्री पारसनाथ राय, एस० बी० ए०	३–४–१९६३	२४–८–१९६४	नौकरी से निकाल दिये गये।	
८	श्री भास्कर लाल, एस० बी० ए० ..	३–४–१९६३	२४–८–१९६४	नौकरी से निकाल दिये गये।	
९	श्री जवाहरलाल, शिफ्ट सुपरवाइजर	१८–४–१९६३	२३–९–१९६४	टरबाइन मिस्त्री के पद पर रिवर्ट कर दिये गये तथा भविष्य की पदोन्नति रोक दी गई है।	

अनुपूरक विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५ पर)

क्रम संख्या	नाम		शैक्षणिक योग्यता
१	श्री राम कुमार अग्रवाल	..	बी० ए० एल-एल० बी०
२	श्री कृष्ण राज सिंह	..	बी० ए० एल-एल० बी०
३	श्री प्यारे मोहन आगा	..	बी० ए० एल-एल० बी०
४	श्री प्रद्युमन् नारायण सिंह	..	सीनियर कैम्ब्रिज
५	श्री पृथ्वी नाथ कपूर	..	हाई स्कूल
६	श्री शमशुद्दीन अन्सारी	..	एम० ए०
७	श्री कैलाश चन्द्र रस्तोगी	..	एम० ए०
८	श्री इफ्तिखारूल हक	..	बी० एस सी० प्रथम वर्ष
९	श्री गिरधारी लाल अग्रवाल	..	इंटरमीडियेट तक पढ़े हैं
१०	श्री राधा कृष्ण अवस्थी	..	एम० काम०, एल-एल० बी० एल० टी०, साहित्यरत्न।
११	श्री सोहन लाल मेहरोत्रा	..	हाई स्कूल तक पढ़े हैं
१२	श्री नन्द लाल अग्रवाल	..	एम० ए० एल-एल० बी०
१३	श्री पृथ्वी पाल सिंह रेखी	..	एम० एस सी०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१ पर)

तालिका "अ"

महरों का नाम	१ जनवरी, १९६४ से ३० जून, १९६४ तक हफ्तेवार चलाये गये रजबहों का विवरण						योग	स्याना निर्वाचन क्षेत्र में १-१-६४ से ३०-६-६४ तक रबी तथा खरीफ में की गयी सिंचाई का योग (सैकड़ों में)	
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून		रबी १३७१ फसली	खरीफ १३७२ फसली
अनूपशहर ब्रांच	४ बार	३ बार	३ बार	४ बार	४ बार	४ बार	२२ बार	२९५	२५४
अपर परिक्षतगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी ..	४ "	२ "	२ "	४ "	३ "	४ "	१९ "	१७	१६
सेना माइनर	३ "	२ "	२ "	२ "	२ "	४ "	१५ "	१८४	१९५
लादपुर माइनर	४ "	१ "	१ "	१ "	१ "	३ "	११ "	४०१	३५४
सथला माइनर	४ "	२ "	१ "	१ "	२ "	२ "	१२ "	५७६	५३७
सिगनपुर माइनर	३ "	१ "	१ "	२ "	२ "	२ "	११ "	३२५	२९८
बेयरा ब्रांच	२ "	१ "	१ "	२ "	१ "	२ "	९ "	१,३३०	१,२५६
एल० पी० गढ़ डिस्ट्रीब्यटरी ..	१ "	२ "	२ "	२ "	२ "	२ "	११ "	३,५९४	३,५८५
स्याना माइनर	१ "	२ "	२ "	२ "	२ "	२ "	११ "	२८७	३०२
गिरौरा माइनर	१ "	२ "	२ "	२ "	२ "	२ "	११ "	१,२४६	१,१३८
अमरगढ़ माइनर	१ "	२ "	२ "	२ "	२ "	२ "	११ "	२४	२३
किथोर डिस्ट्रीब्यूटरी	२ "	२ "	२ "	३ "	२ "	३ "	१४ "	३,१३७	२,७८६
बहादुरगढ़ ब्रांच	२ "	२ "	२ "	३ "	२ "	२ "	१३ "	२,४६८	२७६२
बांसी माइनर	२ "	२ "	२ "	३ "	२ "	२ "	१३ "	९५१	७७८
								१४,८३५	१४,२८४

अनुपूरक प्रश्न

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१ पर)

नहरों का नाम	स्याना निर्वाचन क्षेत्र में १-१-६३ से ३०-६-६४ तक रबी तथा खरीफ में की गयी सिंचाई का ब्योरा (एकड़ों में)	
	रबी १३७० फसली	खरीफ १३७१ फसली
अनुपशहर ब्रांच	२५४	२५८
अपर परिक्षतगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी	१६	१३
सोना माइनर	१९०	२३२
लादपुर माइनर	४२१	३४३
सथला माइनर	५४८	४६३
सिंगनपुर माइनर	२८१	२६५
बेयरा ब्रांच	१,३२४	१,१६१
लोअर परिक्षतगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी	३,४६५	३,६६५
सेना माइनर	२९७	३०६
गिरौरा माइनर	१,२०१	१,१९५
अमरगढ़ माइनर	३०	२९
कियोर डिस्ट्रीब्यूटरी	२,९२७	२,४९४
बहादुरगढ़ ब्रांच	२,६७९	२,३८३
बांसी माइनर	८६०	७१५
योग ..	१४,४९३	१३,५२२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२ पर)

माह			प्रकाश तथा पंखे के लिये	शक्ति के लिए
(१) जून, १९६४	..	..	२०	२
(२) जूलाई, १९६४	..	..	१३	२
(३) अगस्त, १९६४	..	..	४०	११
(४) सितम्बर, १९६४	..	..	१०१	१२
(५) अक्तूबर, १९६४	..	..	७८	६
(६) नवम्बर, १९६४	..	..	५२	५
	योग	..	३०४	३८

विधान सभा पंजाब

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४ पर)

जिला गोरखपुर की बांसगांव तहसील में ३० नवम्बर, १९६४ तक ७६ स्थानों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जो कि संलग्न सूची में दिये हुये हैं। निम्नलिखित ७ स्थानों का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है और राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्धारित माप-दण्ड जिसके अनुसार १,००० जन संख्या पर १ १/२ मील लम्बी ११ के० वी० लाइन बनायी जा सकती है के अन्तर्गत यदि इन स्थानों का विद्युतीकरण प्राविधिक दृष्टिकोण से सम्भव पाया जायगा तो चालू वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में कर दिया जायेगा।

(१) भंडर खास
(२) बड़ी गांव
(३) बंसा उर्फ बनकटा
(४) मंसूल बुजुर्ग
(५) गजपुर
(६) हरिहरपुर
(७) हाता बुजुर्ग।

तहसील बांसगांव के शेष स्थानों का सर्वेक्षण यथासमय पर किया जायेगा और उपर्युक्त मापदण्ड के अनुसार जिनका विद्युतीकरण सम्भव पाया जायगा उनका विद्युतीकरण तत्पश्चात् किया जायेगा।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

सूची

जिला गोरखपुर की बांसगांव तहसील के उन स्थानों के नाम जिनका विद्युतीकरण ३० नवम्बर, १९६४ तक किया जा चुका है।

क्रम सं०	स्थानों के नाम	क्रम-संख्या	स्थानों का नाम
१	बातीपार	३९	शुकुलपुरी
२	बिस्तौली खुर्द	४०	गरवा रामपुर
३	खट भार	४१	अकुसी
४	मलहनपुर	४२	मदरहा
५	हरनही	४३	चौटीसा
६	भैसा नाथू	४४	बथुआ बुजुर्ग
७	पगार	४५	आरांव जगदीश
८	मलहनपार	४६	भरौली
९	कटवर	४७	मउवापार
१०	बघराइन	४८	दादरा
११	अहिरौली बुजुर्ग	४९	सरया तिवारी
१२	सिखवा उर्फ सिउ	५०	रूद्रपुर २
१३	पिडारी	५१	चौरिया बुजुर्ग
१४	पिपरी खुर्द बुजुर्ग	५२	अतरौली
१५	महुई बुजुर्ग	५३	धनौरा खुर्द
१६	उनौता	५४	धरौरा बुजुर्ग
१७	धस्का	५५	पान्डे पार
१८	कटिया	५६	बिस्तौली बुजुर्ग
१९	रौसा दरगाह	५७	भिट्टी २
२०	टियार खास	५८	दुधेरा
२१	पकरी दुबे	५९	रौट पार
२२	जानीपुर	६०	गंगूपार
२३	डनदीह	६१	सुलतानी
२४	उसरी खास	६२	धुकोली
२५	नगवा प्रेम	६३	उर्वा बाजार
२६	कनैल	६४	चन्दौली
२७	देवकाली १	६५	काहला
२८	कस्बा कुरियापार	६६	दनवा पार
२९	भूपगढ़	६७	चचई राम
३०	चुन्दरिया	६८	बांसगांव
३१	शिवराजपुर	६९	गोलाबाजार
३२	मनो कृष्मीपुर	७०	गोपालपुर देवकल
३३	तनघुहनी	७१	हटुआ उर्फ गाधा
३४	थाथौली	७२	भरोह
३५	भिटी	७३	भदारिया
३६	मऊ खुर्द	७४	काकरही
३७	सुकरौली	७५	परसिया
३८	ममकोर	७६	मलाऊं

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२ पर)

जिला जौनपुर के उन स्थानों के नाम जिनका विद्युतीकरण १९६५–६६ में करने का प्रस्ताव है।

क्र०-सं०	स्थानों का नाम	क्र०-सं०	स्थानों का नाम
१	उमरी खुर्द	२१	रामपुर
२	लम्हर	२२	बादलापुर खुर्द
३	बिसुआपार	२३	रूपचन्द्रपुर
४	कोल्हवा	२४	बाकशा
५	सुल्तानपुर	२५	बेलापुर
६	अमरी	२६	नवदा मुल्तीरनपुर
७	बैहरी	२७	उतरूकलां
८	अनापुर	२८	दखिनपट्टी
९	बिझवत	२९	धमियां पट्टी धनियामऊ
१०	भतपुरा	३०	बदरी
११	गोरवलपुर	३१	अम्हौत
१२	पुरगम्हीरशाह	३२	मुर्तजाबाद
१३	धमा	३३	चकरा
१४	खजुरन	३४	आनीदर
१५	पुरानी बाजार	३५	डोभी
१६	तियारा	३६	गैरवा
१७	शाहपुर	३७	भिदुना
१८	सिंगारामऊ	३८	निगाह
१९	शिव करनपुर	३९	गाहोरा रामदयाल गंज
२०	सिंहावल	४०	अहिरौली शीतलगंज

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६ पर)

किसानों को निम्नलिखित दर से मुआविजा दिया गया :

भूमिधर	..	लगान का सौ गुना या १०० रुपया प्रति एकड़ जो भी अधिक हो।
सीरदार	..	लगान का ३० गुना।

१२ परिवारों को जिन्होंने मुआविजा लेने से इन्कार कर दिया जमीन के बदले जमीन देने का निश्चय किया गया है।

विधान सभा सचिवालय